मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा **तृतीय सत्र**

जून-जुलाई, 2014 सत्र

मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2014

(17 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] **[अंक- 7]**

मध्यप्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2014

(17 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय—प्रश्नकाल हो जाने दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—एक मिनट सुन लें..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आपके ही दल के सदस्य हैं.आप मेहरबानी करिये.सुश्री हिना लिखीराम कावरे अपना प्रश्न करिये (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—प्रश्नकाल हम रोकना नहीं चाहते (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—नये सदस्यों को आप चान्स लेने दें. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. (व्यवधान) यह कुछ नहीं लिखा जाएगा. कार्यवाही में सिर्फ सुश्री कावरे का ही आयेगा.कृपया प्रश्न करें. (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—(x x x)

अध्यक्ष महोदय—कार्यवाही में कुछ नहीं आएगा.(व्यवधान) आप अपना प्रश्न करिये, उत्तर आयेगा. वह नहीं बैठेंगे, आप कृपा करके अपना प्रश्न करिये.

(x x x) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

रेत के उत्खनन पर न्यायालय की रोक से उत्पन्न स्थिति के निराकरण विषयक

1. (*क्र. 1542) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) न्यायालय द्वारा रेत के उत्खनन पर जो रोक लगायी गयी है उसके कारण आम आदमी को मकान अथवा निर्माण कार्यों में जो परेशानी हो रही है उसके निराकरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है? (ख) क्या न्यायालयों के समक्ष सरकार ने इस रोक से आम जनजीवन पर होने वाले प्रभाव से न्यायालय को अवगत कराने हेतु कोई कदम उठाया? यदि नहीं तो क्या सरकार इस समस्या के निराकरण के लिए उपाय करने जा रही है? (ग) न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित करने से शासन को राजस्व की कुल कितनी हानि हुई है? (घ) प्रतिबंध के पश्चात् रेत के अवैध उत्खनन के कुल कितने मामले दर्ज हुए है? इसकी जबलपुर संभाग की जानकारी दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) माननीय न्यायालय द्वारा रेत के उत्खनन पर कोई रोक नहीं लगाई है. अत: आम आदमी को मकान अथवा निर्माण कार्यों में कठिनाई जैसी कोई स्थिति नहीं है. अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश ''क'' में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) प्रश्नांश ''क'' में दिए उत्तर के प्रकाश राजस्व हानि जैसी स्थिति नहीं है. (घ) प्रश्नांश ''क'' में दिए उत्तर के प्रकाश में रेत के अवैध उत्खनन जैसी कोई स्थिति नहीं है.

सुश्री हिना लिखीराम काँवरे-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रेत के उत्खनन पर न्यायालय द्वारा जो रोक लगाई गई है उसके संबंध में था. जिसका उत्तर माननीय ऊर्जामंत्री जी ने दिया है कि न्यायालय द्वारा रेत के उत्खनन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है . मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न करना चाहती हूं कि बालाघाट जिले में विशेषकर लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में रेत के ठेके के लिए पूरी कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है लेकिन अभी तक रेतघाट का आवंटन नहीं किया गया है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह क्यों नहीं किया गया है ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल--- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि न्यायालय द्वारा रेत के उत्खनन में रोक नहीं है लेकिन भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ मार्गदर्शी दिशानिर्देश दिये हैं जिसका पालन करना आवश्यक है. जिसके अंतर्गत सीआ(State environment impact assesment authority) जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक यहाँ पर बॉडी होती है जिसको कि पर्यावरण स्वीकृति देना होता है तो न्यायालय के इस निर्देश पर कि पांच हैक्टेयर से कम की जो रेत की खदानें हैं, उनमें भी पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी जाएगी. सीआ के गठन में जो देरी हुई उसके कारण वह सारे मामले सीआ से अनुमोदन नहीं हो पाये, स्वीकृत नहीं हो पाये लेकिन आपको मुझे बताते हुए खुशी है कि नई सरकार के गठन होने के बाद ही त्वरित निर्णय हुआ है और अभी कुछ दिन पहले सीआ की बॉडी के गठन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है इसलिए अब तेजी के साथ वह सारे मामले सीआ में आएँगे और उसकी स्वीकृति की कार्यवाही होगी.

सुश्री हिना लिखीराम कॉंवरे-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जाएगी औऱ उसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि अभी तक कोई ठेका नहीं दिया गया उसके बावजूद भी रेत का उत्खनन निश्चित रूप से लगातार चल रहा है और इससे राजस्व की हानि शासन को हो रही है . चूंकि मैंने आम आदमी का प्रश्न किया था हालांकि पहले प्रश्न का उत्तर नहीं है तो बाकी प्रश्नों के उत्तर उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है. लेकिन इसमें आम जनता की परेशानियों से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि आम जनता जो कि अपना मकान का काम या निर्माण कार्य करवाना चाहती है तो उसके लिए वह रेत का उत्खनन लगातार कर रहा है औऱ वह परेशान है क्योंकि जब वह उत्खनित रेत लेकर जाता है तो उसको या तो आपके खनिज अधिकारी रोककर पूछते हैं ,उनसे पैसा वसूल करते हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूं कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी और अभी तक जो गलतियाँ हुई हैं या जिस तरीके की वसूली चाहे वह पर्यावरण विभाग के द्वारा हो, चाहे खनिज या पुलिसवालों के द्वारा हो , चाहे तहसील के लोगों के द्वारा हो तो उसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी.

श्री राजेन्द्र शुक्ल--- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो बहुत तेजी से काम होना है. सीआ के द्वारा निर्णय भी होंगे. हालांकि हमने भारत सरकार को लिखा है कि जो हमारी जिला पर्यावरण समितियाँ हैं, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में हैं उनके द्वारा ही इन छोटी खदानों की स्वीकृतियाँ के लिए उनको अधिकार फिर से दे दिये जाएं, जो बीच में भारत सरकार के एक आदेश के कारण रोक लिये गये थे. जब कलेक्टरों को वह अधिकार मिल जाएगा जिसकी कि हम लोग भारत सरकार से लगातार बात कर रहे हैं औऱ माननीय सदस्या की चिंता बहुत जायज है. लेकिन उसका निराकरण भी अब बहुत जल्द होने वाला है.

सुश्री हिना लिखीराम कॉंवरे--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं. मैं यह जानना चाह रही हूं कि जिस तरीके से रेत का मूल्य निर्धारण रायल्टी आपने निर्धारित कर दी है.

अध्यक्ष महोदय--- यह इससे उद्भूत नहीं हो रहा है.

चौरई में संभागीय यंत्री ऊर्जा का कार्यालय खोला जाना

2. (*क्र. 2298) पं. रमेश दुबे : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छिन्दवाड़ा जिले की चौरई नगर में संभागीय यंत्री म. प्र. पू. क्षे. वि. वितरण कं. का कार्यालय खोले जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता ने पत्र क्र. 1033, दिनांक 29-12-14 मा. मुख्यमंत्री म. प्र. शासन, पत्र क्र. 1032, दिनांक 29-12-13 ऊर्जा मंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं पत्र क्र. 168 दिनांक 16-1-2014 अधीक्षण यंत्री, छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया है? (ख) क्या यह भी सही है कि पत्र क्र. 87, दिनांक 21-1-2014 के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री महोदय ने प्रमुख सचिव, ऊर्जा को कार्यवाही हेतु निर्देश दिये है? (ग) यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अभी तक किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं तो क्यों? (घ) कब तक चौरई जिला छिन्दवाड़ा में संभागीय यंत्री म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. का कार्यालय खोल दिया जावेगा समय-सीमा बतावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हां. (ख) जी हां, नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं. (ग) उत्तरांश ''ख'' के तारतम्य में ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक 1-2-2014 द्वारा म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी को प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया. चौरई में नवीन संचालन एवं संधारण संभाग सृजित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी मुख्यालय में प्रक्रियाधीन है. (घ) वर्तमान में प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है. तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से साध्य पाये जाने पर ही चौरई में संभागीय कार्यालय खोले जाने की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा, अतः वर्तमान में समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

पंडित रमेश दुबे-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न (घ) के उत्तर में बताया गया है कि प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है. लगभग पांच माह पूर्व मैंने विभाग को अपना पत्र दिया है. मैं ऐसा मानता हूं कि इसका परीक्षण हो गया होगा. मैंने संभागीय कार्यालय प्रारंभ हेतु प्रश्न किया था जिसके उत्तर में बताया गया है कि तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से साध्य पाये जाने पर ही संभागीय कार्यालय खोला जाना संभव होगा. मेरा मानना है कि तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से चौरई में संभागीय कार्यालय खोला जाना निश्चित तौर पर साध्य होगा और इसलिए मैं इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस बात का बहुत विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि वह सदन में इस बात की घोषणा करें कि शीघ्र चौरई में संभागीय कार्यालय खोला जावेगा.

श्री राजेन्द्र शुक्ल--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहते हुए भी इसकी घोषणा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से यह साध्य नहीं पाया गया है.

पं.रमेश दुबे-- माननीय मंत्री जी, चूँकि तकनीकी दृष्टिकोण से हम देखें तो विधान सभा के दो विकासखंड हैं, एक का संचालन सौंसर से संभाग कार्यालय सोरा और दूसरे का हमारे अमरवाड़ा से हो रहा है और एक दृष्टिकोण से हम देखें तो आम लोगों का संपर्क लगभग 150 किलोमीटर की दूरी के माध्यम से होता है. तकनीकी दृष्टिकोण से हम देखें तो निश्चित तौर पर लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से आपके चौरई में संभागीय कार्यालय खोला जाना बहुत उचित होगा और इसलिए मैं आप से पुनः आग्रह करूँगा कि चौरई के संभागीय कार्यालय के विषय में विचार करें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार और परीक्षण करा लेंगे.

आई.ए.एस. अधिकारी श्री अरविन्द जोशी एवं श्रीमती टीनू जोशी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना

3. (*क्र. 1486) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के आई.ए.एस. अधिकारी श्री अरविन्द जोशी एवं श्रीमती टीनू जोशी के यहां आयकर छापे में आय से अधिक संपत्ति प्राप्त होने के बाद राज्य शासन द्वारा इन्हें बर्खास्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है? (ख) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव कब भेजा गया? (ग) उक्त प्रकरण में पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी श्रीमती निर्मला बुच द्वारा राज्य शासन को कब और क्या जांच प्रतिवेदन सौंपा गया?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हां. (ख) श्री अरविन्द जोशी के संबंध में प्रथमत: दिनांक 28-4-2012 को प्रस्ताव भेजा गया. तत्पश्चात् पूर्व प्रस्ताव पर स्थिर रहते हुए पुन: दिनांक 6-3-2013 को एवं दिनांक 24-5-2014 को प्रस्ताव भेजा गया है. श्रीमती टीनू जोशी के संबंध में प्रथमत: दिनांक 30-4-2012 को प्रस्ताव भेजा गया है तत्पश्चात् पूर्व प्रस्ताव पर स्थिर रहते हुए पुन: दिनांक 6-3-2013 को एवं दिनांक 24-5-2014 को भेजा गया. (ग) जांच अधिकारी श्रीमती निर्मला बुच ने श्री अरविन्द जोशी की विभागीय जांच का प्रतिवेदन दिनांक 21-4-2012 को और श्रीमती टीनू जोशी की विभागीय जांच का प्रतिवेदन दिनांक 25-4-2012 को सौंपा है. श्रीमती बुच द्वारा दोनों अधिकारियों पर अधिरोपित समस्त आरोपों में से आरोप क्रमांक-1 के उस अंश जिसके तहत अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(2) का उल्लंघन अधिरोपित किया गया था, को छोड़कर आरोप क्रमांक-1 के शेष अंश सहित समस्त आरोप सिद्ध होना पाये गये हैं.

श्री उमंग सिंघार-- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा आपके माध्यम से प्रश्न है कि आई ए एस अरविन्द जोशी और टीनू जोशी की बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर केन्द्र ने क्या कार्यवाही की, क्या संघ लोक सेवा आयोग ने प्रस्ताव शासन को वापस भेज दिया.

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्य की भावना है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को पूरा प्रकरण भेज दिया है. अब केन्द्र सरकार को ही निर्णय करना है. निलंबन की कार्यवाही यहाँ लगातार चल रही है, वे अभी भी निलंबित हैं. मध्यप्रदेश सरकार ने तीन बार केन्द्र सरकार को बर्खास्तगी की कार्यवाही के लिए भेजा है. अब आगामी जो निर्णय करना है वह केन्द्र सरकार को करना है.

श्री उमंग सिंघार-- अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने फॉलो किया है इस बारे में, 2012 का मामला है.

श्री लाल सिंह आर्य-- अध्यक्ष महोदय, 20.1.14 को केन्द्र सरकार द्वारा इसकी अभियोजन की स्वीकृति दी गई है. लोकायुक्त मध्यप्रदेश ने विशेष न्यायालय भोपाल में चालान की कार्यवाही भी 1 मार्च 2014 कर दी है. लोकायुक्त ने 41.87 करोड़ की आय से ज्यादा की संपत्ति होना पाया था. राज्य शासन द्वारा आय से ज्यादा संपत्ति को राजसात करने की कार्यवाही भी न्यायालय में प्रचलित है.

केवलारी में विज्ञान संकाय एवं धनौरा में कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बाबत्

4. (*क्र. 1144) श्री रजनीश सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केवलारी विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय में स्थित शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में लंबे समय से विज्ञान संकाय खोले जाने हेतु मांग की जा रही है? (ख) यदि हां तो अभी तक केवलारी में विज्ञान संकाय नहीं खोले जाने के क्या कारण है? (ग) केवलारी में विज्ञान संकाय कब तक प्रारंभ किया जावेगा, समयावधि बतावें? (घ) क्या इसी तरह केवलारी विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी विकासखण्ड धनौरा में कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय खोला जावेगा? यदि हां तो कब तक एवं यदि नहीं तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं. (ग) वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित संकायों का सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता विकास करने के प्रयास किये जा रहे हैं. अत: केवलारी में विज्ञान संकाय प्रारंभ किया जाना संभव नहीं है. (घ) जी नहीं.

श्री रजनीश सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के केवलारी मुख्यालय में, ब्लाक में, काफी दिनों से कॉलेज संचालित है और वहाँ पर विज्ञान संकाय नहीं है. अध्यक्ष महोदय, केवलारी मुख्यालय में लगभग 125 ग्राम आते हैं और 8 से 12 हायर सेकंडरी स्कूल आते हैं और लगभग हर साल 800 छात्र और छात्राएँ वहाँ से पास आउट होते हैं. मेरा मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया वहाँ पर विज्ञान संकाय खोलने की कृपा करें ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे.

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री दीपक जोशी)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन द्वारा पूर्व से संचालित संकायों के सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं. इस हेतु शासन इस वर्ष कोई भी नया संकाय नहीं खोलने जा रहा है.

श्री रजनीश सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आने वाले सत्र में विज्ञान संकाय खुलवाने की कृपा करें ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे.

श्री दीपक जोशी-- अध्यक्ष महोदय, छात्र संख्या के आधार पर शासन निर्णय लेता है. अगर उस आधार पर आएगा तो हम निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रयास करेंगे.

श्री रजनीश सिंह-- अध्यक्ष महोदय, छात्र संख्या पर्याप्त है, वहाँ संकाय खुल सकता है.

अध्यक्ष महोदय-- आप उनको जानकारी करा दीजिएगा.

श्री रजनीश सिंह-- जी अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद.

पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण

5. (*क्र. 1222) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु कितने ग्राम स्वीकृत हैं तथा कितने ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं तथा कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना शेष है? साथ ही उक्त क्षेत्र में कितने बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय कर दिए गए हैं क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में बी.पी.एल. कार्डधारियों को एकबत्ती कनेक्शन दिया जा रहा है? यदि नहीं तो कब तक बी.पी.एल. कार्डधारियों को एकबत्ती कनेक्शन दिया जायेगा, समय-सीमा बतावें? (ख) ऐसे कितने बी.पी.एल. कार्डधारी हैं जिन्होंने एकबत्ती कनेक्शन हेतु आवेदन दिया है, किन्तु अभी तक उनको विद्युत् कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, कारण सहित बतायें? जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने निर्धारित समय पर कनेक्शन देने में विलंब किया है उनके विरुद्ध शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक कितने ग्रामों में ट्रांसफार्मर जलने अथवा खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई? विवरण दें? क्या शासन खराब अथवा जले ट्रांसफार्मर बदले जाने के संबंध में सूचना प्राप्ति के 7 दिवस की निश्चित समय-सीमा में नवीन ट्रांसफार्मर रखे जाने के संबंध में निर्देश देगा? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी 3 अविद्युतीकृत ग्रामों तथा 183 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत मंजरों/टोलों सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर, दिनांक 15-6-2014 तक 6503 गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी श्रेणी के हितग्राहियों को नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये गये हैं? इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 9 अविद्युतीकृत ग्रामों एवं 118 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत मजरों/टोलों सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है. 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्वीकृत सभी विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर 6503 बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किए गए हैं. 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा कार्यवही प्रक्रियाधीन है, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त होने पर बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किये जा रहे हैं, अत: समय-सीमा बताने का प्रश्न नहीं उठता. (ख) विद्युतीकृत ग्रामों में बी.पी.एल. कार्डधारी का कोई भी आवेदन लंबित नहीं है. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् बी.पी.एल. कनेक्शन देने के किसी भी प्रकरण में विलम्ब नहीं हुआ है, अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता. (ग) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2011-12 से दिनांक 15-6-2014 तक 80 ग्रामों के 87 वितरण ट्रांसफार्मर जले/खराब हुये थे, जिन्हें बदल दिया गया है. उक्त के अतिरिक्त प्रश्नावधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्थापित 86 वितरण ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए हैं जिनमें से 70 ट्रांसफार्मर बदल दिये गए हैं. शेष ट्रांसफार्मर ठेके में दी गई शर्तों के अनुसार बदलने की कार्यवाही की जा रही है तथापि वैकल्पिक व्यवस्था कर इन ट्रांसफार्मरों से संबद्ध उपभोक्ताओं का विद्युत् प्रदाय चालू है. पूर्व से ही ग्रामीण क्षेत्रों में जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को अधिकतम 7 दिवस के अन्दर बदले जाने के निर्देश हैं, अत: पुन: निर्देश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- अध्यक्ष महोदय जी, पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत किए गए कनेक्शन, लाइनें और ट्रांसफार्मर में से

पुष्पराजगढ़ विधान सभा में कम से कम 101 ट्रांसफार्मर 1 महीने से लेकर 1 साल से बिगड़े हुए हैं. मेरी पुष्पराजगढ़ विधान सभा के दूसरे विकासखंड जैतहरी जनपद पंचायत के 32 ट्रांसफार्मर 4-6 महीने से बिगड़े हुए हैं लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार का सुधार कार्य और परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा रही है.मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के 101 और जनपद पंचायत जैतहरी के 32 ट्रांसफार्मर्स जो खराब हैं, यह कब तक बदल दिए जाएँगे ताकि मजरा टोला गाँवों में प्रकाश की व्यवस्था हो सके.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 दिनों के अन्दर जितने भी जले हुए ट्रांसफार्मर हैं बदल दिये जायेंगे.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लगभग 125 मजरा-टोला गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं.

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्न इससे उद्भूत नहीं हो रहा है. आपने इसमें मजरा टोला का कहां पूछा है ?

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में है. मैं निवेदन करना चाहूंगा जो ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है उन गांवों में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपपुर जिले के लिये 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 38 करोड़ रुपये की योजना हाल ही में मंजूर हो गई है उसके भी टेंडर किये जा रहे हैं. जैसे ही यह काम शुरु होगा तो विद्युतीकरण से बचा हुआ जो क्षेत्र है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने बताया है, इस नई योजना के अन्तर्गत वहां सारे काम कर दिये जायेंगे.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और करना चाहता हूँ यह बीपीएल परिवार से संबंधित है जो कि आज भी वंचित हैं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जो बीपीएल परिवार बचे हैं उन्हें जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया था यह आज तक नहीं जोड़े गये हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप कृपा करके बैठ जायें. प्रश्न क्रमांक 6 श्रीमती ममता मीना.

प्रश्न संख्या—6

मध्यप्रदेश की विद्युत् वितरण कम्पनियों की वर्ष 2003 से अब तक ऑडिट एवं सी.ए.जी. रिपोर्ट एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत् वोल्टेज तथा आपूर्ति बाबत्

6. (*क्र. 623) श्रीमती ममता मीना : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियां 1. मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी, 2. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी, 3. पश्चिमी क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी के लिये मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से वर्ष 2013-14 तक कुल कितने मिलियन यूनिट विद्युत् की खरीदी की गई है, वर्षवार विवरण दें? वितरण कंपनियों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षवार कितने मिलियन यूनिट विद्युत् विक्रय की गई? (ख) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी का वर्ष 2010 से 2014 तक कितना विद्युत् उत्पादन हुआ एवं कितनी बिजली खरीदी? (ग) मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा म. प्र. प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 3 के अनुसार गुना जिले के ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2010 से 2014 तक घोषित विद्युत् वोल्टेज से कम दिया वार्षिक रिपोर्ट दें? (घ) वर्ष 2014 से विद्युत् वोल्टेज की मासिक औसत की जानकारी दें एवं यह बताये कि ग्रामीण क्षेत्र में घोषित वोल्टेज से कम वोल्टेज पर विद्युत् सप्लाई वाले उपभोक्ताओं के बिल कम होंगे या माफ होंगे या उन्हें जमा करने पड़ेंगे तथा ओला पीड़ित किसानों के विद्युत् पंपों के बिल इस वर्ष के माफ होंगे कि नहीं? चांचौड़ा जहां वोल्टेज कम हैं वहां नवीन विद्युत् उपकेन्द्र कब और कैसे स्थापित होंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रदेश की तीनों विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2010 से 2014 तक वर्षवार क्रय एवं वितरित की गई विद्युत् का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है. (ख) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा वर्ष 2010 से 2014 तक उत्पादित विद्युत् का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''स'' में है. जनरेटिंग कंपनी द्वारा बिजली नहीं खरीदी जाती है. (ग) प्रदेश में विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वोल्टेज पर विद्युत् प्रदाय किया गया है, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''द'' में है. (घ) म. प्र. म. क्षे. वि. वि. कं. लि. अन्तर्गत गुना जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रश्नाधीन अवधि में म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही विद्युत् सप्लाई वोल्टेज प्रदाय किया, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र ''इ'' में दर्शाया गया है. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विद्युत् सप्लाई में आये अवरोधों को निर्धारित समयावधि में सुधार कर विद्युत् प्रदाय चालू नहीं होने की स्थिति में, विद्युत् बिलों की राशि निरस्त/संशोधित किये जाने का प्रावधान है. अन्य किसी श्रेणी के विद्युत् बिल माफ करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है. चाचौड़ा क्षेत्र में नवीन 33/11 के.व्ही. उपक्रेन्द्र ग्राम बारोद एवं गेहूंखेडी में स्थापित किये जाने का प्रावधान, 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित है. उक्त कार्य की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है. कार्यादेश जारी होने के पश्चात् कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा 24 माह निर्धारित है.

श्रीमती ममता मीना—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ. मेरे प्रश्न घ के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ. मेरा प्रश्न है कि वर्ष 2014 से विद्युत वोल्टेज की मासिक जानकारी दें एवं यह बतायें कि ग्रामीण क्षेत्र में घोषित वोल्टेज से कम वोल्टेज पर विद्युत सप्लाई वाले उपभोक्ताओं के बिजली के बिल क्या कम होंगे या माफ किये जायेंगे या उपभोक्ताओं को बिल जमा करने पडेंगे. ओला पीड़ित किसानों के विद्युत पंपों के बिजली के बिल इस वर्ष माफ होंगे या नहीं होंगे ? जहां तक चाचौड़ा विधान सभा क्षेत्र का मामला है यहां पर वोल्टेज कम है. नवीन विद्युत उप केन्द्र कब और कैसे स्थापित होंगे.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, वोल्टेज की समस्या जहां पर होती है वहां नये सब स्टेशन बनाये जाने की जरुरत होती है. माननीया सदस्य के क्षेत्र में दो नये सब स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं. ग्राम बारोद (बड़ौद) एवं गेहूं खेड़ी में इनका काम शुरु होगा. यह काम पूरा होते ही वोल्टेज की समस्या का

समाधान होगा. जहां तक ओला पीड़ित एवं अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के बिजली के बिल की माफी की बात कही है इस प्रकार का प्रावधान नहीं होता है यदि कोई ओला पीड़ित हैं या अतिवृष्टि से प्रभावित हैं तो उन्हें राहत राशि के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है.

श्रीमती ममता मीना—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में दर्शाया गया है कि 11 केवी और 33 केवी के दो नये सब स्टेशन बनाये जायेंगे. यह एक साल से स्वीकृत हैं अभी तक नहीं बनाये गये हैं.

अध्यक्ष महोदय, मैं नयी सदस्य हूँ आपका संरक्षण चाहूंगी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, 20 साल में पहली बार सदन में इसकी आवाज उठाई जा रही है. 132 केवी का सब स्टेशन पूरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है इसलिये वोल्टेज कम है. राजीव गांधी विद्युतीकरण का काम भी हमारे विधान सभा क्षेत्र चाचौड़ा में हुआ है. हमारे यहां वोल्टेज नहीं है और बिजली के बिल बराबर आ रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—वोल्टेज का उत्तर माननीय मंत्रीजी ने दे दिया है. आप इसके अतिरिक्त कोई एक प्रश्न कर लें.

श्रीमती ममता मीना—प्रश्न के उत्तर में बारोद में सब स्टेशन खोलने की बात लिखी गई है यह बारोद नहीं बल्कि बड़ौद है. दूसरा सब स्टेशन गेहूंखेड़ी में प्रारंभ होना है यह एक साल से स्वीकृत है इसकी समय सीमा 24 माह की बताई गई है जिसमें से 12 माह का समय व्यतीत हो चुका है अब तक इसे बन जाना चाहिये था. साथ ही वोल्टेज बढ़ाने के लिये 132 केवी के सब स्टेशन का भी प्रावधान रखना चाहिये. फीडर सेपरेशन का काम भी मेरी विधान सभा क्षेत्र में किया जाये.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब स्टेशन एक वर्ष पूर्व मंजूर नहीं हुए हैं बल्कि अभी मंजूर हुए हैं और यह माननीया सदस्य के सक्रिय होने के बाद ही मंजूर हुआ है इसका काम बहुत जल्दी शुरु करेंगे और पूरा करेंगे.

नहलेसरा तथा जमुनियां तालाब की नहरों का सुदृढ़ीकरण

7. (*क्र. 2210) श्री के. डी. देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि बालाघाट जिले के कटंगी की जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 मई 2013 को नहलेसरा तथा जमुनियां तालाब की नहरों का सुदृढ़ीकरण करने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हां, तो आज दिनांक तक जल संसाधन विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हां. (ख) परियोजनाओं की डीपीआर बनाई गई परीक्षण में है.

श्री के.डी.देशमुख:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा को लगभग 15 माह हो चुका है और ये दोनों सिंचाई की परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दोनों परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण की कितनी लागत की डीपीआर थी। परीक्षण में कितना समय और लगेगा और इस योजना की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक मिल जायेगी ?

श्री जयंत मलैया:- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालाघाट के नहलेसरा और जमुनिया जलाशय के नहरों के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की थी। जैसा देशमुख जी ने कहा नहलेसरा में डीपीआर की लागत 16 करोड़ 85 लाख रूपये और जमुनिया कि 9 करोड़ 22 लाख रूपये । ये हमारी 10 जून, 2014 को हमारे मुख्य अभियंता सिवनी द्वारा तैयार कर ली गयी है और यह अभी बोधी के पास परीक्षण के लिये आयी हुई है और मैं समझता हूं कि 10 अगस्त, 2014 तक परीक्षण का कार्य पूरा होगा।

मुआवजा राशि का भुगतान

8. (*क्र. 1805) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा निर्मित पुनासा डेम के डूब क्षेत्र अन्तर्गत हरदा एवं देवास जिले के व्यक्तियों को कृषि भूमि, आवासीय भूमि आदि की कितनी मुआवजा राशि दी गई? पृथक्-पृथक् बतावें? (ख) क्या प्रश्न दिवस तक प्रश्नांकित जिलों में मुआवजा राशि से वंचित किसान/मजदूर आज भी शेष है? यदि हां, तो कहां-कहां, किन-किन परिवारों को स्वीकृत मुआवजा राशि दिये जाना शेष है? कितनी-कितनी राशि मुआवजा हेतु स्वीकृत हुई थी व कितनी दी गई व कितनी देना शेष हैं? (ग) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में मुआवजा से वंचित ग्रामीणों ने हरदा जिले में नर्मदा नदी में, डूब क्षेत्र में जल सत्याग्रह भी किया था? यदि हां तो शासन ने कब, किस-किस को भूमि, मकान आदि का मुआवजा स्वीकृत कर उन्हें दिया गया यदि नहीं, तो क्यों? पूर्ण ब्यौरा दें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) इंदिरा सागर परियोजना के तहत् हरदा जिले के कुल 29 ग्राम डूब से प्रभावित हुये है, प्रभावित ग्रामों में कुल 1903.57 हेक्टर कृषि भूमि तथा 22297.98 व. मी. आबादी भूमि अर्जित की जाकर रुपये 5568.71 लाख का मुआवजा प्रभावित परिवारों को भुगतान किया गया है. कृषि भूमि के प्रभावितों को रुपये 1650.18 लाख का विशेष पुनर्वास अनुदान भी भुगतान किया जा चुका है. इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत देवास जिले के कुल 25 ग्राम डूब प्रभावित हुए है, प्रभावित ग्रामों में कुल 1301.11 हेक्टर कृषि भूमि तथा 23309.96 व. मी. आबादी भूमि अर्जित की जाकर रुपये 3259.33 लाख का मुआवजा प्रभावित परिवारों को भुगतान किया गया है. कृषि भूमि के प्रभावितों को रुपये 1443.95 लाख रुपये का विशेष पुनर्वास अनुदान भी भुगतान किया जा चुका है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है. (ख) इंदिरा सागर परियोजना में समस्त पात्र परिवारों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है. जिन परिवारों में विस्थापितों की मृत्यु होने एवं विस्थापितों द्वारा पाईप लाईन जमा न करने आदि के कारण भुगतान नहीं हुआ है उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है. (ग) जी हां. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है.

डॉ रामकिशोर दोगने:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो मंत्री जी का जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। हमारे 29 गांव हमारे हरदा जिले के डूब में थे पर जवाब में 14 गांवों की जानकारी आयी है। 14 गांवों की जानकारी में भी एक गांव की स्थिति यह है कि कगबड़ी गांव के 62 लोगों को हर्जाना नहीं मिला है। खरदाना के 80 लोगों को हर्जाना नहीं मिला है, ऊआं के 108 लोगों को हर्जाना नहीं मिला है। ऐसे मुआवजा काफी लोगों को नहीं मिला है। यहां पर लोगों के जीवन मरण का सवाल है, वहां लोग अपनी जमीन और मकान छोड़कर वहां से जाते हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं है , उन लोगों को कब तक मुआवजा मिल जायेगा,जबकि डेम 10 साल पहले बन चुका है और मुआवजा 10 साल पहले का बना हुआ है और मुआवजा 45 हजार, 25 हजार और 50 हजार है, वह गरीब हरिजन, आदिवासी आदमी हजार और 50 हजार में क्या करेगा। मेरा मंत्री से अनुरोध है कि यह मुआवजा कब तक मिल जायेगा ? और उनको बोनस के रूप में क्या दिया जायेगा। वे 10 साल से इंतजार कर रहा है मुआवजे का तो वर्तमान में उनको किस स्थिति में मुआवजा दिया जायेगा और उनके रहने की व्यवस्था क्या की जा रही है।

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य):- अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डूब प्रभावित जो इलाका होता है तो उसमें जो किसान प्रभावित होते है। उनका परीक्षण कलेक्टर के स्तर भी होता है। एनव्हीडीए भी परीक्षण कराता है और हमने भी यह परीक्षण कराया है। इंदिरा सागर परियोजना में जो पात्र लोग है उनको मुआवजे की राशि दे दी गयी है। यह कहना सही नहीं है कि उनको भुगतान नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कुछ 7 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पाईप लाईन जमा नहीं की है या फिर न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। उनको इस कारण से मुआवजे की राशि नहीं मिली है। लेकिन फिर भी हमने अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि जिन्होंने पाईप लाईन नहीं दी है हम अपने विभाग द्वारा अपने वाहन से वह किसान अपनी पाईप लाईन हमें दे दें। ताकि हम उन प्रकरणों का भी निराकरण कर दें।

डॉ रामकिशोर दोगने:- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो किसान अभी बचे हुए हैं उनको 10 साल का मुआवजा , जो 10 साल पहले डिक्लेयर हुआ था उसकी वेल्यू 10 में क्या हो गयी होगी मेरा कहना है कि उनको वह मुआवजा ब्याज सहित दिया जाये या उसकी वेल्यू बढ़ाकर दी जाये जिससे उन गरीबों का फायदा हो सके ,कहीं जाने में शिफ्ट होने में फायदा हो सके इस जानकारी में जो दिया है कि पेन कार्ड नहीं दिया है या दूसरी जानकारी नहीं दी इसलिये मुआवजा नहीं दिया, गरीब आदिवासी किसान पेन कार्ड नहीं जानता है कि क्या होता है और 10 साल पहले कौन सा पेन कार्ड आ गया था। आज मुआवजा पेन कार्ड के कारण से रोककर रखा है। यह सब व्यवस्था सरकार को बनानी पड़ेगी और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें कई लोगों ने बोगस मुआवजा लिया है और जो गरीब है उनको मुआवजा नहीं मिला है। उसकी पुन: जांच करायी जाये और जो मुआवजे से वंचित हैं उनको मुआवजा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय - आप उत्तर तो ले लें.

श्री लालसिंह आर्य - अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 10 वर्ष पहले के आधार पर क्या आप मुआवजा देंगे अगर कोई पात्र है. हमारे संज्ञान में कोई 10 वर्ष पहले का मामला आएगा तो ब्याज देय होगा. इसके बावजूद भी मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप और हम बैठकर विचार कर लेंगे. अगर ऐसा लगता है तो दोबारा परीक्षण करा लेंगे. किसी भी पात्र व्यक्ति को हम मुआवजा देने से छोड़ेंगे नहीं. यह हमारी प्रतिबद्धता है.

अवैध रेत उत्खनन और भण्डारण की जप्ती

9. (*क्र. 1667) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज साधन विभाग एवं एम.पी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के तहत 1 जनवरी 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक भिण्ड जिले के अन्तर्गत किस प्रक्रिया के तहत रेत खनिज की कौनसी खदानें संचालित है? किस अनुबंध के तहत रेत उत्खनन किया जा रहा है? जानकारी दें? (ख) भिण्ड जिले में रेत उत्खनन के लिये कितनी रायल्टी (राजस्व) किस पर कब से बकाया है? राजस्व वसूली के लिए क्या प्रक्रिया प्रश्नांश दिनांक तक अपनाई गई है? कौन लोग डिफाल्टर घोषित किए गए हैं? क्या उनके द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा है? जानकारी दें? (ग) भिण्ड जिले के अन्तर्गत वर्ष 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक अवैध रेत उत्खनन भण्डारण परिवहन करते हुए वाहनों के कौन-कौनसे प्रकरण बनाये गये? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? चालकों परिवहन और परिवहन मालिकों सहित जानकारी दें? (घ) विधान सभा क्षेत्र भिण्ड के अन्तर्गत विगत दो वर्ष में खदान ओझा से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन से कितने राजस्व की क्षति हो रही है? विगत दो वर्ष 2011-12 व 2012-13 में टेहनगुर में कितना अवैध रेत भण्डारण जप्ती की कार्यवाही की गई थी? यदि हां तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन जिले में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत रेत खदान संचालित है. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के पक्ष में समस्त रेत खदानें नियमानुसार स्वीकृत हैं. राज्य खनिज निगम द्वारा रेत खनन कर विक्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. उच्चतम निविदाकर्ता द्वारा रेत का विक्रय कार्य किया जा रहा है. प्रश्नानुसार जिले में संचालित खदान की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है. (ख) भिण्ड जिले में रेत खदानों से शासन को देय राजस्व बकाया नहीं है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में रेत अवैध उत्खनन के 7 प्रकरण, अवैध परिवहन के 719 प्रकरण तथा अवैध रेत भण्डारण के 6 प्रकरण बनाए गए हैं. प्रश्न में आरोपित अर्थदण्ड वसूल किये गये अर्थदण्ड तथा वाहन चालकों/वाहन मालिकों जिनके विरुद्ध अर्थदण्ड किया गया है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' में दर्शित है. (घ) प्रश्नाधीन रेत खदान ओझा से अवैध रेत खनन, परिवहन की प्रश्नाधीन अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. ग्राम टेहनगुर में दिनांक 16-10-2013 को रेत खनिज के अवैध भण्डारण की जप्ति की कार्यवाही की गई है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' में दर्शित है. प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड के समक्ष विचाराधीन है.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह – माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि निविदा बुलाकर ठेके किये गये. माननीय मंत्री जी बताएंगे कि कब निविदाएं बुलाई गईं और कब ठेके हुए ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल – माननीय अध्यक्ष महोदय, सब जानकारी उत्तर में दी हुई है. यह निविदा फरवरी-मार्च,2015 में खत्म होने वाली है. दो वर्ष के लिये निविदाएं की जाती हैं. लगभग डेढ़ वर्ष हो गया है.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह – माननीय अध्यक्ष महोदय, खदानें जून,2004 से 2014 तक के लिये स्वीकृत थीं जिनका अनुबंध भी 2014 तक कलेक्टर द्वारा किया गया था. सितम्बर,2010 को भिण्ड की रेत खदानों का अनुबंध करने हेतु शासन का आदेश आया. इस आदेश के अनुसार 2004 से 2014 तक के लिये अनुबंध कराया जाता है. सितम्बर,2000 में शासन के आदेश से 10 वर्ष के लिये पुन: खदान बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है जबकि अभी दो माह पहले खदानों के लिये 2020 तक के लिये स्वीकृति आदेश जारी किये गये हैं जो नियम विरुद्ध हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 27 फरवरी,2012 का आदेश है कि कोई भी नयी खदान अगर ली जायेगी तो पर्यावरण विभाग से एन.ओ.सी. चाहिये. उससे बचने के लिये अधिकारियों ने 6 महिने के लिये खदानें बढ़ाई हैं. यह नियम विरुद्ध है. जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो फिर आपने खदानों की नीलामी क्यों नहीं की जबकि 2014 तक खदानें थीं. 6 महिने के लिये खदानें क्यों बढ़ाईं गईं. इसके पहले का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल – माननीय अध्यक्ष महोदय, खदानों की अवधि बढ़ाने का जितना नियमों में प्रावधान था उसी आधार पर इन खदानों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है. जैसा अभी हम सबने सुना कि भारत सरकार के SEIAA के गठन के कारण रेत की आवश्यक्ता निर्माण कार्यों और अन्य कार्यों में बहुत ज्यादा होती है. इसलिये इस नियम में जो प्रावधान थे उसको आधार बनाते हुए इसको आगे बढ़ाया गया.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया. मुझे आपका संरक्षण चाहिये. अधिकारियों की लापरवाही के कारण खदानों में हजारों लोग मर रहे हैं. इसमें नीति बदलनी चाहिये. भिण्ड, मुरैना में गोलियां चल रही हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, SEIAA का गठन तो अभी हुआ है. खदानें तो पहले बंट गईं.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह – माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है ख में कि भिण्ड जिले में रेत ठेकेदारों कितना राजस्व बकाया है ? यह प्रश्न पूछने की मेरी मंशा यह थी कि खनिज निगम का उनके

ठेकेदारों पर कितना बकाया था ? लेकिन इस सदन को गुमराह किया गया. मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि खनिज निगम की ठेकेदारों पर कितनी वसूली है. और वह खदानें क्यों चला रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, वसूली कोई बाकी नहीं है.

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह—अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर साढ़े तीन करोड़ रूपये बकाया हैं यह रिपोर्ट में भी है. आप चाहें तो इसको पटल पर रख दें. आप जवाब तो दिलवाएं. सारी रेत खदाने जा रही हैं उनसे वसूली नहीं हो रही है.

श्री सोहनलाल वाल्मिक—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न में साढ़े तीन करोड़ की बात कर रहे हैं मंत्री जी अलग जवाब दे रहे हैं दोनों के अलग अलग प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, आप तो इसकी जांच करा दीजिये.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाएं उनका उत्तर आने दें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर, दतिया, भिंड, की खदानों को खनिज निगम के माध्यम से जो ठेके दिये गये थे यह ऐतिहासिक रूप से बढ़कर के ठेके आये हैं जहां से 24-25 करोड़ रूपये शासन के खजाने में आते थे वहां से 44-45 करोड़ रूपये खजाने में आने के लिये इस बार कांट्रेक्ट हुआ है और लगातार खदाने चल रही हैं एकाध तहसील की खदानें एडवांस पैमेन्ट ठेकेदारों के न करने के कारण उनकी खदानों को बंद कर दिया जाता है, फिर उसको विभागीय रूप से चलाने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य को शंका है पैमेन्ट को लेकर वह अपने रिकार्ड मुझे दिखा देंगे, हम अपने रिकार्ड उनको दिखा देंगे तो उसका समाधान हो जायेगा.

अध्यक्ष महोदय—आप उनको रिकार्ड दिखा दीजिये. वह प्रश्न पूरा हो गया है, यह बात ठीक नहीं है. आपके पेपर्स हैं को बता दीजिये. आपसे मेरा अनुरोध है कि आपके बहुत सारे प्रश्न हो गये हैं मंत्री जी ने कहा है कि आप उनको सारी जानकारियां उपलब्ध करा दें.

(व्यवधान)

प्रश्न क्रमांक-10

भिण्ड जिले के ग्राम डांग पहाड़ एवं कीरतपुरा में पत्थरों का अवैध खनन

10. (*क्र. 1467) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद, जिला भिण्ड ने पत्र क्रमांक-क्यू/एसडीओ/एसटी/2014/346, गोहद दिनांक 5-2-2014 को कलेक्टर, भिण्ड को ग्राम डांग पहाड़ एवं कीरतपुरा में पत्थर के हो रहे अवैध उत्खनन, ब्लास्टिंग, प्रदूषण बोर्ड की शर्तों का उल्लंघन एवं बिना रायल्टी के रसीद काट कर परिवहन किए जाने के कारण समस्त अनुमति निरस्त किये जाने बाबत् पत्र लिखा था? (ख) यदि हां तो क्या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद की रिपोर्ट पर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा 14 लीज धारियों की लीज समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक खदानों से उत्खनन बंद किये जाने हेतु आदेश दिया था? (ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में किन-किन लीज धारकों द्वारा कौन-कौन सी शर्तें पूर्ण की गई? विवरण दें? (घ) क्या प्रश्नकर्ता एवं अन्य नागरिकों द्वारा उक्त अवैध उत्खनन के संबंध में कलेक्टर, भिण्ड को अवगत कराए जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

(क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनाँक 05.02.2014 अनुसार पट्टेदारों द्वारा आबादी से 500 मीटर की दूरी से कम क्षेत्र में भी क्रशर स्थापित करने, बिना अनुमति के ब्लास्टिंग किये जाने, प्रदूषण निवारण बोर्ड की शर्तों का पालन नहीं किये जाने, बगैर रायल्टी रसीद के खनिज परिवहन करने, खदानों में सीमाचिन्ह स्थापित नहीं करने तथा खदानों को दर्शाने वाले बोर्ड स्थापित नहीं करने संबंधी आक्षेप लगाये गये थे, इन आक्षेपों की पूर्ति किये जाने का प्रतिवेदन 12 उत्खनिपट्टाधारियों के संबंध में क्रमशः दिनाँक 30.04.2014 तथा 06.05.2014 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त जाँच प्रतिवेदनों अनुसार जिन पट्टाधारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति की गयी है, उसकी जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''एक'' तथा परिशिष्ट–''दो'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर में उल्लेखित अनुसार शर्तों की पूर्ति के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदनों के संबंध में जिला योजना समिति की बैठक में हुई चर्चा अनुसार पुनः टीम गठित कर जाँच कराई जा रही है। जाँच कार्यवाही प्रचलन में है।

डॉ.गोविन्द सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से अपने सवाल के जवाब में पूछा था कि अनुभागीय अधिकारी गोहद ने पत्र लिखा कलेक्टर को कि अवैध उत्खनन हो रहा है उसमें 500 मीटर से ज्यादा के गड्डे हैं बिना प्रदूषण विभाग की मंजूरी के क्रेशर चल रहे हैं 100-100 फिट के गड्डे हो गये हैं और शासन को लाखों और करोड़ो रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है इसके बाबत् मैंने प्रश्न किया था और उन्होंने लिखा था, यह मध्यप्रदेश में आश्चर्यजनक घटना है कि चार पांच दिन के अंदर सारी कमियों की पूर्ति हो गई और सभी खदाने करोड़ो रूपये लेकर के वहां पर 32 क्रेशर चल रहे हैं उसमें एसडीएम-कलेक्टर सब लोग शामिल हैं इसमें मैं शासन और जनता के हित की बात कर रहा हूं इसमें न्याय चाहिये. इसमें कलेक्टर, एसपी, एसडीएम नीचे से ऊपर तक खा रहे हैं और भिंड जिले में इस बारे में सब लोगों को मालूम है मैं पूछना चाहता हूं कि पत्र के बाद से आपने कौन कौन सी कमियों की पूर्ति कर ली इसमें सरकार का जवाब है कि कमी का परिशिष्ट 1 एवं 2 पर उल्लेख किया गया है. परिशिष्ट 1 पर लिखा है कि मालिकों

द्वारा पूर्व में पायी गई कमियों को पूर्ण कर लिया गया है, परिशिष्ट 2 में भी लिखा है कि खदान मालिकों द्वारा पूर्व में पायी गई कमियों को पूर्ण कर लिया गया है. मैंने उनसे पूछा है और उसका जवाब घुमा-फिराकर दिया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि और स्पष्ट है कि आपका इसमें लेना देना है नहीं तो आप कम से कम आज ही

तत्काल जाकर एक तो कृषक जो लोक प्रयोजन के लिये नगरपालिका को एक सौ सन्त्यानबे हेक्टेयर जमीन...

अध्यक्ष महोदय--आप प्रश्न कर दें.

डॉ. गोविन्द सिंह--अध्यक्ष महोदय, जो लोकप्रयोजन के लिये बस्ती के अंदर की उस जमीन में भी पूरे में उत्खनन हो गया, क्या आप आज ही दोनों भ्रमपूर्वक जवाब देने के कारण प्रशासन के द्वारा सांठगांठ करने के कारण आप यहां से किसी को भेजकर जांच करायेंगे ? एक तो यह और दूसरा योजना समिति भिंड की बैठक में 9 जून को तय हुआ था कि मौके पर जाकर एक माननीय स्थानीय विधायक और मंत्री लाल सिंह जी आर्य का प्रतिनिधि रहेगा और एक मेरा रहेगा दोनों जाकर एस.डी.एम. के साथ, प्रशासन के साथ जाकर जांच करेंगे, पर आज तक वह जांच न करने का कारण बतायें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि 15 फरवरी को एस.डी.एम. ने रिपोर्ट दी थी कि खदानें बंद कर देना चाहिये और फिर 2 महीने बाद 2 रिपोर्ट आईं, जिसमें कि पहले 10 रेतधारियों ने शर्तों का पालन कर लिया, कमियों को दूर कर दिया और उसके बाद 2 और रेतधारकों ने कमियों को दूर कर दिया और उनकी खदान शुरू करने के लिये एस.डी.एम. ने प्रतिवेदन दिया और कलेक्टर ने उसको शुरू कर दिया लेकिन उसके बाद जब आपने जिला योजना समिति में इस बात को उठाया कि यह जांच प्रतिवेदन सही नहीं है, तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें एस.डी.एम., नायब तहसीलदार, माननीय इन्सपेक्टर और सर्वेयर इन 4 लोगों की समितियां बनाने का निर्णय हुआ है, यदि आप चाहेंगे तो यह जो समिति रिपोर्ट देगी उसकी जांच करने के लिये मैं भोपाल से वरिष्ठ खनिज के जो अधिकारी हैं उनको भेजकर उसको क्रास चैक करा लेंगे और जो शंका तथा जो गलत कार्य वहां होने की बात आपने कही है, उसकी जांच करा लेंगे.

डॉ. गोविन्द सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है. सदन में माननीय प्रभारी मंत्री जी मौजूद हैं, और लाल सिंह जी आर्य, राज्यमंत्री जी उपस्थित हैं, आप सबके सामने यह तय हुआ था कि एक-एक प्रतिनिधि जनता का भी जायेगा और उसमें योजना समिति में निर्णय हुआ था, आज

सब मौजूद हैं और इस तरह से जो गलत सदन को जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध भी जांच कराकर कठोर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि प्रतिवेदन में किसी जांच रिपोर्ट जांच दल यह कहता है कि प्रतिवेदन सही नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से जिस अधिकारी ने गलत जानकारी दी है....

डॉ. गोविन्द सिंह--वहां जांच हुई नहीं थी, सही क्या था जांच तो हुई ही नहीं थी, तब जांच का हमने कहा कि भेजकर जांच कराओ.

श्री राजेन्द्र शुक्ल--जांच तो अब हो रही है.

डॉ. गोविन्द सिंह--जांच तो हुई नहीं, केवल पैसा खाकर जांच हो गई जेब में डालो और बस.

अध्यक्ष महोदय--वे वहां एक टीम भेज रहे हैं और उसमें उनके विरूद्ध रिपोर्ट आयेगी, तो वे कार्यवाही करेंगे.

डॉ. गोविन्द सिंह--अध्यक्ष जी, आपका निर्णय शिरोधार्य, लेकिन सवाल यह है कि जब माननीय पूरा प्रशासन, प्रभारी मंत्री का अपमान है, हमारा अपमान है और विधायक नरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, उनके सामने तय हुआ था कि एक एक प्रतिनिधि, लिखा गया था प्रोसीडिंग में एक प्रतिनिधि हमने नाम बताया था, स्थानीय विधायक जी ने नाम बताया था कि हम भेजेंगे और उसके बाद भी कह दिया कि कमेटी में नाम ही नहीं है कैसे कमेटी बना ली ? चोर ही करेगा चोरी और चोर ही जांच करेगा, तो कैसे न्याय मिलेगा लोगों को ? हम मानते हैं कि आप साफ-सुथरे हो और आपकी ईमानदारी पर हमें बिल्कुल शक नहीं है क्योंकि आपको यह खदानें फदानें छोटी-मोटी से कोई लेना-देना नहीं है (हंसी) तो इसकी जांच अध्यक्ष जी...

श्री उमाशंकर गुप्ता--अध्यक्ष जी, गोविन्द सिंह जी को काहे-काहे से लेना देना है, वह बता दें.

डॉ. गोविन्द सिंह--केवल आप इतना कह दें इसका भी परीक्षण करा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय--इसका परीक्षण करा लेंगे आप ?

डॉ. गोविन्द सिंह--यह तय हुआ था, निर्णय हुआ था कि नहीं बस.

अध्यक्ष महोदय--निर्णय का परीक्षण करा लेंगे ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल--अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण तो करा लेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों को, राजनैतिक व्यक्तियों को जांच दल में शामिल होने से अनावश्यक विरोध होता है.

डॉ. गोविन्द सिंह--नहीं, जब तय हो गया, निर्णय तो हुआ था. हम नहीं हैं उसमें शामिल.

अध्यक्ष महोदय--वह परीक्षण करा लेंगे.

प्रश्न संख्या (11)--.....

मुलताई वि. स. क्षेत्र में जलाशयों की लाइनिंग

11. (*क्र. 1199) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधान सभा में कितनी जलाशय की लाइनिंग का कार्य स्वीकृत हुआ एवं कौनसी एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है? (ख) लाइनिंग का कार्य कब पूरा कराये जायेगा? (ग) लाइनिंग के कार्यों में जो मटेरियल उपयोग किया जा रहा है वह गुणवत्तायुक्त है या नहीं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) आर.आर.आर. योजना के तहत लघु सिंचाई परियोजनाओं में लाईनिंग का कार्य कराये जाने का प्रावधान रखा गया है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ग) सामग्री गुणवत्तायुक्त होना प्रतिवेदित है.

श्री चन्द्रशेखर देशमुख--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा मुल्ताई में 14 जलाशयों में लाइनिंग स्वीकृत हुई है, बाकी जलाशयों में लाइनिंग एवं चन्दुरा जलाशय मध्यम परियोजना की लाइनिंग का का कार्य कब स्वीकृत होगा ?

श्री जयंत मलैया--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय के विधान सभा क्षेत्र में 14 जलाशयों की लाइनिंग का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसमें से 4 जलाशयों की लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और 10 जलाशयों में लाइनिंग का काम अभी चल रहा है.

महाविद्यालयों की भूमि का सीमांकन एवं भूमि अधिग्रहण

12. (*क्र. 2091) श्री राजेन्द्र पाण्डेय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भगतसिंह शासकीय महाविद्यालय जावरा की भूमि का सीमांकन किया गया है? (ख) यदि हां, तो उक्त भूमि का सीमांकन कब किया जाकर उसका रिकार्ड कहां पर है? किसके पास होकर किस स्थिति में है? (ग) क्या कालुखेड़ा तह. पिपलौदा स्थित शासकीय महाविद्यालय कालुखेड़ा हेतु कालुखेड़ा मण्डी की व्यर्थ रिक्त भूमि को कालेज भवन हेतु अधिग्रहित किए जाने की मांग ग्राम पंचायत एवं छात्र-छात्राओं ने की है? यदि हां, तो कालेज भवन हेतु भूमि अधिग्रहण की क्या कार्यवाही की जा रही है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं. (ख) प्रकरण राजस्व कार्यालय में विचाराधीन है. (ग) जी नहीं. कलेक्टर द्वारा महाविद्यालय भवन हेतु पृथक् से भूमि आवंटित की गई है.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नांश (क)के उत्तर में कहा गया है कि जी नहीं और (ख) के उत्तर में कहा गया है कि प्रकरण राजस्व कार्यालय में विचाराधीन है. मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जावरा शासकीय महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1961-62 में हुई और इसको लगभग 62 वर्ष बीत चुके हैं. महाविद्यालय की भूमि का सीमांकन नहीं होने की वजह से वहां पर एलआईसी ने अपना भवन बना लिया. वहां पर स्कूल विभाग ने अपने स्कूल भवन बना लिये. वहां पर न्यायाधीश का निवास बनाये जाने के लिये भूमि आवंटित कर दी गयी और भूमि का सीमांकन अभी तक क्यों नहीं किया गया. अगर प्रकरण विचाराधीन है, जैसा कि कहा गया है. मेरी जानकारी में जो आया है, प्रश्न लगने के पश्चात् राजस्व विभाग का अमला एसडीएम, तहसीलदार, महाविद्यालय के प्राचार्य उनके प्राध्यापकों पर इतने ज्यादा नाराज हुए कि यह प्रश्न कहां से किस प्रकार की जानकारी के आधार पर आ गया.

अध्यक्ष महोदय -- आप अपना प्रश्न करें.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि उसकी समय सीमा निश्चित की जाय.

अध्यक्ष महोदय -- भूमि आवंटित हो गयी है. आप उत्तर (ग) पढ़िये.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, इसको 62 वर्ष बीत चुके हैं.

अध्यक्ष महोदय -- पर अब भूमि आवंटित हो गयी. आप सीधा प्रश्न पूछ लीजिये.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, आवंटन वाली बात अलग है. मेरा प्रश्नन यह है कि उसकी समय सीमा बतायें और वहां जो अतिक्रमण हो गया है, क्या उसे हटाया जायेगा, उसको हटाने की कार्यवाही की जायेगी.

राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा (श्री दीपक जोशी) -- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नांकित महाविद्यालय की भूमि ग्राम आबादी में होने के कारण, यह 12 हेक्टेयर का रकबा है. इसमें विभिन्न शासकीय उपक्रम के कार्यालय यहां पर स्थापित हुए हैं. इस कारण से हम पृथक से इसका सीमांकन नहीं करवा पाये. लेकिन जब यह बात हमारे ध्यान में आई, तब हमने राजस्व विभाग से मांग की कि महाविद्यालय की भूमि का सीमांकन करके बतायें.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, यह सीमांकन कब तक कर दिया जायेगा.

श्री दीपक जोशी -- अध्यक्ष महोदय, यह राजस्व विभाग के पास है, वह जितनी जल्दी कर देंगे, उतनी जल्दी हम करवा देंगे.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, वह अतिक्रमण भी हटायेंगे क्या.

श्री दीपक जोशी -- अध्यक्ष महोदय, वह 12 हेक्टेयर की भूमि है, विभिन्न विभागों के पास है. हमारे पास जो भूमि है, अगर उस भूमि पर अतिक्रमण होगा, तो हम निश्चित रुप से हटायेंगे.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न है. शासकीय महाविद्यालय, कालूखेड़ा की जिस भूमि के बारे में कहा जा रहा है. हमने निवेदन किया था. वहां पर कृषि उपज मण्डी समिति की व्यर्थ और रिक्त भूमि बेकार पड़ी है. कृषि उपज मण्डी अभी वहां पर प्रारंभ से जब से स्थापित हुई थी, तब से लेकर अब तक कार्यरत नहीं है. ..

अध्यक्ष महोदय -- आप प्रश्न पूछ लें. और सदस्यों के भी प्रश्न हैं, समय हो रहा है.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, अन्य भूमि का वहां पर अधिग्रहण किया जायेगा. कृषि उपज मंडी की भूमि व्यर्थ है, उसमें से.

श्री दीपक जोशी -- अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मंडी बोर्ड की भूमि है. हम सीधे सीधे इसको नहीं ले सकते. हमने मण्डी बोर्ड को लिखा है, विधायक जी का हवाला देते हुए कि क्या वह भूमि हमको दे देंगे. अगर वह दे देंगे, तो हम निश्चित रुप से उस भूमि को ले लेंगे.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, थोड़ा मेरा आग्रह स्वीकार कर लें कि 60-65 साल से यह बात रुकी हुई है. राजस्व मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं. थोड़ा सा विभागीय सामंजस्य हो जाय. सीमांकन भी हो जाय और अतिक्रमण भी हट जाय.

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, कृपा करके उसका निराकरण जल्दी कर दें.

श्री उमाशंकर गुप्ता -- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वास्तव में सही बात उठाई है कि अभी शासन ने जो जमीन वहां के लिये आवंटित की है, वह शहर से काफी दूर है और जाने आने में सुविधा है, ऐसा ध्यान में लाये हैं. हमने मंडी बोर्ड को पत्र भी लिख दिया है कि उनके पास जो अतिरिक्त भूमि है, वे अगर हमें कालेज के लिये दे देंगे तो वह हम भूमि ट्रांसफर कर लेंगे और कालेज वहां बनायेंगे. मैंने अभी कृषि मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रुप से निवेदन किया है और मैं विधायक जी से भी कहता हूं कि वहां की मंडी से अगर अपनी सहमति वगैरह जल्दी भिजवा देंगे, तो यहां निर्णय जल्दी हो जायेगा और कालेज फिर हम उस भूमि पर बना देंगे.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्व मंत्री जी से भी सीमांकन के लिये निवेदन है.

शुजालपुर डिवीजन में 11के.व्ही.एवं एल.टी. लाईन की मरम्मत

13. (*क्र. 332) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शुजालपुर डिवीजन में 11 के.व्ही. एवं L.T. विद्युत् लाईन के पोल जगह-जगह जमीन पर गिरने की स्थिति में होने से तार जमीन से 5-6 फीट की ऊंचाई पर ही झूल रहे हैं, जिससे जन धन की हानि हो सकती है? उक्त पोल व तार का मेन्टेनेन्स क्या प्रतिवर्ष किया जाता है? (ख) वर्ष 2012-13, 2013-14 में मेन्टेनेन्स पर कुल कितना व्यय हुआ? वास्तव में पोल व तार का मेन्टेनेन्स नहीं किया जाता है? क्या इसकी जांच करायेंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, प्रश्नाधीन क्षेत्र में विद्युत् लाईनें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यवस्थित है, तथापि संज्ञान में आने पर तथा नियमित रूप से किये जाने वाले संधारण के अन्तर्गत विद्युत् लाईनों में सुधार कार्य एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है. सामान्यत: प्रतिवर्ष मानसून के पूर्व एवं मानसून के पश्चात् विद्युत् लाईनों के संधारण का कार्य किया जाता है. (ख) प्रश्नाधीन क्षेत्र में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में विद्युत् लाईनों के संधारण कार्य पर क्रमश: राशि रुपये 3.34 लाख एवं राशि रुपये 3.27 लाख का व्यय हुआ है, इस प्रकार प्रश्नाधीन अवधि में कुल राशि रुपये 6.61 लाख का व्यय हुआ है. उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र में विद्युत् लाईनों के संधारण का कार्य किया गया है, अत: जांच कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता.

श्री इन्दर सिंह परमार -- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष वर्षा पूर्व विद्युत लाइनों के संधारण का कार्य पूर्ण कर लिया है, अब विद्युत लाइनें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यवस्थित हैं अथवा नहीं. उसी में मेरा आगे प्रश्न है कि क्या आज भी उक्त क्षेत्र के गांवों में विद्युत लाइनों के तार झूल रहे हैं अथवा नहीं. यदि नहीं झूल रहे हैं, तो क्या मंत्री जी भौतिक सत्यापन करायेंगे.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- अध्यक्ष महोदय, करा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय -- भौतिक सत्यापन करा लेंगे.

श्री कमलेश्वर पटेल -- अध्यक्ष महोदय, पूरे मध्यप्रदेश में सभी जगह यह हाल है,

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति

14. (*क्र. 270) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के त्यौंथर एवं जवा विकासखण्ड अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत है? (ख) क्या स्वीकृत ग्रामों में कार्य प्रारंभ है? यदि हां, तो कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है और कितने ग्रामों में शेष है? (ग) क्या यह सही है कि कुछ ग्रामों में पोल गाढ़ दिये गये हैं तार नहीं खींचा गया है? यदि हां तो उन सभी ग्रामों में विद्युत् सप्लाई कब तक प्रारंभ कर दी जायेगी? (घ) जो पोल गढ़े हैं कितने समय से गढ़े हैं? विद्युत् सप्लाई न होने का कारण क्या है? उक्त कार्य पूरा न होने में दोषी कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) रीवा जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में त्योंथर विकासखण्ड के 138 ग्राम एवं जवा विकासखण्ड के 24 ग्राम तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में त्योंथर विकासखण्ड के 122 ग्राम एवं जवा विकासखण्ड के 120 ग्राम स्वीकृत हैं. 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में उक्त स्वीकृत योजनाओं में विकासखण्डवार सम्मिलित ग्रामों की सूची क्रमश: पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' एवं प्रपत्र ''ब'' में दर्शाए अनुसार है. (ख) जी हां. 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि में स्वीकृत योजनांतर्गत विकासखण्ड त्योंथर के 65 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, 26 ग्रामों में कार्य प्रगति पर हैं तथा 47 ग्रामों में कार्य प्रारंभ करना शेष है एवं विकासखण्ड जवा के 73 ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है, 41 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है तथा 10 ग्रामों में कार्य प्रारंभ करना शेष है. 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्वीकृत योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्य टर्न-की आधार पर कराये जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) जी हां. 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्वीकृत योजना के कार्य माह दिसम्बर 2014 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है. उत्तरांश ''ख'' में दर्शाए अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्वीकृत योजना हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से कार्य पूर्ण होने की अवधि वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है. (घ) रीवा जिले के त्योंथर एवं जवा विकासखण्ड अंतर्गत पूर्व में कार्य संपादित कर रहे ठेकेदार मेसर्स आई.सी.एस.ए. लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा लगभग ढाई वर्ष की अवधि में पोल खड़े किये गये हैं. उक्त ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण उक्त विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है. कार्य में विलंब के लिये दोषी उक्त ठेकेदार एजेन्सी के बिलों से अनुबंध की शर्तों के अनुसार रुपये 29.40 लाख की राशि लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनाल्टी स्वरूप काटी गई है तथा उक्त कांट्रेक्ट दिनांक 20-12-2011 को निरस्त कर मार्च 2012 में मे. बी.एस. लिमिटेड, हैदराबाद को कार्यादेश जारी किया गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है.

श्री रमाकांत तिवारी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जबाब दिया है कि जो कंपनी ठीक से काम नहीं करती थी उसका ठेका निरस्त करके उससे पैनाल्टी भी वसूल की गई , इसके लिये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. और दूसरी कंपनी जो पी.एस. लिमिटेड, हैदराबाद की है उसका कार्य आदेश दिया गया लेकिन उसको भी कार्य आदेश दिये हुये लगभग 28 वर्ष हो गये हैं, उसने भी किसी प्रकार का कोई खास काम नहीं किया है .(XXX)

अध्यक्ष महोदय-- इसको कार्यवाही से विलोपित कर दें.

श्री रमाकांत तिवारी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से वह कंपनी काम कर रही थी जिसका मंत्री जी ने ठेका निरस्त किया पेनाल्टी भी ली उसी तरह से यह कंपनी भी काम कर रही है.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- यह हमारे यहां की बघेलखंड की कहावत है इसको विलोपित मत करें.

श्री कमलेश्वर पटेल -- अध्यक्ष महोदय. रमाकांत जी सच्चाई बयान कर रहे हैं.

श्री रमाकांत तिवारी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री जी के जबाव में ही है तमाम कामों को उन्होंने लिख दिया है कि कार्य प्रगति पर है. उस प्रगति के कामों की बड़ी लंबी लिस्ट है. काम प्रगति पर वह होता है जो काम प्रारंभ होकर के संचालित रहता है उसको प्रगति पर कहते हैं, यहां पर तो काम बंद है. तो काम प्रगति पर कैसे हो गया. मेरा यह कहना है कि 28 वर्षों से खंडे गड़े हुये हैं उसमे तार नहीं हैं जिस कारण से विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है उसको कह दिया गया कि काम प्रगति पर है. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 28 वर्ष से जो बिजली के खंबे गड़े हुये हैं ,जिन गांवों में खंबे गड़े हुये हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है ,उसको पढने में बहुत देर लगेगी. मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां खंबे गड़े हैं जहां पर तार नहीं खींचे हैं वहां पर तार खींचकर के विद्युत प्रवाहित कब तक कर दी जायेगी.

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की वास्तविकता है. अगर हमारी तरफ से बात आती तो जबाव में कोताही बरतते.

श्री राजेन्द्र शुक्ल -- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि दिसंबर 2014 तक और ज्यादा से ज्यादा मार्च 2015 तक इन कामों को पूरा करा लिया जायेगा.

श्री कमलेश्वर पटेल --अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मेरा पूरक प्रश्न है. हमारी विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे ही हालात हैं

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय-- यह उद्भुत नहीं होता. अभी मूल प्रश्नकर्ता खड़े हैं, उनको पूछने दीजिये.

श्री रमाकांत तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, इससे प्रश्न उद्भुत तो नहीं होता लेकिन चूंकि मंत्री जी के विभाग का कार्य है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा . 1 लाख 17 हजार रूपये का बिल शंकर प्रसाद मिश्रा पिता छुटकऊ प्रसाद मिश्रा, ग्राम चिल्ला, त्योंथर विधानसभा क्षेत्र का है 5 हार्सपॉवर का उसके यहां पंप लगा है.

अध्यक्ष महोदय-- आप ऐसा करें कि मंत्री जी से मिलकर के मामला उनको दे दीजिये क्योंकि यह प्रश्न इससे उद्भुद नहीं हो रहा है.

श्री रमाकांत तिवारी-- अध्यक्ष जी, उसका एक माह का बिल 1 लाख 17 हजार रूपये कैसे आ गया. क्या आप इस मामले की जांच करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- आप मंत्री जी से मिलकर के उनको दे दीजिये.

श्री कमलेश्वर पटेल -- अध्यक्ष महोदय ऐसी गड़बड़ियां सभी विधानसभा क्षेत्र में हो रही है.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य एक साथ खडे होकर के अपनी बात कहने लगे)

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके बैठ जायें, यह नहीं चलेगा. विजयपाल सिंह अपना प्रश्न करें. आप बैठ जाईये. विजय पाल सिंह के अलावा जो भी बोल रहे हैं उनका नहीं लिखा जायेगा.

श्री बाला बच्चन --(xxx)

श्री सुन्दरलाल तिवारी --(xxx)

श्री राम निवास रावत --(xxx)

श्री रमाकांत तिवारी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जबाव दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपया बैठ जाईये.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आप सुन लें.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय नेता जी प्रश्नकाल चल रहा है. आप अपने माननीय सदस्यों से भी अनुरोध कर लें, प्रश्नकाल चल रहा है.

श्री सत्यदेव कटारे-- क्या प्रश्न काल में मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है.

श्री कमलेश्वर पटेल --(xxx)

अध्यक्ष महोदय-- विजयपाल सिंह अपना प्रश्न करेंगे बाकी सब बैठ जायें.

श्री सत्यदेव कटारे --अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो आप सुन लें.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय नेता जी, प्रश्नकाल चल रहा है, आपकी बात उचित नहीं है. 10 मिनिट बचे हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी ---(xxx)

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके प्रश्नकाल में कोई प्रश्न न उठायें.

श्री कमलेश्वर पटेल----(xxx)

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्नकाल में अन्य कोई बात नहीं उठाई जायेगी. उनका प्रश्न था उनकी पूरी बात हो गई. आप एक बात बताईये. जिनका प्रश्न था वह संतुष्ट है.

श्री सत्यदेव कटारे-- प्रश्न तो सुन लें.

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके आप बैठ जायें, दूसरे माननीय सदस्यों का भी अधिकार है यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- --(xxx)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी आप बैठिये. श्री विजयपाल सिंह जी अपना प्रश्न करें.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में हमें प्रश्न करने का अधिकार है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न उद्भूत होता है तो अधिकार है. अभी प्रश्न ही नहीं आया.

श्री सत्यदेव कटारे-- हमें प्रश्न करने का अधिकार है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय-- आपको है.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, जब सुनेंगे तब तो उद्भूत होगा कि बिना सुने हो जायेगा. तो सुनते ना आधा मिनट. आप आधा मिनट भी सुनने को तैयार नहीं हैं.(व्यवधान)

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, (XX) (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत बात है.

श्री बाला बच्चन-- जहां सरकार आपको कटघरे में खड़ी दिखती है..(व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- आपने आधा मिनट के चक्कर में 5 मिनट बरबाद कर दिये. आप आधा मिनट नहीं दे पाये. आपको देना चाहिए.(व्यवधान) नियमों में लिखा है.

अध्यक्ष महोदय-- बिना अनुमति दिये किसी अन्य सदस्य को...अभी प्रश्न ही नहीं आया.

श्री सत्यदेव कटारे-- आप पूछने तो देते. अध्यक्ष महोदय, जब आप सुनेंगे नहीं.

अध्यक्ष महोदय-- वह माननीय सदस्य संतुष्ट है.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, जब आप सुनेंगे नहीं. आधा मिनट के चक्कर में 5 मिनट बरबाद हो गये.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी यही व्यवस्था है तो इस व्यवस्था से हम सहमत नहीं हैं और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है. आप यहां पर जनता के हित की बात नहीं करने देते. यदि यहां बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- सभी बातें नियमानुसार होंगी.

श्री सत्यदेव कटारे-- हम नियमानुसार बोल रहे हैं ना.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं. इस तरह से प्रश्नकाल में पूछने का कोई नियम नहीं है.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, आप बताईये नेता प्रतिपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय-- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, प्रश्नकाल में सिर्फ उससे उद्भूत प्रश्न पूछे जा सकते हैं. प्रश्न क्रमांक 15 आ गया. प्रश्नकर्ता सदस्य खुद कह रहे हैं कि उनका प्रश्न उद्भूत नहीं हो रहा और आपको उद्भूत दिख रहा है. (व्यवधान)

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन.

श्री सत्यदेव कटारे-- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उसके विरोध में हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

नहरों के मरम्मतीकरण करने के संबंध में

15. (*क्र. 2086) श्री विजयपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर के अन्तर्गत कितनी वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनायें संचालित हैं? नाम सहित जानकारी देवें? साथ ही क्या कोई नई सिंचाई परियोजनायें स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव है? यदि है तो प्रस्तावित परियोजनायें कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में पूर्व से संचालित सिंचाई परियोजनाओं की नहरें क्या क्षतिग्रस्त हैं एवं कच्ची हैं? यदि हैं तो कितनी? (ग) यदि हैं तो इनके मरम्मत हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? परियोजनावार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश ''क'' के संबंध में क्षतिग्रस्त कच्ची नहरों को पक्की नहरों (लाईनिंग) में परिवर्तन हेतु क्या कोई योजना प्रस्तावित है? यदि है तो प्रस्तावित योजना कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना गुड्डीखेड़ा एवं तवा वहद परियोजना की दांयी मख्य नहर संचालित है. कोई नवीन सिंचाई परियोजना प्रस्तावित नहीं है. शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है. (ख) नहरें क्षतिग्रस्त नहीं हैं किन्तु कच्ची (बिना लाईनिंग की) हैं. तवा परियोजना 642.04 किलोमीटर एवं गुड्डीखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना की 6 किलोमीटर नहर कच्ची (बिना लाईनिंग की) होना प्रतिवेदित है. (ग) वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट में है. (घ) तवा परियोजना की दांयी मुख्य नहर प्रणाली की लाईनिंग हेतु ईआरएम योजना प्रस्ताव भारत सरकार के पास परीक्षणाधीन है. वहां से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात यह कार्य लगभग 3 वर्षों में पूर्ण किया जावेगा.

श्री विजयपाल सिंह-- माननीय अध्यक्ष जी, आप होशंगाबाद जिले से ही हैं. मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सोहागपुर विधानसभा और पिपरिया विधानसभा में जो दांयी तट नहर है उसके पक्का करने का काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है. माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 3 वर्ष में होगा. मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके 3 वर्ष न करते हुए डेढ़ वर्ष में अगर कर देंगे तो हमारे क्षेत्र को लाभ मिलेगा क्योंकि इस बार वर्षा कम है. वर्षा कम होने के कारण जो बांयी तट

है वह नीचे की तरफ है और दांयी तट ऊपर की तरफ है और ऊपर पानी 10 फीट की ऊंचाई तक चढ़ता है इसलिए निवेदन है कि बांयी तट की अपेक्षा दांयी तट नहर को पहले पक्का कर दें तो ज्यादा उचित होगा.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं. नेता प्रतिपक्ष का यह जो रवैया है.....

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्षजी, सुन्दरलाल तिवारी जी और नेता प्रतिपक्ष जी का जो रवैया है.....

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्षजी, अब, यह समय बरबाद नहीं कर रहे हैं.

श्री गोपाल भार्गव-- अध्यक्षजी, आसंदी की मर्यादा है. इस तरह का आचरण उचित नहीं है.

अध्यक्ष महोदय-- बड़ी मुश्किल से प्रश्न लाईन पर आया है. (व्यवधान) आप बैठ जायें प्रश्नकाल में प्रश्नकर्ता सदस्य और माननीय मंत्रीजी के उत्तर के अलावा कोई बात नहीं होगी.

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से जो तवा नहरें हैं उसके बारे में चर्चा की है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांयी तट नहर किलोमीटर 6.42 से किलोमीटर 23.42 तक यानि 17 किलोमीटर जो आपके सोहागपुर क्षेत्र में है, इसका लाईनिंग का काम चल रहा है और यह कार्य वेरजी सिरोठिया कंपनी गुजरात को दिया गया है. जो काम चल रहा था वह मैंने बताया. जहां तक आपने दांयी तट नहर की बात की है उसके लिये हमने ईआरएम का 1414.92 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार कराया है. यह केन्द्रीय जल आयोग के पास परीक्षणाधीन है. जैसे ही वहां से हमें अप्रुव्हल मिलता है हम इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे.

श्री विजयपाल सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बांयी तट है वह 10 फीट डाऊन पर हैं . वहां पर लाइनिंग नहीं होगी तब भी वहां पर क्षेत्र को पानी मिल

जायेगा. लेकिन जो दांयी तट है वह 10 फीट हाइट पर है उस पर पानी नहीं मिल पायेगा नहर जीर्ण शीर्ण है, नहर ठीक नहीं है पिछली बार एक नहर टूट गई थी जिस कारण से हमारे किसानों को लगातार 8 दिन तक पानी नहीं मिल पाया था. मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दांयी तट हाइट पर है अगर वर्षा नहीं हुई तो पिपरिया और सोहागपुर विधान सभा को पानी नहीं मिल पायेगा. मेरा निवेदन है कि अगर आप मेन कैनाल पहले करा देंगे तो हमारे किसानों का उसका लाभ प्राप्त होगा.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है कि प्राक्कलन तैयार करके हमने भेज दिया है. केन्द्रीय जल आयोग के पास वह परीक्षणाधीन है. यह बात सही है कि इस बार हम दांयी तट नहर से पानी नहीं दे पाये हैं. मूंग के क्षेत्र में हमारी जो एलबीसी थी इन दोनों में 12 फीट का अंदर है. इस अंतर के कारण जहां पर हमने 45 हजार हेक्टेयर की मूंग में पानी दिया है. इस पानी से इनको वंचित रहना पड़ा है. हमारी कोशिश होगी कि जो इसका छोटा छोटा मरम्मत का काम है यह हम करा देंगे और शीघ्र ही दिल्ली से जैसे ही एप्रूवल हो जायेगा उसका हम कार्य प्रारम्भ कर देंगे.

श्री विजयपाल सिंह -- माननीय मंत्री जी कोई समय सीमा बता देंगे. मंत्री जी आपने बताया कि मेरे क्षेत्र में तालाब के लिए कोई सर्वे नहीं हुआ है. पूर्व में एक सर्वे हुआ था जो जोबटा के नाम से जाना जाता है लेकिन उसमें एक दिक्कत आयी थी कि उसमें कि वन विभाग की जमीन होने के कारण उस पर डेम नहीं बनाया जा सकता है. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर उसका सर्वे करा लेंगे और उस पर डेम बना देंगे तो पिपरिया और सोहागपुर विधान सभा को काफी लाभ मिल जायेगा.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो सिंचाई योजनाओं का अनुमोदन किया गया था डुंगरदेही बैराज का और रिंगाखेड़ा का, चूंकि मैं समझता हूं कि प्रदेश की सबसे सिंचाई की व्यवस्था आपके यहां पर है कृषि योग्य भूमि 90 हजार हेक्टेयर में से 80 हजार हेक्टेयर में सिंचाई है. अभी जो नवीन परियोजनाएं दी हैं ऐसे क्षेत्रों में ली है जहां पर कम है. इसके बाद में इनको भी लेंगे.

प्रश्न क्रमांक 16 (क्र. 1496) श्रीमती ललिता यादव – क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(क) कॉक्स डिस्टलरी नौगांव द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में किस-किस शराब का उत्पादन कितनी-कितनी मात्रा में किया गया ?

(ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में उत्पादित कौन-कौन सी शराब किस बेच नं. की किस-किस को परमिट पर दी गई ? दिनांकवार बतायें ?

(ग) शराब का परमिट किसके द्वारा जारी किया गया प्रति सहित बतायें ?

(घ) इस अवधि में कॉक्स डिस्टलरी से उत्पादित शराब क्या बिना परमिट व बेच नं. के पुलिस या विभाग द्वारा अवैध परिवहन में पकड़ी गई है अगर हां तो कब और किससे बतायें और क्या कॉक्स डिस्टलरी संचालक के खिलाफ व तैनात अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी कार्यवाही की गई ?

श्री जयंत मलैया, मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग

(क) कॉक्स डिस्टलरी नौगांव डी-1 लायसेंस के अन्तर्गत इकाई में रेक्टीफाइड स्प्रिट/एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए), एफ.एल.9 लायसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा तथा सी.एस.-1 लायसेंस के अन्तर्गत देशी मदिरा का उत्पादन करती है। वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (दिनांक 01.04.2014 से 31.05.2014) तक उत्पादन की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है।

(ख) कॉक्स डिस्टलरी की डी-1 इकाई में विनिर्मित रेक्टीफाइड स्प्रिट/एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए) के वर्षवार प्रदाय की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	रेक्टीफाइड स्प्रिट/ ई.एन.ए (प्रूफ लीटर)	परमिटों की कुल संख्या
2012-13	413266.65	15
2013-14	680236.41	24
2014-15 (01.04.2014 से 31.05.2014)	83226.32	3

कॉक्स डिस्टलरी की एफ.एल.-9 इकाई में विनिर्मित विदेशी मदिरा के वर्षवार प्रदाय की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	राज्य में प्रदाय (प्रूफ लीटर)	राज्य के बाहर प्रदाय (प्रूफ लीटर)	परमिटों की कुल संख्या	
			राज्य में	राज्य के बाहर
2012-13	52812	31725	15	12
2013-14	95742	25312.5	28	8
2014-15 (01.04.2014 से 31.05.2014)	20412	4050	6	1

कॉक्स डिस्टलरी की सी.एस-1बी इकाई में विनिर्मित देशी मदिरा के वर्षवार प्रदाय की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	संविदाकार द्वारा स्वीकृत प्रदाय क्षेत्रों में प्रदाय (प्रूफ लीटर)	परमिटों की कुल संख्या
2012-13	4710961.00	1072
2013-14	5001671.35	1235
2014-15 (01.04.2014 से 31.05.2014)	1052192.25	234

उपरोक्त जानकारी की वर्षवार, मदवार, गंत्वय इकाईवार, दिनांकवार, बैचवार एवं परमिटवार सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे **परिशिष्ट-दो से सात** अनुसार है।

(ग) शराब का परमिट इकाई के प्रभारी अधिकारियों द्वारा जारी किये गये है। जारी किये गये उपरोक्त परमिटों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे **परिशिष्ट-आठ** अनुसार है।

(घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट-एक

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1496 द्वारा श्रीमती ललिता यादव, माननीय सदस्य

रेक्टीफाईड स्प्रिट/एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) का उत्पादन

वर्ष	रेक्टीफाईड स्प्रिट/ई.एन.ए. का उत्पादन मात्रा (प्रूफ लीटर में)	विदेशी मदिरा का उत्पादन मात्रा (प्रूफ लीटर में)	देशी मदिरा का उत्पादन मात्रा (प्रूफ लीटर में)
2012-13	414341.9	84537.0	4713211.00
2013-14	710905.42	93838.0	500572.35
2014-15 (31.05.2014 तक)	101072.1	36942.0	1056242.25

श्रीमती ललिता यादव – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि छतरपुर में आबकारी विभाग के सहयोग से काक्स डिस्टलरी के द्वारा निर्मित देशी व विदेशी मदिरा, के एक ही परमिट पर कई ट्रक निकलते हैं और जब पुलिस उन वाहनों को पकड़ती है तो तत्काल आबकारी विभाग उसका परमिट बना देता है. मेरे प्रश्न के घ के उत्तर में बताया गया है कि पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा काक्स डिस्टलरी की शराब अवैध परिवहन की नहीं पकड़ी गई है. जबकि वर्ष 2013-14 में खजुराहो पुलिस ने बिना परमिट के एक ट्रक शराब पकड़ी है बाद में विभाग के द्वारा काक्स डिस्टलरी की शराब का परमिट बनाकर पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है. मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया गया है वह असत्य है. पुलिस ने 426 प्रकरण बनाये हैं आबकारी के जिसमें 413 लोगों को गिरफ्तार किया है मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 2013-14 में एक भी प्रकरण नहीं बनाया गया है.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महदोय, माननीय सदस्या बता दें कि वह क्या पूछना चाहती हैं.

श्रीमती ललिता यादव – अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह से एक ही परमिट पर कई ट्रक निकलते हैं आप जांच करा लें.

श्री जयंत मलैया – करा लेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष जी, मैं इस पर थोड़ा ध्यान भी आकर्षित करना चाह रहा हूं. मेरी बहन आदरणीय श्रीमती ललिता यादव जी ने कहा कि उन्होंने उत्तर पढ़ लिया है. चूंकि आप भी मुझे निर्देशित करते हैं कि उत्तर पढ़ा करें. अब उनका यह उत्तर 15 किलो का है. रातभर में कैसे पढ़ा होगा?

अध्यक्ष महोदय - इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वह पढ़ नहीं सकते. माननीय सदस्य कृपया अनावश्यक प्रश्न विस्तारित न करें. यह बहुत बड़ा बंडल है.

श्री रामनिवास रावत - यह प्रदेश में जो अवैध शराब बिक रही है उसका प्रमाण है. (व्यवधान)..

श्रीमती ललिता यादव - अध्यक्ष महोदय, मैंने समरी पढ़ ली है, तभी मैं बता रही हूं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष जी, आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा था...

अध्यक्ष महोदय -..मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध कर लिया है कि इतने विस्तारित प्रश्न न करें.

श्रीमती ललिता यादव - अध्यक्ष महोदय, मैंने कॉक्स डिस्टलरी की जांच कराने को कहा है कि कितने प्रकरण पकड़े गये?

प्रश्न संख्या - 17 (अनुपस्थित)

पाटन विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों से सिंचाई पम्पों कि देयकों में अवैध वसूली एवं अघोषित कटौती बंद करने बाबत्

18. (*क्र. 975) श्री नीलेश अवस्थी : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पाटन विधान सभा क्षेत्र के कृषकों से बिजली विभाग द्वारा 3 एच.पी. पम्प की क्षमता का 5 एच.पी. पम्प का पैसा एवं 5 एच.पी. मोटर की क्षमता वाले पम्प वालों से 10 एच.पी. का अवैध पैसा वसूला जा रहा है? (ख) यदि वर्णित ''क'' सही है तो इस तरह की विसंगतियां विभाग द्वारा क्यों की जा रही हैं व इसका जिम्मेदार कौन है? शासन इन पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगा पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) क्या कम्पनी द्वारा वसूल किया गया उक्त पैसा किसानों के आगामी देयकों में कम कर समायोजित किया जावेगा? (घ) क्या पाटन विधान सभा क्षेत्र में मेन्टेनेंस के नाम पर अघोषित बिजली कटौती की जा रही है? यदि हां, तो ग्रामीणजनों की राहत के लिये उक्त अघोषित बिजली कटौती कब तक बंद कर दी जावेगी एवं संबंधित दोषियों पर शासन क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगा, पूर्ण जानकारी देवें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं. पम्पों के वास्तविक भार की जांच उपरांत पाये गये विद्युत भार के आधार पर विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.26 के अनुसार कार्यवाही करते हुए विद्युत देयक जारी किये गये हैं. तथापि इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उपभोक्ता के पम्पों का पुनः निरीक्षण करते हुए शिकायत सही पाये जाने पर बिल में नियमानुसार आवश्यक सुधार की कार्यवाही की जाती है. (ख) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित नियमानुसार की जा रही कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता. (ग) जी नहीं, तथापि इस संबंध में किसी उपभोक्ता से प्राप्त शिकायत न्यायोचित पाये जाने पर बिल में आवश्यक सुधार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. (घ) जी नहीं, अपितु वर्षा पूर्व लाईनों का सही ढंग से रख-रखाव /दुरुस्तीकरण किये जाने हेतु लाईन बंद करने के संबंध में समाचार-पत्रों में विधिवत सूचना प्रकाशित करने के उपरांत सुधार कार्यों हेतु संबंधित लाईन बंद की जाती है.

श्री नीलेश अवस्थी - अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मुझे मिला है, वह बिल्कुल असत्य है. मध्यप्रदेश विद्युत कंपनी द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है. जिनका तीन एचपी की मोटर है, उनसे पांच एचपी का बिल, जिनका पांच एचपी की मोटर है, उनसे दस एचपी का बिल लिया जा रहा है. इसका प्रमाण मैं सेम्पल के रूप में लेकर आया हूं. यह किसान से अवैध वसूली की जा रही है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विद्युत कंपनी द्वारा किसानों के साथ जो अवैध वसूली की जा रही है, उपभोक्ता फोरम में किसानों द्वारा की गई शिकायत का निर्णय भी आ चुका है और किसानों के पक्ष में यह निर्णय आया है, ऐसे दोषी कंपनी के अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी जो किसानों का शोषण कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, यदि उपभोक्ता फोरम से कोई निर्णय आया है.

श्री नीलेश अवस्थी - अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता फोरम का निर्णय यह है, यह निर्णय मैं पटल पर रखता हूं.

श्री राजेन्द्र शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, उस निर्णय के अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी, यदि उपभोक्ता फोरम ने निर्णय किसानों के पक्ष में दिया है.

(प्रश्नकाल समाप्त)

(व्यवधान)..

11.30 बजे **नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय - निम्न माननीय सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्री आरिफ अकील, श्री सुदर्शन गुप्ता, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, श्री जीतू पटवारी, डॉ. गोविन्द सिंह श्री रामनिवास रावत, श्रीमती शीला त्यागी, श्री नीलेश अवस्थी और श्री विष्णु खत्री.

श्री जीतू पटवारी - आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदौर में पिछले 10 दिन से अदालतों का काम ठप्प पड़ा है. वकील भूख हड़ताल पर हैं. इस तरीके से पूरे इंदौर में कानून व्यवस्था ठप्प पड़ी हुई है और हाहाकार मचा है और बहुत ही गंभीर विषय है.

अध्यक्ष महोदय - आपने शून्यकाल की सूचना दी थी, उसको आज ले लिया है, और आपको भी जानकारी इसके माध्यम से हो गई है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) - अध्यक्ष महोदय, वे वकीलों के स्ट्राइक की बात कर रहे हैं. वह पूरे प्रदेश में हो रही है. अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आपसे अनुरोध भी कर लिया था कि वकीलों की स्ट्राइक प्रदेश में चल रही है और इंदौर में 300-400 वकीलों पर केस दर्ज हो गया है. आपने शून्यकाल में अनुमति भी दे दी थी, इसलिए सदस्य उसको उठा रहे हैं. आप इस पर कृपया चर्चा कब करवाएंगे, इतना इनको आश्वासन दे दें.

अध्यक्ष महोदय - यह सूचना ग्राह्य हो गई है. उसकी जानकारी आ जाएगी.

श्री सत्यदेव कटारे - ठीक है, हम चर्चा के लिए उसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से ले आते हैं. अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है, पूरे प्रदेश में स्ट्राइक अभी शुरू हो रही है. एक बार जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में सब जगह हो चुकी है और इंदौर में यह लगातार चल रही है.

अध्यक्ष महोदय - आपकी चिंता ठीक है और माननीय सदस्य को कह दें कि वे कक्ष में चर्चा कर लेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद.

11.31 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथाअपेक्षित विवरण

वर्ष 2014-15

श्री जयंत मलैया, (वित्त मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक-18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित विवरण वर्ष 2014-2015 पटल पर रखता हूं.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

श्री कैलाश विजयवर्गीय, (आवास एवं पर्यावरण मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 2010-2011 पटल पर रखता हूँ.

मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2010-11 वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2011

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) – अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2010-11 वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2011 के लिए पटल पर रखती हूं.

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013

श्री उमाशंकर गुप्ता (उच्च शिक्षा मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक-37 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 पटल पर रखता हूँ.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा- अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं. आपकी इसमें कोई व्यवस्था आ जाए. इस संबंध में चर्चा आप कक्ष में भी कर सकते थे. पर चूंकि सम्मानित सदस्यों के ध्यान में भी यह व्यवस्था आ जाय कि प्रश्न ऐसा न हो कि इसका उत्तर पढ़ा ही न जा सके. इतना लंबा प्रश्न न हो ये हम चाहते थे.

अध्यक्ष महोदय—मैने पहले भी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध किया है कि भविष्य में इतने विस्तार के प्रश्न न दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय,इसमे माननीय मंत्री जी ने जो कहा है इससे मिलता जुलता एक हमारा भी प्रश्न है. आप यह कह देते हैं कि सदस्य महोदय को उत्तर दे दिया गया, उनके द्वारा प्राप्त कर लिया गया. मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जवाब मंत्री जी देते हैं वो केवल सदस्य को देते हैं कि सदन को देते हैं.

अध्यक्ष महोदय—सदन को देते हैं,किन्तु अधिकार सदस्य का रहता है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- अगर सदन को वे देते हैं ,

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी क्या यह चाहते हैं कि ये 15-15 किलो वजन के गट्ठे पूर सदन को बटवाये जाएं?

श्री सुन्दरलाल तिवारी—ये नहीं कह रहे हैं ..हमारा निवेदन है कि अगर जवाब सदन को दिया जाता है तो फिर दूसरे सदस्य का भी अधिकार बनता है.

दि.म.प्र.स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड,भोपाल का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011-2012

श्री राजेन्द्र शुक्ल (खनिज साधन मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (3)(ख) की अपेक्षानुसार दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल रखता हूँ.

ध्यानाकर्षण सूचना

भिण्ड जिले में अवैध रेत उत्खननकर्ताओं द्वारा अधिकारियों के साथ मारपीट की जाना

डॉ.गोविन्द सिंह (सदस्य)

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

भिण्ड जिले के खनिज एवं पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से लहार, मिहोना, रौन तहसीलों में भारी पैमाने पर प्रतिमाह करोड़ों रूपयें का अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है । लहार के कर्मठ एवं ईमानदार एस.डी.एम. द्वारा रेत माफियाओं द्वारा किये जा रहे रेत के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु ट्रेक्टर एवं ट्रक पकड़ने पर दिनांक 11.06.2014 को रेत माफिया द्वारा लहार थाने के अन्तर्गत मेहरा बुजुर्ग के समीप उन पर प्राण घातक हमला कर जान से मारने का प्रयत्न किया गया । एसडीएम सहित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को बंदूक के बटों से मारा गया और प्राण बचाकर एस.डी.एम. श्री राठौर के भागने पर पीछे से रेत माफियाओं द्वारा अंधाधुंध फायर किये । रेत माफियाओं के हौसले पुलिस संरक्षण के कारण इतने बढे हुए है कि एस.डी.एम. को मारने पीटने के बाद अपराधी अपने 40-50 हथियार बंद समर्थको के साथ लहार थाने में घूसकर एस.डी.एम. के विरूद्ध असत्य मारपीट की रिपोर्ट लखवाने के लिए एक घण्टे तक उत्पात कर एस.डी.एम. एवं जिला प्रशासन के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे वही लहार पुलिस के अधिकारी मौन साधकर तमाशबीन बने रहे । इन्ही रेत माफियाओं के सहयोगी रामनरेश उर्फ लला द्वारा अपने साथियों सहित असवार थाने के अन्तर्गत ग्राम चिरूली में पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति समाज के लगभग 12 से अधिक परिवारों पर अत्याचार व जुल्म ढहाकर उनसे अवैध वसूली करने महिलाओं से अभद्रता करने एवं बच्चों को मारपीट करने के कारण बघेल समाज के पांच परिवार चेतमार बघेल, बच्चू लाल बघेल, जयसिंह बघेल , पप्पू बघेल, 5. जगराम बघेल अपना घर व जमीन छोडकर गांव से पलायन कर लहार दबोह व अन्य स्थान पर चले गये है पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही न करने से क्षेत्र की जनता में बढ़ते अपराध से भय और दहशत का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

श्री बाबूलाल गौर—अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि भिण्ड जिले के राजस्व,खनिज एवं पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से ....

डॉ.गोविन्द सिंह—गौर साहब आप कहो वह सही है?

अध्यक्ष महोदय—आप पहले उत्तर सुन लें. आपको अवसर मिलेगा, आपका ही ध्यानाकर्षण है. ये गलत परंपराएं आप न डालें. आपको समय है,

श्री बाबूलाल गौर—आप मेरा उत्तर सुन लें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री बाबूलाल गौर)—अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्री रहे हैं, दोनों यही करते थे, हम वहां से इन पर चिल्लाते थे कि सही कुछ और है.

श्री बाबूलाल गौर—जो प्रक्रिया है, उसी के अंतर्गत जवाब दे रहे हैं. आप भी इसी प्रकार जवाब देते थे.

डॉ.गोविन्द सिंह—आपके अलावा इस सदन में और कोई दूसरा सीनियर नेता नहीं है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जाएं.

सहकारिता मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)—यह सरकारी उत्तर का तकिया कलाम है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार.

डॉ.गोविन्द सिंह—इतना चेंज करो.

श्री बाबूलाल गौर—मेरा जवाब सुन लें. अध्यक्ष महोदय,

यह कहना सही नहीं है कि भिण्ड जिले के राजस्व, खनिज एवं पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से लहार, मिहोना, रौन तहसीलों में भारी पैमाने पर प्रतिमाह करोड़ों रूपयों के अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है।

दिनांक 11.06.2014 को एस.डी.एम.लहार श्री राजेश राठौर राजस्व निरीक्षक श्री रामसेवक एवं पटवारी श्री जुबेर मोहम्मद को ग्राम मेहरा बुजुर्ग में आम रोड पर रोककर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाकर प्राणघातक हमला करने, मारपीट करने तथा फायर करने की रिपोर्ट पर **थाना लहार** जिला भिण्ड में अप.क्र. 118/14 धारा 341, 294, 186, 332, 353, 307, 34 भा.द.वि. दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण में आरोपियान 1—पप्पू उर्फ योगेन्द्र 2—संजीव, 3—बन्टू उर्फ शिवेन्द्र, 4—भूपेन्द्र, 5—कपिल, 6—सुनील, 7—दीपू उर्फ दीपेन्द्र, 8—रामपाल को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी पप्पू उर्फ योगेन्द्र से 12 बोर बंदूक तथा आरोपी संजीव से 315 बोर बंदूक बरामद की गई है। गिरफ्तारशुदा सभी आरोपी वर्तमान मे जेल मे निरूद्ध है । शेष दो आरोपी शिव कुमार एवं कुवंर सिंह घटना दिनांक से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 10—10 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है, तथा गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

यह सही नहीं है कि 40—50 हथियार बन्द अपराधीगण द्वारा थाने में घुसकर उत्पात कर एस.डी.एम. एवं जिला प्रशासन के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया ।

आरोपी रामनरेश उर्फ लला तथा उसके साथियों के विरूद्ध थाना असवार जिला भिण्ड में निम्न अपराध पंजीबद्ध हैं।

1. कायमी दिनांक 14.5.2014, अपराध क्र. 41/14 धारा 336, 294, 506—बी, 34 भादवि
2. कायमी दिनांक 24.6.2014 (क) अपराध क्र.49/14 धारा 384, 386, भादवि एवं 3(1)10 अ. जा./अ.ज.जा. अधिनियम
   (ख) अपराध क्र. 50/14 धारा 384 भादवि
   (ग) अपराध क्र. 51/14 धारा 384 भादवि

उपरोक्त सभी अपराधों में ग्राम चिरूली के फरियादी हैं जो बघेल एवं अनुसूचित जाति के हैं। उक्त अपराधों में घूरे उर्फ मुनव्वर तथा शैलेन्द्र परिहार को गिरफ्तार किया गया है जो वर्तमान में जेल में निरूद्ध हैं।

आरोपी लला उर्फ रामनरेश को दिनांक 24.06.2014 रा.सु.का. में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल ग्वालियर भेजा गया है, जो वर्तमान में जेल में निरूद्ध है। आरोपी रामनरेश उर्फ लला का माननीय न्यायालय से पेशी दिनांक 15.07.14 का प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया है। पेशी दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित होने पर आरोपी रामनरेश उर्फ लला को गिरफ्तार करने के संबंध मे कार्यवाही की जावेगी।

यह कहना सही नहीं है कि बघेल समाज के चेतराम बघेल, बच्चूलाल बघेल, जयसिंह बघेल, पप्पू बघेल, जयराम बघेल अपना घर व जमींन छोड़कर गांव से पलायन कर लहार, दबोह व अन्य स्थान पर चले गये हैं। सत्य यह है कि यह सभी वर्तमान में ग्राम चिरूली में रह रहे हैं । जनजीवन सामान्य है।

श्री बाबूलाल गौर—इतनी सख्त कार्यवाही सरकार आपके ध्यानाकर्षण पर कर रही है और आपने पहली बार किसी अधिकारी को ईमानदार बताया है, यह बहुत अच्छी बात आपने कही है, वरना हमेशा अधिकारियों पर बेईमानी का आरोप लगता है, पहली बार आपने ईमानदार बताया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं.

डॉ.गोविन्द सिंह—माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें से कुछ तो सही है और कुछ गलत है. मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि वे लोग जो दो महीने से गांव से पलायन करके गये थे वे लौट आये हैं और वहां आईजी से जब हम मिले और उनसे निवेदन किया, हमने अखबारों में विज्ञापन दिया तब उन्होंने जाकर के जांच की और जांच करने के बाद परीक्षण किया और आज गार्ड भी लगाये हैं और सब लोगों को जो 12 परिवार थे, दबोह से ट्रेक्टर में भर के वापस आ गये हैं. अब आकर के पुन: बस गये हैं और अब अपराधी गिरफ्तार हो गये हैं केवल उसमें एक अपराधी शेष रह गया है लेकिन यह जो एसडीएम के साथ घटना घटी है. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस समय एसडीएम के साथ कौन-कौन से सुरक्षा गार्ड थे, थे कि नहीं थे, और जब उन पर हमला हुआ तो सुरक्षा गार्ड और एएसआई वगैरह जो थे उनकी क्या ड्यूटी थी, उन्होंने क्या काम किया, बचाने का काम क्यों नहीं किया, क्या वे इसके लिए दोषी नहीं हैं?दूसरा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि लहार में थाने में नहीं गये. जबकि यह सच्चाई है कि गये. अगर आप किसी ईमानदार अधिकारी से इसकी जांच करा लें. अगर उन्होंने थाने में जाकर उत्पात किया, थाना प्रभारी और दूसरे लोग मूकदर्शक बैठे रहे,उन्होंने एक घंटे तक कुछ नहीं किया तो क्या उसकी भी जांच करा लेंगे?

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आप कह रहे हैं, अनुविभागीय अधिकारी ने थाने में आकर रिपोर्ट की है, अगर इस प्रकार का माहौल होता तो वे लिखित में रिपोर्ट नहीं करते . लिखित में उसकी कापी है, आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा.

डॉ. गोविन्द सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है एसडीएम की पिटाई हुई, एसडीएम डर की वजह से सीधे भिण्ड,कलेक्टर के यहां भाग गया. अकेले ड्राइवर से गाड़ी लेकर के तेजी से प्राण बचाकर ले गया, उसको पटक दिया, उसपर बट मारे गये, उसको घसीटा गया तो भागा और गाड़ी ले के चला गया, थाने में वह आया ही नहीं और ये सब लोग जा कर के दूसरी

रिपोर्ट लिखा आये ताकि एसडीएम पर भी क्रॉस केस बन जाए, थाने में जाकर हमला करते रहे, यह सच्चाई है और अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप जांच करा लो और अगर है, किया है और थाना प्रभारी मूकदर्शक बना रहा है. आज हम वीडियो कैसेट लेकर के नहीं आये हैं अगर आप कहेंगे तो बाद में उपलब्ध करा देंगे.वह मौजूद थे इसलिए पुलिस ने, थाना प्रभारी ने अपनी ड्यूटी नहीं निभायी और जब एसडीएम ने पिटाई की तत्काल सूचना दी तो वह मौके पर क्यों नहीं गया? जब आपके सुरक्षा गार्ड सुरक्षा में थे तो उनकी क्या ड्यूटी थी, जब वह पिटता रहा तो वे क्यों तमाशा देखते रहे. ये दो बातें हैं जिन पर हमें जवाब चाहिए और नहीं तो परीक्षण करा लें अगर हमारी बात गलत है.

श्री बाबूलाल गौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने पूछा कि उनके साथ कौन कौन सुरक्षा गार्ड थे. उन्होंने लिखित में जो दिया है उसमें सुरक्षा गार्डों के नाम भी दिये हैं इसलिए कृपया आप सुने,-"इस कड़ी में आज दिनांक 11-6-14 को स्थानीय जनप्रतिनिधि श्री रसालसिंह ने सूचना दी कि इस प्रकार का अवैध खनन हो रहा है, रसालसिंह की सूचना पर ग्राम मंडौरी हमरा अधीनस्थ स्टाफ नायब तहसीलदार नवीन भारद्वाज, राजस्व निरीक्षक रामचरित्र मांझी, पटवारी हल्का ग्राम मंडौरी, जुबैर कुरैशी, सुरक्षा गार्ड विनोद शर्मा तथा थाना लहार के पुलिस स्टाफ एएसआई एसएन चौहान, अध्यक्ष महोदय, पूरे नाम पढ़ दूंगा तो बहुत देर लगेगी. सब के साथ गये थे, अकेले नहीं गये थे.

डॉ. गोविन्द सिंह—गार्ड साथ में था?

श्री बाबूलाल गौर—साथ में गार्ड था.

डॉ. गोविन्द सिंह-- पिट रहा था तो उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी?

श्री बाबूलाल गौर—नहीं पिटे, जब इतने गार्ड थे.

डॉ.गोविन्द सिंह—एसडीएम पिटा ही नहीं है? एसडीएम नहीं पिटा तो फिर आपने धारा किसलिए लगा दी ?

श्री बाबूलाल गौर—सरकारी काम में बाधा डालना,उसको रोकना..

डॉ.गोविन्द सिंह—धारा 307 भी लगी है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता था, अब माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं बता दिया,रसालसिंह ने सूचना दी...(x x x) …(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- अब यह विषय से आप भटक रहे हैं. इसको कार्यवाही से निकाल दें.. (व्यवधान) उसको कार्यवाही से निकाल दिया.

संसदीय कार्यमंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)- अध्यक्ष जी, इसको विलोपित करायें.

अध्यक्ष महोदय—उसको विलोपित कर दिया, कार्यवाही से निकाल दिया.(व्यवधान)

डॉ. गोविन्द सिंह—(x x x)

अध्यक्ष महोदय-- यह नहीं लिखा जाएगा. ..(व्यवधान)

(x x x) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

..व्यवधान..

डॉ.गोविंद सिंह-- (XXX)

श्री रामनिवास रावत-- (XXX)

श्री उमंग सिंघार-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय--- इनका नहीं लिखा जाएगा, श्री गिरीश गौतम अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़े. डॉक्टर साहब आप कृपया बैठ जाएं.

श्री रामनिवास रावत-- (XXX)

डॉ. गोविंद सिंह-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय--- हमने अपराधियों के नाम विलोपित नहीं कर रहे हैं. श्री गिरीश गौतम जी अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें.

डॉ. गोविंद सिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा इतना कहना है कि मैंने केवल थाना प्रभारी की जांच की बात कही उसका जवाब तो आया नहीं है. उसका परीक्षण करा लें.

अध्यक्ष महोदय--- माननीय मंत्री जी , आप इसका परीक्षण कराएंगे क्या?

श्री बाबूलाल गौर--- अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता नहीं है.

डॉ. गोविंद सिंह-- (XXX)

श्री रामनिवास रावत—(XXX)

अध्यक्ष महोदय-- आपका उत्तर आ गया है..(व्यवधान).. कृपा करके डॉ. साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं, दूसरे सदस्यों का भी अधिकार है.मंत्री जी ने कहा है कि आवश्यकता नहीं है, नहीं करवाएंगे ऐसा नहीं बोला. यह सब कार्यवाही से निकाल दीजिये. सिर्फ श्री गिरीश गौतम जी का ही आएगा.

श्री रामनिवास रावत-- (XXX)

डॉ. गोविंद सिंह-- (XXX)

श्री सचिन यादव-- (XXX)

(XXX)--- आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

(2) रीवा जिले में मोटर पंपों की क्षमता से अधिक विद्युत बिल दिया जाना

श्री गिरीश गौतम (देवतालाव) :-

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

रीवा जिले में मध्य प्रदेश पू.क्षे.वि.क.लि. दक्षिण एवं उत्तर संभाग रीवा द्वारा किसानों को] जिनके द्वारा काफी लम्बे अर्से से मोटर पंप का कनेक्शन 2 हार्स पॉवर, 3 हार्स पॉवर का लिया गया है पिछले 3 माह से अचानक 2 हार्स पॉवर को 3 या 4 हार्स पॉवर का तथा 3 हार्स पावर को 5 हार्स पॉवर का कनेक्शन बताकर दुगना विद्युत बिल भेजा जा रहा है। किसानों द्वारा मोटर पंपों की क्षमता प्रमाण पत्र दिखाये जाने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा बिल वापस नहीं लिये जा रहे है और न ही संशोधन ही किया जा रहा है और शासन द्वारा फ्लैटरेट बिल की घोषणा भी किसानों को राहत नहीं पहुचा पायी है। विभाग द्वारा मोटर पंप विक्रेताओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे किसान परेशान है और उनमें असंतोष व्याप्त है तथा कभी भी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

ऊर्जामंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रीवा जिला सहित संपूर्ण प्रदेश में कृषि पंप उपभोक्ताओं को उनके संयोजित भार के अनुरूप ही बिजली के बिल जारी किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विद्युत अधिनियम,2003 के प्रावधानों के अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता,2013 की धारा 7.26 में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत प्रदायकर्ता से किये गये अनुबंध के अनुरूप समय–समय पर उपभोक्ता के संयोजित भार की गणना किये जाने पर बिलिंग संबंधी प्रकिया का उल्लेख किया गया है। विद्युत प्रदाय संहिता,2013 की कंडिका 7.26 में किये गये उल्लेख अनुसार विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा समय–समय पर उपभोक्ता के कनेक्शन के संयोजित भार का भौतिक सत्यापन करने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता को स्वीकृत तथा संयोजित भार से अधिक भार की खपत करते हुए पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता से विद्युत दर (टैरिफ) आदेश में दर्शायी गयी विस्तृत प्रकिया के अनुरूप बिल जारी किये जायेंगे।

उक्तानुसार निर्धारित वैधानिक प्रावधानों एवं प्रकिया के अनुरूप ही सूचना में उल्लेखित रीवा जिले में कृषि पंप उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत बिल जारी किये गये है।

उक्तानुसार निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बिल जारी किये गये हैं तथा निजी विद्युत पंप निर्माताओं/विक्रेताओं द्वारा जारी किये गये पंप के क्षमता संबंधी प्रमाणपत्र के तारतम्य में विद्युत वितरण कंपनी/ राज्य शासन का कोई कार्यवाही करने का दायित्व नहीं है। उल्लेखनीय है कि अनमीटर्ड स्थाई पंप कनेक्शन उपभोक्ताओं को वर्ष में दो बार (6 माही आधार पर) रू.1200/– प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से बिजली के बिल जारी किये जा रहे हैं तथा म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जा रही है।

इस प्रकार नियमानुसार की जा रही उक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नाधीन क्षेत्र में किसी प्रकार के रोष/असंतोष जैसी स्थिति है।

श्री गिरीश गौतम-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रश्न पैदा होते हैं, मंत्री जी ने मेरे ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा है कि निर्धारित वैधानिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुरूप ही कृषि पंप उपभोक्ताओं के कनेक्शनों

का भौतिक सत्यापन कराया गया है. मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भौतिक सत्यापन के समय जो कनेक्शनधारी है वह मौजदू था, क्या कोई पंचनामा बनाया गया, क्या उसकी मौजूदगी में जाँच की गई क्योंकि उसमें सवाल यह है कि आपने जाकर के मनमाना कोई टेस्ट किया, जब वह किसान कनेक्शन लेता है तो टेस्ट रिपोर्ट लेता है और इन्हीं की टेस्ट रिपोर्ट में दो हार्स पावर का या तीन हार्स पावर का या पाँच हार्स पावर की टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर आप कनेक्शन देते हैं. मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी की किसानों को राहत देने वाली योजना थी. 1200 रुपये प्रति हार्स पावर फ्लेट रेट में और 1200 का 2400 हो गया, यदि हमने एक हार्स पावर का दो कर दिया, दो का चार कर दिया, तो मेरा निवेदन यह है कि एक तो यह बताने की कृपा करें कि क्या इसकी जाँच में पंचनामा बनाया गया, क्या किसी की मोटर निकाल करके कहीं टेक्नीकल सेक्टर में ले जाकर उसकी जाँच कराई गई. दूसरा प्रश्न यह है कि जिस कंपनी ने हमको बेचा, किसान को मोटर बेची, हम खरीदते हैं, अपने से मोटर हम बनाते नहीं हैं और किसान मोटर खरीदता है वह खरीदने पर उसको रसीद दी जाती है, दो हार्स पावर की, तीन हार्स पावर की, पाँच हार्स पावर की, तो यह तो कंपनी की किसानों के प्रति लूट है तो क्या हम इसकी भी जाँच कराएँगे कि जिन्होंने बेचा उनके खिलाफ भी हम कोई कार्यवाही करेंगे.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोटर की जाँच वॉट मीटर से होती है वह उपभोक्ताओं को बुलाकर उनके सामने वह जाँच की जाती है और रजिस्टर में उनके भी हस्ताक्षर कराए जाते हैं..(व्यवधान)..और दूसरा, जैसा कि हम सब लोग यह जानते हैं कि बिजली के क्षेत्र की समस्या का समाधान बिजली के लॉसेस को न्यनतम स्तर तक पहुँचाने में ही संभव हो सकता है और न्यूनतम स्तर तक लॉस पहुँचाने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर में जो मीटर लगे हैं, जो हमारे 11 के.व्ही.पोल में जो मीटर लगे हैं, वहाँ से जितनी बिजली जा रही है, उतनी बिजली का बिलों के रूप में रियलायजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इसलिए जब मुख्यमंत्री जी ने मीटर बिल बंद करके और फ्लेट रेट पर बिलिंग शुरू की तो फिर वह मोटर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि कईं मोटर जो नई हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता है लेकिन पुरानी मोटर रिवाइंडिंग हो, हो, कर और भले ही वह 3 एच पी की हों, लेकिन जब उसकी वॉट मीटर से करंट और वोल्टेज निकाला जाता है और पावर फेक्टर निकाला जाता

है तो वह फिर 4, 5 और 6 तक निकलते हैं क्योंकि वह पुरानी मोटर हो जाती है इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुईं.

श्री गिरीश गौतम-- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न यह है कि क्या जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता के पंचनामा में हस्ताक्षर हैं. जो आपके अधिकारी जाँच करने गए, जो वहाँ पर टेस्ट किया और जिसको माना कि रिवाइंडिंग के भीतर वह तीन हार्स पावर का पाँच हो गया, तो क्या किसी एक भी जाँच में किसी उपभोक्ता के हस्ताक्षर हैं और यदि ऐसा नहीं है तो वाकई में यह घर बैठे या ऑफिस में बैठ करके तीन का पाँच कर दिया गया और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ट्रांसफार्मर से लगे हुए मीटर की पैमाइश से भी आगे जाने वाली बिजली की हम नाप करेंगे तो हमको यह भी देखना होगा कि आगे जाने वाले तार हमारे पेड़ों में लड़ रहे हैं वहाँ भी बिजली कंजम्पशन हो रहा है, वह लाइन लॉस हो रहा है उसके कारण जो वह लॉस हो रहा है उससे हमको मीटर और किसान को जोड़ करके देखा जाएगा तो शायद उचित नहीं होगा इसलिए मेरा आग्रह है कि हम तो इसी से संतुष्ट हो जाएँगे कि हमें पंचनामा में 2-4 उन उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर तो दिखा दें जिनके सामने इसकी जाँच कराई गई हो.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि किसान की मौजूदगी में दोनों के हस्ताक्षर होते हैं पंचानामा बनाने से, जो विद्युत के नियम हैं, उसके अनुसार यदि बढ़ा हुआ भार आता है तो पिछले एक वर्ष से भी बढ़ा हुआ बिल लगेगा, पेनाल्टी लगेगी, उसमें बहुत सारी समस्याएँ किसान को आ सकती हैं इसलिए यह रास्ता, क्योंकि प्लेट रेट का निर्णय अभी हुआ है. जब तक मीटर था तब तक कितनी बिजली जा रही है वह मीटर नापता था लेकिन अब फ्लेट रेट कर दिया है तो कम से कम यह तो देखना पड़ेगा कि कितने एच पी की वह मोटर है क्योंकि एच पी के आधार पर बिजली के बिल और अध्यक्ष महोदय, नियामक आयोग ने तो प्रति एच पी जो दर तय की है वह लगभग 5100 रुपये आती है और शासन तो 1200 रुपये ही ले रहा है इसलिए हर मोटर की जाँच करके इनपुट पर जाँच करके यह देखना बहुत आवश्यक है इस बिजली की कंपनी को साध्य बनाए रखने के लिए कि कम से कम जितनी बिजली जाए उतने हार्स पावर का फ्लेट रेट का बिल जारी किया जा सके.

श्री गिरीश गौतम-- अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया. मेरा यह कहना है कि एक भी उपभोक्ता के हस्ताक्षर नहीं कराए गए तो क्या मंत्री जी इसकी जाँच करा लेंगे. एक भी हस्ताक्षर नहीं हैं.

श्री राजेन्द्र शुक्ल-- अध्यक्ष महोदय, इसकी जाँच करा लेंगे.

12:00 बजे

तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना एवं उसे माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने एवं उसके मुद्रण, प्रकाशन एवं परिचालन की सूचना.

अध्यक्ष महोदय—प्रमुख सचिव, विधान सभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-53 (6) के अधीन तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को पटल पर रखेंगे एवं उसे अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाने एवं उसके मुद्रण, प्रकाशन एवं परिचालन की सूचना भी सभा को देंगे.

प्रमुख सचिव (श्री भगवानदेव ईसरानी)—अध्यक्ष महोदय, मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 53 (6) के प्रावधान अनुसार सर्वश्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रेमनारायण ठाकुर, हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू" एवं यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री सिद्धार्थ गुप्ता, एडवोकेट एवं अध्यक्ष-निर्धन, नि:शुल्क कानूनी सहायता समिति, भोपाल तथा समाचार पत्र "राज एक्सप्रेस" भोपाल के संवाददाता के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं के संबंध में तेरहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ. तत्समय विधान सभा का सत्र न होने के कारण यह प्रतिवेदन अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 53 (1) के अधीन दिनांक 13 अगस्त , 2013 को माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को प्रस्तुत किया गया था और मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-197 के अधीन उक्त प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन के लिये भी उनसे दिनांक 7 सितंबर 2013 को अनुमति प्राप्त हुई थी.

12:04 बजे

वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(1) मांग संख्या-3 पुलिस
(2) मांग संख्या-4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(3) मांग संख्या-5 जेल

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मलित करते हुये राज्यपाल महोदय को

मांग संख्या-3 पुलिस के लिये चार हजार छ: सौ आठ करोड़, चवालीस लाख, उनहत्तर हजार रुपये,

मांग संख्या-4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए चवालीस करोड़, उनहत्तर लाख, इकहत्तर हजार रुपये, तथा

मांग संख्या-5 जेल के लिए दो सौ उनतीस करोड़, सतहत्तर लाख, तिरानवे हजार रुपये

तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ. अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो

माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या-3	**पुलिस**
	क्रमांक
डॉ. रामकिशोर दोगने	1
श्री हरदीप सिंह डंग	3
श्री हर्ष यादव	5
श्री लाखनसिंह यादव	6
श्री रजनीश हरवंश सिंह	7
श्री नीलेश अवस्थी	8
श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल	9
श्री आरिफ अकील	11
डॉ. गोविन्द सिंह	12

मांग संख्या-4	**गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय**
कुं. विक्रम सिंह	1
श्री जितु पटवारी	3
श्री लाखन सिंह यादव	4
श्री हर्ष यादव	5
डॉ. गोविन्द सिंह	6
श्री आरिफ अकील	7

मांग संख्या- 5	**जेल**
श्री आरिफ अकील	1
कुं. विक्रम सिंह	2
श्री लाखन सिंह यादव	4
श्री हर्ष यादव	5

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

गृह मंत्री की अनुदान मांग संख्या 3,4 एवं 5 पर चर्चा हेतु कार्य मंत्रणा समिति द्वारा 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. तद्नुसार दलीय स्थिति के आधार पर निम्नानुसार समय चर्चा हेतु आवंटित है.

भारतीय जनता पार्टी	1 घंटा 25 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	27 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	06 मिनट
निर्दलीय	02 मिनट.

डॉ. गोविन्द सिंह (लहार)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत मांगों का विरोध करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्रीजी को सौंपी गई है. अध्यक्ष महोदय, पुलिस के लिये तो जवान आदमी चाहिये ताकि वह दौड़-धूप कर सके, मेहनत कर सके अब बुजुर्ग के हाथ में बागडोर सौंपी जायेगी तो क्या होगा.

अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा था कि जिस प्रकार से माननीय गौर साहब ने शहरों का सौंदर्यीकरण किया है, इसमें हम उनकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं. शहरों को सुधारा है.

श्री बाबूलाल गौर:-पहली बार इन्होंने ईमानदारी से बोला है।

डॉ गोविन्द सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सच्चाई हैं बोलेंगे, इनके समान ऐसा नहीं करेंगे, वास्तव में आपने जो काम किया वह वास्तव में अच्छा था। आपको यह विभाग गलत दे दिया इसको सम्भालना आपके बस का नहीं है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। आपने ही 30 जून को विधान सभा के प्रश्न में बताया कि 2009 से 2014 तक पिछले तीन वर्षों में ;;

डॉ गोरीशंकर शेजवार :- गोविन्द सिंह जी आप सीनियर आदमी हैं और गृह विभाग की मांगों पर चर्चा चल रही है और आप बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। लेकिन आपके नेता ने आपके भाषण का बहिष्कार किया है इसको आप ध्यान रखना।

डॉ गोविन्द सिंह :- राजनीति में आप अलग-अलग अर्थ निकालों जिसके जो मन में आये।

डॉ गोरीशंकर शेजवार :- आपस की आपकी जो लड़ाई है कम से कम वह यहां सदन के फ्लोर पर तो न आये। आपके आपस के जो झगड़े हैं वह यहां कम से कम विधान सभा में तो न दिखे। हमारी ऐसी अपेक्षा है।

श्री रामनिवास रावत:- आपको लड़ाई कहां से दिखाई दे रही है।

श्री मानवेन्द्र सिंह :- अध्यक्ष महोदय, गोविन्द सिंह जी जब गृह मंत्री थे तब वह युवा थे।

डॉ गोविन्द सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में महिलाओं के साथ 2397 चैन लूटने की घटनाएं हुई। भोपाल में जनवरी से लेकर जून के प्रथम सप्ताह में 16 महिलाओं की चैन लूटी गयी। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की माता जी के साथ चैन लूटने की घटना नहीं हुई। आपको किसने कहा था कि आप यह स्टेटमेंट दे कि मुख्यमंत्री की माता जी के साथ चैन लूटने की घटना नहीं हुई। अखबार में यह छप रहा है मुख्यमंत्री की माता जी की चैन लूटी गयी। इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये तो आप मुख्यमंत्री को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में महिलाओं के साथ 18 हजार बलात्कार के केस दर्ज हुए । यह जवाब गृह मंत्री ने विधान सभा में प्रश्न के जवाब में अभी दो दिन पहले कहा है। महिलाओं के साथ 138 बलात्कार हुए, महिलाओं से छेड़छाड़ कि 3918 घटनाएं हुई, 9261 लड़कियों के अपहरण की घटनाएं हुई, पिछले सात वर्षों में 90738 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज 12496 महिलाओं की हत्या, पांच माह में 13300 युवतियां प्रदेश से गायब हुईं और प्रतिदिन प्रदेश में महिलाओं से अत्याचार और रेप का प्रतिदिन 3 का रेश्यो आ रहा है। 30 जून को मेरे प्रश्न के उत्तर में है कि शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ पिछले तीन वर्षों में 52 हत्या हुई और हत्या के प्रयास के प्रकरण 1229 शासकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं 3170 हुईं। माननीय गौर साहब ने कहा है कि भोपाल में दिनदहाड़े लूट होना शर्म की बात है, ये गौर साहब का बयान छपा है चार- पांच कालम में। मैं

गौर साहब से कहना चाहता हूं कि शर्म की बात है तो आप अपनी कुर्सी पर क्यों बैठे हो,कुर्सी छोड़ दो जब आप विभाग को संभाल नहीं पा रहे है आपका शरीर और दिमाग साथ नहीं दे रहा है

श्री नरोत्तम मिश्रा:- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्ति जनक है।

अध्यक्ष महोदय :- इसको विलोपित कर दें। किसी पर व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं किये जायेंगे।

श्री गोपाल भार्गव :- अध्यक्ष महोदय, ये कई बार बोल चुके हैं कि गौर साहब का शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपको कैसे मालूम। फिर यह कह रहे हैं कि वृद्ध हो गये हैं, आपके सिर पर तो बाल भी नहीं हैं, गौर जी के सिर पर तो बाल हैं।

डॉ गोविन्द सिंह :-अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में दो महीने में चोरी और वारदातों की लगातार घटनाएं हुई हैं वह अभी तक ट्रेस नहीं हो पायी हैं। मैं गौर साहब से कहना चाहता हूं कि जैसे जापान में पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम है, उसी प्रकार आप मध्यप्रदेश में भी स्टेट पब्लिक सिक्योरिटी कमीशन बनाएं जिसमें राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और पुलिस के रिटायर्ड अफसरों को रखें ताकि पुलिस की जनता के द्वारा जो शिकायत की जाती है उनकी निष्पक्ष रूप से जांच कर सकें। इसके साथ ही अच्छा काम करने वाले पुलिस के कर्मचारियों को भी बढ़ावा दें, इसके साथ ही जापान में एक ओर ओवान सिस्टम है, वहां पर जगह- जगह चौकियां होती हैं वह देखती है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, कहीं शराब पीकर सड़क पर लोग पड़े रहते हैं, वहां पुलिस की ड्यूटी होती है कि वह उनको वहां से उठाये और जब उनको होश आ जाता है तो उनको घर पहुंचाते हैं।

12.10 बजे {सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनिस } पीठासीन हुई।

डॉ गोविन्द सिंह :- वहां पुलिस का काम है कि अगर किसी की जेब कट जाती है और उनके पास पैसा नहीं है तो उनको पैसा देकर घर पहुंचाते हैं। इसलिसे पुलिस का विश्वास जनता पर होना चाहिये। मध्यप्रदेश में आज जनता का पुलिस से विश्वास उठ गया है। इसी प्रकार यहां पर भी यह सिस्टम होना चाहिये जिससे जनता का विश्वास पुलिस पर हो। ताकि जनता को लगे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिये है, उनकी भाई बंद है, जनता का विश्वास पुलिस पर बनें। जनता को लगे कि अगर कोई पुलिस का कर्मचारी जा रहा है तो हम सुरक्षित हैं। अमेरिका ने भी अपने यहां ब्रोकन विन्डो थ्योरी लागू की है इसमें यह है कि

जो चोर है, असामाजिक लोग है वह उन पर निगाह रखती है, पहले से ही घूमती रहती है। इस प्रकार की आप भी दो तीन स्कीम लायें आपने नगरीय प्रशासन विभाग में काम किया है, वैसा ही काम गृह विभाग में करें और अपना नाम रोशन करें ऐसी हमारी शुभकामना है और सद्भावना भी है।

डॉ गौरीशंकर शेजवार:- आप अमेरिका और दिल्ली के बाद आप भिण्ड पर कब आओगे। आप जापान से नीचे ही नहीं ऊतर रहे हो, भाई आप भिण्ड पर और लहार पर आओ।

डॉ गोविन्द सिंह:- आप कहो तो रसाल सिंह पर आ जाते हैं, आपके मित्र हैं और बड़े भाई हैं।

श्री गोपाल भार्गव :- अगर हम नहीं भी कहें तो हमें मालूम है कि आप आओगे ही ।

डॉ गोविन्द सिंह :- आपने कह दिया आपका ईशारा उस तरफ ही है। सभापति महोदया आज हर जगह सीबीआई जांच की मांग क्यों उठ रहीं है। मध्यप्रदेश की पुलिस से जनता का विश्वास उठ चुका है। पुलिस गलत लोगों को फंसाती है, विधान सभा में भी गलत जानकारी देती है। अपराधियों को संरक्षण देती है, उनसे रेतें और पत्थर खदाने चलवाती हैं। आज अधिकांशत: पुलिस का काम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की खदानें चलवाना उनकी सुरक्षा करना, उनके अवैध धंधों की सुरक्षा करना। इसलिये जनता का विश्वास पुलिस से उठ गया है, इसलिये आज जगह जगह आदमी सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। हमारा आपसे अनुरोध है कि जैसा आपने कहा था कि इंवेस्टिगेशन अलग करवायेंगे और जांच प्रकरण कोई अलग एजेंसी दर्ज करेगी।आप इस प्रकार का अलग विभाजन करें तभी इस पर रोक लग सकती है। इसी प्रकार पुलिस मॉडल एक्ट पर भी कई बार चर्चा हुई, आपने सुप्रीम कोर्ट में भी आपने अपना शपथ पत्र दिया परन्तु आज तक आज तक माडल एक्ट क्यों नहीं बना। आपने पुलिस माडल एक्ट बनाकर तैयार किया सचिवों की कमेटी को सौंप दिया। मंत्रिमंडल में भेजने के लिए कई बार हमने प्रश्न लगाया तो आपने जवाब दिया कि सचिवों की कमेटी के बाद मंत्रिमंडल में जायेगा। आठ दस वर्ष से यह मामला चल रहा है आखिर कब यह मंत्रिमंडल में जायेगा। इसमें क्या परेशानी है, आपकी नीयत साफ है तो क्या दिक्कत है। आप निष्पक्ष पुलिसिंग व्यवस्था करना चाहते हैं, सामाजिक पुलिसिंग करना चाहते हैं तो आपको तत्काल यह पुलिसिंग एक्ट लागू करना चाहिये। अंग्रेजों के समय का यह पुलिस एक्ट है आजादी को भी 65 साल से ऊपर हो गया है, आप भी इसमें बदलाव करें ओर इसमें सुधार लाये। ताकि आम जनता को विश्वास हो कि हमारी पुलिस सहयोगी है। इसके अलावा आपने राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और पुलिस महानिरीक्षक हैं। इसकी कितनी बैठकें हुई, आखिर आपने राज्य सुरक्षा परिषद में आपने कौन कौन से तमाम उद्देश्य दिये हैं, उनमें से किस किस का पालन किया, किस किस का पालन नहीं किया। आपने गठन तो कर दिया । आपने ट्रांसफर बोर्ड बनाया, उसमें भी ठीक से न तो उसका परीक्षण होता है कि कौन से अधिकारी / कर्मचारी को कहां जाना चाहिये। उसमें भी उसका अमल नहीं हो रहा है। आपने जो सुरक्षा परिषद बनायी है उस पर ठीक से अमल करें। विधिवत निरीक्षण करते रहें, समीक्षा करते रहें। तभी यह आपका कारगर होगा. हमने 26 जून को माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था. यह जरूरी बात है आप सुन लीजिये. अभी हमारे डाक्टर साहब ने कहा था कि भिण्ड पर आ जाओ तो हम भिण्ड पर आ गये. लहार से

26 जून को पत्र लिखा था आपकी पार्टी का एक पूर्व विधायक कह रहा है कि भिण्ड का कलेक्टर और एस.पी. जो हथियार जमा होते हैं काफी समय हो जाने के कारण उनको नष्ट करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिये. भिण्ड में जो ऐसे हथियार जमा हैं उनको नष्ट करना चाहिये था. आपके पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि उनमें से अच्छे-अच्छे हथियार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने चोरी करके रेत माफियाओं को दे दिये हैं और रेत माफिया मेरी हत्या कराना चाहते हैं. मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा था कि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा गंभीर आरोप जब आपकी पार्टी का विधायक 2013 में लहार से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कह रहा है तो आदरणीय गौरीशंकर जी के बड़े भाई साहब और हमारे भी बड़े भाई साहब के प्राणों की रक्षा करो नहीं तो कुछ हो जाएगा तो जब कलेक्टर और एस.पी. को मरवाना है तो बचेंगे कैसे. ऐसे कलेक्टर औऔर एस .पी. के विरुद्ध भी कार्यवाही करें. उन्होंने लिखित में दिया, प्रेस कांफ्रेंस की, आपको भी ज्ञापन भेजा है इसीलिये मेरा आपसे अनुरोध है. दूसरा मेरा यह कहना है कि होशंगाबाद में गणध्यक्ष वालों ने पटक-पटककर कुर्सियां तोड़ीं, सरकारी कागजात फाड़ दिये. (पेपर कटिंग दिखाई गई) इन पर अंकुश लगाईये. ऐसे अपराधी तत्व किसी भी दल में हों. किसी भी नेता के संरक्षण में काम कर रहे हों. इन पर कठोर कार्यवाही की जाए. अभी तक यह पकड़े नहीं गये न ही मुकदमा कायम हुआ. मेरा अनुरोध है कि इन पर कार्यवाही करें. वर्तमान विधायक पटेल साहब ने इन्होंने लिखा है कि थानों में कैसे पोस्टिंग हो रही है. किस टाई.आई. को कितने पैसे दिये जाते हैं. थाने बिक गये हैं. इसकी भी जांच होनी चाहिये यह गंभीर मामला है. यह जो रेट लिस्ट जारी की है उसमें भी आप राय लेकर अगर सही है सच्चाई है तो गंभीरता से लें और इस पर कार्यवाही करें. एक घटना और गंभीर है हमारे यहां दरौलीपार थाने अँतर्गत दो हत्याएं हुई हैं. करीब 20 दिन हो गये हैं. एक की आंख फोड़ी गई उसको जीप से बांध कर घसीटा गया. एक को तो गोली मार दी लेकिन दूसरे की बड़ी निर्ममता से हत्या की गई है. अभी तक उस मामले को गलत मोड़ दिया जा रहा है. मुझे नहीं लगता कि दतिया पुलिस की क्षमता है क्योंकि वे एक महिने से अपराधियों को नहीं पकड़ पाए. पहले तो फरियादी ने नामजद रिपोर्ट की फिर फरियादी के घर वालों पर दबाव दिया गया. मेरा अनुरोध है कि कोई निर्दोष लोग इसमें न पकड़े जाएं इसमें उच्च स्तरीय जांच कराएं. यह बहुत गंभीर मामला है इसलिये इसकी जांच कराएं और आप जरा बहादुरी के साथ अपना विभाग चलाएं जैसा आपने नगरीय प्रशासन चलाया था और पुलिस पर विश्वास मत करो आप भले आदमी हो आप बातों में आ जाते हो. इसीलिये आपसे यही अनुरोध है कि आप परीक्षण कर लिया करें और हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपने किसी विश्वस्त आदमी को भेज दें और न्याय करें. न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और ईश्वर चाहेगा यदि ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों बाद जगह खाली हो रही है आप वहां पहुंच जाओगे. धन्यवाद.

श्री सुदर्शन गुप्ता (इन्दौर-एक) – माननीय सभापति महोदया, मैं मांगसंख्या 3,4,5 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है. कानून- व्यवस्था की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है. अपराधों पर सख्ती के साथ नियंत्रण किया गया है. प्रदेश सरकार की यह मंशा है और प्रयास है कि शांति व्यवस्था कायम रहे और कानून का राज स्थापित हो. कानून-व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है. पूर्व की

कांग्रेस की सरकार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून-व्यवस्था को बेहतर रूप से अंजाम दिया है और अगर हम तुलनात्मक आंकड़े देखें तो पहले की अपेक्षा अपराध कम हुए हैं. हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह स्पष्ट मंशा है मत है कि कोई भी अपराधी चाहे जितना बड़ा हो कितने ही बड़े ओहदे पर बैठा हो अगर उसने अपराध किया है तो उसे किसी हालत में छोड़ा नहीं जायेगा. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मालथस और स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि जब-जब जनसंख्या ब ढ़ती है तब-तब अपराध बढ़ते हैं. जनसंख्या का बढ़ना और अपराध का बढ़ना दोनों समान रूप से चलते हैं. कोई भी सरकार रही हो किसी भी युग में रही हो हमेशा जबसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से अपराध होते आए हैं और यह अपराध कम कैसे हों यह सरकार की मंशा के ऊपर है और सरकार की मंशा स्पष्ट है और कानून-व्यवस्था बनाने के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेजी के साथ काम कर रही है. सरकार ने हर प्रकार के अपराध को रोकने के लिये अलग-अलग प्रयास किये हैं और उसके लिये योजना बनाई है. चाहे वह महिलाओं के विरुद्ध अपराध हों, चाहे नक्सलवादी गतिविधियां हों, चाहे आतंकवादी गतिविधियां हों, चाहे साईबर क्राईम हों, सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिये मुस्तैदी के साथ कार्य किया है. दस्यु उन्मूलन के प्रति तेजी के साथ कार्य किया है. इस सरकार को बधाई देना चाहिये कि आज एक भी डकैत प्रदेश में नहीं है. पहले 8 गैंगें यहां चलती थीं. 6 गैंगों को मध्यप्रदेश की पुलिस ने मार गिराया और 2 गैंगों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने मार गिराया था. यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज एक भी डकैत गैंग यहां नहीं है. सरकार सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह सफल है. पूर्व में कांग्रेस की सरकार में आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे होते थे जगह-जगह पर कर्फ्यू लगते थे धारा-144 लगती थी लेकिन जब से माननीय शिवराजजी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूरी सद्भावना के साथ शांति के साथ प्रदेश चल रहा है और सभी वर्ग के लोग भाईचारे के साथ अपना जीवन-यापन कर रहे हैं. शहरों में यातायात बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है. यातायात सुगमता से चले उसके लिये सरकार काम कर रही है और कैमरे लगाए जा रहे हैं. माननीय सभापति महोदया, महिलाओं पर अपराध रोकने की बात गोविन्द सिंह जी कर रहे थे. प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसके लिये मुफ्त पंजीयन सरकार के द्वारा सुनिश्चित

किया है. महिलाओं पर होने वाले अपराधों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति सरकार के द्वारा अपनाई गई है. शासन के निर्णय अनुसार जून,2012 को अजाक शाखा से पृथक कर महिला शाखा का गठन किया गया और उसके लिये अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. प्रदेश के सभी 50 जिलों में फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन किया गया है. शासन द्वारा जनवरी,2013 से राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन 1090 प्रारंभ की गई हैं जिससे प्रदेश की महिलाएं निडर होकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं. पूर्व में कई महिलाएं डर के कारण अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करती थीं किन्तु इस हेल्पलाईन पर फोन करने के बाद वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं. प्रदेश में महिला थाने स्थापित हैं और 141 महिला डेस्क कार्य कर रही हैं. कहीं पर भी किसी महिला के साथ कोई प्रताड़ना होती है उसकी कोई शिकायत होती है तो वह अपनी शिकायत इस पर दर्ज कर सकती है. नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिये राज्य सरकार के द्वारा तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है. हॉक फोर्स का गठन सरकार के द्वारा किया गया है. नक्सलवादी प्रभावित जिलों में विशेष आसूचना ब्यूरो का गठन सरकार के द्वारा किया गया है.

सन् 2012 में 188 पदों की स्वीकृति सरकार के द्वारा दी गई है. प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिये सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. वर्तमान में एटीएस के प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में सभी सिमी के सदस्यों के विरूद्ध विचारणीय 91 प्रकरणों की निरंतर निगरानी सरकार के द्वारा की जा रही है और उसके परिणामस्वरूप 2013-14 में विभिन्न न्यायालय में 16 प्रकरणों में से 9 प्रकरणों में उनमें दंड हुआ और दण्डादेश जारी किये गये. अपराधों को रोकने के लिये सरकार के द्वारा सीसी टी.व्ही. कैमरे की योजना लागू की जा रही है इसमें 61 शहरों में 429 करोड़ रूपये की राशि से सीसी टी.व्ही. आधारित सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था स्थापित करने के लिये सितम्बर 2013 में शासन के द्वारा सैद्धांतिक सहमति भी दी गई है. चूंकि मैं पूरे प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से आता हूं वहां की समस्याओं की ओर गृहमंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं जहां पर उद्योग-व्यापार-व्यवसाय की अनेक मंडियां हैं जहां पर हजारों लोग नियमित आते जाते रहते हैं और इंदौर बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जहां पर सैकड़ों स्कूल कालेज हैं वहां पर अध्ययन करने के लिये प्रदेश ही नहीं प्रदेश के बाहर से भी विद्यार्थी आते हैं और अपना अध्ययन करते हैं जिसके कारण तेजी के साथ कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं और उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है वहां पर नियमित हजारों वाहन नये पंजीयन होते हैं और नये वाहन सड़कों पर आते हैं इस ओर मंत्री का ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगा कि इंदौर का जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है उसको देखते हुए वहां पर थानों की संख्या कम है, थानों की संख्या को बढ़ाना चाहिये और उसके साथ साथ मेरी विधान सभा के एक क्षेत्र भागीरथपुरा पुलिस चौकी है उसको थाने के रूप में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध मैं मंत्री जी से करना चाहूंगा. इसी तरह से पुलिस बल भी वहां पर बढ़ाना चाहिये जिस तरह से भौगोलिक दृष्टि से इंदौर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है वहां पर नयी

नयी कॉलोनियां बसती जा रही हैं बाहर से लोग रोजगार के तलाश में भी बस रहे हैं और उसी के साथ साथ यातायात भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है इसलिये वहां पर पुलिस जवान और ट्राफिक पुलिस जवानों की भर्ती की जाना आवश्यक है. इंदौर में साईबर क्राईम की घटनाओं को रोकने के लिये साईबर ब्रांच तो खोला गया है, लेकिन उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये थी वह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये गृहमंत्री जी से अनुरोध करूंगा. इंदौर में पुलिस आवास गृहों में जहां पर वह रहते हैं उन आवासों की हालत खराब है आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो पुलिस हाऊसिंग बोर्ड बनाया है उसकी हालत बहुत ही खराब है, जर्जर आवासों के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे पुलिस जवान दुर्घटनाग्रस्त होंगे मैं गृहमंत्री जी से कहना चाहता हूं पुलिस आवासगृहों के दुरूस्ती की व्यवस्था करें तथा उन आवासों को नया बनाने की व्यवस्था करें और उसी के साथ-साथ उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने का कष्ट करें. जितने भी गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं उनके मामले में गृहमंत्री एवं शासन से अनुरोध करूंगा उन्हें फास्ट-ट्रेक कोर्ट में चलाया जाय वहां पर प्रकरण चलाने से बहुत ही जल्दी उनका निर्णय होगा और निर्णय होने से वह अपराधी जेल जायेंगे इससे पुलिस विभाग और आम जनता उसमें राहत पायेगी इसी तरह मैं गृहमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां इंदौर में थानों में जो चोरी के वाहन या दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की कतारें लगी हुई हैं उसमें सरकार अगर नीलाम करने का आदेश देगी तो एक तरफ सरकार का राजस्व बढ़ेगा और दूसरी तरफ वह थाने खाली होंगे और वहां स्थान की व्यवस्था उपलब्ध हो जायेगी इसी तरह से मैं चाहता हूं कि इंदौर महानगर का स्वरूप लेता जा रहा है तो वहां पर रात्रि गस्त बढ़ाई जाना चाहिये इसी तरह से केन्द्रीय जेल जो हमारे पास हैं वहां पर क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है इंदौर जिले में सांवेर रोड़ पर बारोली गांव में एक जेल का निर्माण किया गया है, किन्तु वह प्रारंभ नहीं हो पाया है मैं शासन और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बारोली की जेल वह प्रारंभ हो जिससे अधिक कैदी इंदौर जेल और केन्द्रीय जेलों में हैं उनकों वहां से शिफ्ट किया जा सके. आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद.

श्री जीतू पटवारी (राऊ)—माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय गोविन्द सिंह जी अनुदान संख्या 3,4, 5 के संबंध में बता रहे थे कि उनकी उम्र का तकाजा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं उनके विचार-आचार और उनके काम करने और बात करने की जो शैली है वह गृह विभाग अच्छी तरह से संभाल सकते हैं तो मैं उनके पक्ष में हूं. जिस प्रकार से गृह विभाग की अनुदानों की मांगों पर मुझे विचार व्यक्त करते हुए बड़ा दुःख हुआ कि जो भी सत्तापक्ष के लोग खड़े होते हैं वह अपनी बातों को समर्थन में बताने की कोशिश करते हैं चूंकि वह सत्ता में हैं, मैं ऐसा नहीं मानता.

सभापति महोदय—आपको समर्थन करने की खुली छूट हैं जो अच्छी बातें हैं उनका समर्थन कीजिये.

श्री जीतू पटवारी—माननीय सभापति महोदय, इसलिये गौर साहब का समर्थन किया कि उनकी उम्र भले ही ज्यादा हो जैसे जवान काम कर सकते हैं वैसा काम करते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से गौर साहब का बहुत ही समर्थक हूं उनकी कार्य शैली अच्छी है तभी तो मैं उनसे कार्य करवा पाऊंगा. आपसे अनुरोध है

कि आपके प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर थोड़े से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं गौर साहब पिछले एक वर्ष में 9 हजार से ज्यादा बलात्कार इस प्रदेश में हुए हैं जब बात होती है बलात्कार की तो हम जब आपस में बात करते हैं तो ज्यादातर बलात्कार खेतों में होते हैं. पर सामूहिक बलात्कार का जब बात आती है करीबन 800 से 900 बलात्कार एक वर्ष में इस प्रदेश में हुए हैं तो यह चिन्ता का विषय है कि नहीं, यह हम सबके लिये चिन्ता का विषय है मैं समझता हूं कि इस पर जितनी ज्यादा ताकत से ध्यान दें, उतनी आवश्यकता है, साथ ही चेन स्नेचिंग को लेकर के बात हुई या और अन्य तरह के अपराधों की बात हुई प्रदेश में अपराधों का जो प्रतिशत बढ़ा है वह अद्‌भुत है पूरे मध्यप्रदेश का नंबर पूरे देश में अव्वल अपराधों में या उससे जुड़ी हुई चीजों में आने लगा है तथा अपराधों में मध्यप्रदेश में नंबर 3 है तो यह कितनी गलत बात है कि मध्यप्रदेश जहां आखिरी के 3 नंबर पर होना था वह ऊपर से 3 नंबर पर है इससे चिन्ता होती है. मुझे इस बात का बड़ा ही खेद है कि जित तरह का विधायक हूं और विपक्ष का हूं मुझे आप लोगों को जेल भेजना पड़ा उसमें कोई कानून, कोई नियम तथा ऐसा कोई मैंने अपराध नहीं किया था कि दो दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी तो जहां पर एक विधायक की यह स्थिति है तो आम जनता का क्या होगा. अभी पुलिस की बात हो रही थी उसमें माननीय गोविन्द सिंह जी ने बताया कि एसडीएम को मारने की बात की इस प्रदेश में जित तरीके से सरकारी कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं कौन कर रहा है, जनता कर रही है, सत्ताधारी दल के नेता कर रहे हैं, इससे पुलिस विभाग का मनोबल जितना गिरा हुआ है पुलिस विभाग की भर्ती में जितनी बड़ी धांधलियां एवं घोटाले हुए हैं तो आप क्या ऐसा प्रशासन चलाने की क्षमता रखते हैं कि पैसे देकर के जो पदों पर बैठता है जैसा कि गौर साहब जी रेट लिस्ट की बात आयी थी, रेट लिस्ट सही में इंदौर में जितने थाने हैं वह बिना पैसे के नहीं बंटते हैं जिस तरीके से एस.पी.और सीएसपी की पदों की भर्ती होती है उसमें धांधलियां होती है उसमें पैसे लेते हैं उसमें आपके पास पैसे आते हैं कि नहीं आते इसका मुझे संज्ञान नहीं है. व्यापम में तो छोटी भर्तियां हुई हैं मेरी बातें आरोप लगाने तक ही सीमित नहीं है. जिस प्रदेश में जितने थाने चाहिये उतने थाने नहीं हैं उसमें जितना स्टॉफ चाहिये, स्टॉफ नहीं है. आपने देखा कि जितने पुलिस कर्मचारियों के जो भत्ते होते हैं जैसे वर्दी धोने का भत्ता या साईकिल एलाऊंस, अथवा पोष्टिक आहार यानि की 300 रूपये में दो टाईम खाना मेरे ख्याल से गरीबी रेखा वाले को 300 रूपये दिये जाते हैं.

सभापति महोदय—मेरा आग्रह है कि अपनी बात शीघ्र पूरी करें मैं सम्पूर्ण सदन को इस बात से अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे जो ओपनिंग वक्ता हैं उनकी बात पूरी हुई है. हर सदस्य अपनी बात दो तीन मिनट में पूरी करने का कष्ट करेंगे तो हम समय को संभाल पायेंगे.

श्री जीतू पटवारी—मुझे अपनी बात कहते हुए दो तीन मिनट ही हुए हैं.

सभापति महोदय—आपको बात करते हुए चार मिनट हो चुके हैं आप एक मिनट में अपनी बात पूरी करें.

श्री जीतू पटवारी—अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं चार मिनट से बोल रहा हूं इसलिये मुझे समझ में नहीं आया है और यह मेरा अज्ञान है तो मुझे अभी बैठना पड़ेगा.

श्री मान्वेन्द्र सिंह (महाराजपुर)--माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय गौर साहब द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 3, 4 और 5 का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं. माननीय सभापति महोदया, प्रदेश का गृह विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इसके अंतर्गत चाहे वह प्रशासकीय कार्य हों, चाहे वह जनता के कार्य हों, गृह विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. इस विभाग का दायित्व हमारे सबसे वरिष्ठ सदन के जो मंत्री हैं, उनको इसीलिये यह विभाग सौंपा गया है कि पूरे प्रदेश का उनका एक अनुभव और इस अनुभव के कारण मध्यप्रदेश में इस विभाग को चलाने में उनसे हम सभी को बहुत मदद मिलती है. माननीय सभापति महोदया, मैं अपने जिले के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि विभाग में जो पुलिस बल की कमी है हमारे छतरपुर जिले से उत्तरप्रदेश के 3 जिले लगे हुए हैं और खजुराहो, जो कि एक पर्यटक स्थल है, वहां भी वी.आई.पी. का आना-जाना बहुत रहता है, इस वजह से पुलिस बल की आवश्यकता वहां पर काफी अधिक मात्रा में है. इसका मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं. दूसरी बात, निश्चित इस व्यवस्था में शायद कुछ समय लगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रक्षा समितियां हैं, इनका प्रावधान करवा कर, इनको प्रोत्साहित करायें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्यायें तो कुछ हद तक निपटें. दूसरा, माननीय सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लगभग 5 वर्ष में विधान सभा चुनाव, लोक सभा चुनाव काफी समय तक चुनाव रहते हैं और हर चुनाव के समय लायसेंसी हथियारों को जमा थानों में

करवाया जाता है. इस समय लगभग 1 महीने-2 महीने पहले जमा कराये जाते हैं, उसके बाद जब चुनाव खतम होते हैं, तो उनको वापिस करने में भी काफी समय लगता है एस.डी.एम. की स्वीकृति लेना या जिलाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति लेने में, उनकी स्वीकृति आने तक तब तक दूसरे चुनाव आ जाते हैं. मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस व्यवस्था में एक परिवर्तन लाया जाये और जो भी हथियार, यह एक समय सीमा निर्धारित हो...

सभापति महोदया--वैसे आपकी बात मंत्री जी तक पहुंच गई है उसको पूर्ण करने की.

श्री मानवेंन्द्र सिंह--इतने समय पहले और इतने समय बाद तक कोई भी लायसेंसधारी जनता में या कहीं भी घर से हथियार लेकर न आये और अगर आये, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये, क्योंकि जो भी लायसेंसधारी है, वह क्राइम नहीं करता है. क्राइम वही करते हैं, जिनके पास लायसेंसधारी हथियार नहीं हैं सुरक्षा की दृष्टि से थानों में हथियार असुरक्षित रखे रहते हैं, क्योंकि उसी समय चुनाव के समय पुलिस बल को दौरे करने पड़ते हैं और थाने भी खाली रहते हैं. मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस व्यवस्था को भी सुधारा जाये. आपने मुझे समय दिया, मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)--माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का विरोध करते हुए कटौती प्रस्तावों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं. माननीय सभापति महोदया, प्रदेश की स्थिति काफी चिन्ताजनक है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. महिलाओं की बात आई, मैं महिलाओं के अपराधों के संबंध में चर्चा करना चाहूंगा. माननीय मंत्री जी ने 30-6 के मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है कि 1 जनवरी, 2014 से 10 जून तक 161 दिनों में जो महिलाओं के साथ बलात्कार की स्थिति है, वह 2151 है, औसतन 14 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं और जिनमें से 1145 लड़कियां अव्यस्क महिलायें हैं, माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी को चिन्ता होनी चाहिये. इसी तरह से 161 दिनों में 196 समूहिक बलात्कार की घटनायें प्रकाश में आई हैं, यह भी काफी चिन्ताजनक है. माननीय मंत्री जी काफी वरिष्ठ हैं, मुझे आश्चर्य तो तब हुआ, जब यह महिलाओं पर अत्याचार का मामला, बलात्कार का मामला उठा, तो मंत्री जी बड़े ही नि:संकोच भाव से, लापरवाही से स्टेटमेंट देते हैं कि बलात्कार कोई

मुझसे पूछ कर करता है क्या, अपराध कोई मुझसे पूछकर करता है क्या ? अरे, आप इनको रोको, काहे के लिये बैठे हो गृह विभाग आपके पास है और इसी अवधि में 1 जनवरी, 2014 से 31 मई, 2014 तक 151 दिनों में माननीय सभापति महोदया, मैंने पूछा था कि महिलाओं के अपहरण, गुमशुदगी और मानव तस्करी के कितने प्रकरण प्रकाश में आये ? तो उत्तर आया 13,308 प्रकरण. प्रदेश में औसतन 90 महिलायें रोज गायब हो रही हैं और प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और इस अवधि में बरामद कितनी की हैं ? मात्र 4 हजार. इतनी महिलायें प्रदेश की गायब हैं, प्रदेश की स्थिति काफी चिन्ताजनक है. काफी बातें कह चुके हैं, माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी की पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में जरूर कहना चाहूंगा. मैंने एक प्रश्न लगाया था, प्रकरणों के बारे में पूछा था. एक प्रकरण है 539/13, 12/13, 14/13, 15/13, 18/13, 16/13 ये सभी प्रकरण एस.टी.एफ.के हैं. माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह प्रकरण बने. पी.एम.टी. में फर्जीवाड़ा हुआ, प्रकरण एस.टी.एफ. के यहां दर्ज हुए, एस.टी.एफ. ने प्रकरण दर्ज करके गिरफ्तारियां शुरू कीं और कुछ प्रकरणों में चालान भी प्रस्तुत किये गये और उसमें लगातार वही चालान प्रस्तुत किये गये 1-1 प्रकरण में 3-3, 4-4 बार पूरक चालान भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं 12-13 में भी इसमें अभी 144 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. माननीय सभापति महोदया, पी.एम.टी. के संबंध में जो प्रकरण बनाये गये थे, 2012 की परीक्षा में 701 विद्यार्थी जो उनका रोल नंबर था उनका सीरियल नंबर था, मिसमैचिंग के आधार पर यह पाया था कि यह फर्जी प्रकरण तैयार किये गये हैं, फर्जी तरीके से पास हुए हैं. इसके साथ-साथ एस.डी.एम. ने इनकी ओ.एम.आर. शीट की जांच कराई और ओ.एम.आर. शीट में अनियमितता पाने पर 150 प्रकरणों को मिसमैच माना, जबकि प्रकरण पूर्ण परीक्षण के बाद 701 थे, उसके बाद इसके आरोपी एक नितिन महेन्द्रा को गिरफ्तार किया गया, इसके यहां से हार्डडिस्क जब्त हुई और जब्त होने के बाद जब उसने डेटाज गायब कर दिये, तो रीट्रीट भी कराया गया और रीट्रीट करने के बाद जो डेटाज आये, उसमें 23 लोगों के नाम आये और 23 लोगों के नाम के सामने सबके किसने सिफारिश, किसने कितने पैसे दिये, यह सारी की सारी स्थितियां इसतरह से 1 करोड़, 95 लाख रूपये नितिन महेन्द्रा ने प्राप्त किये और इन 23 लोगों मेंसे 9 लोगों को मुल्जिम नहीं बनाया गया, जबकि 9 मुल्जिमों ने भी पैसे दिये. केवल 2 व्यक्तियों ने पैसे नहीं दिये, उनके आगे मिनिस्टर लिखा हुआ है और एक

प्रेम चंद प्रसाद और एक दो मिनिस्टर, इन्होंने पैसे जरूर नहीं दिये हैं और बाकी सभी ने पैसे दिये. इसमें आपकी हार्ड डिस्क की कापी मंगा लें उस कापी में स्पष्ट उल्लेख है. माननीय सभापति महोदया, यह बड़ी विसंगति है, यह पूरे प्रकरण की जांच को संदेह के घेरे में ला रही है कि बड़े लोगों को किस तरह से बचाने का काम किया जा रहा है और पैसे लेने के बाद भी जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने बात उठाई, जब पैसे की बात स्पष्ट हो गई, पैसा आपने जब्त किया है, तो प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट का मामला क्यों नहीं लगा रहे हैं ? इसीलिये यह बार बार बात आ रही है कि व्यापम परीक्षाओं और फर्जीवाड़े के जितने भी प्रकरण कायम किये गये हैं, उनमें इस तरह की धाराओं का न बनना, अपराधियों का गिरफ्तार न होना और जो तथ्यात्मक सबूत हैं, जो रिकार्डेड हैं, उनमें भी आप उनको पूरे लोगों को मुल्जिम नहीं बनाना, गिरफ्तार नहीं करना यह समझ से परे है. माननीय सभापति महोदया, इसी तरह से 2008, 2009, 2010,2011 इन सभी प्रकरणों की जांच की गई है. इन जांचों में कुछ परीक्षार्थियों को निलंबित कर दिया, उन्हें संस्थाओं से बाहर निकाल दिया, लेकिन उन पर प्रकरण नहीं बनाये गये. प्रकरण बनाये जाने चाहिये थे और 2008 से आप क्यों नहीं प्रारंभ कराते ? सभी की मिसमैच की जांच कराइये. सभी परीक्षार्थियों के रोल नंबर और इसकी जांच कराइये. यह पूरा का पूरा मामला व्यापक है और माननीय गौर साहब, आप तो मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आप काफी हिम्मत वाले हैं, कम से कम आपकी ओर तो किसी की उंगली न उठे. इसमें जो मैंने नाम बताये थे, इनमें एक एस. विजयवर्गीय भी है, पता नहीं कौन है ? इस पर भी प्रकरण कायम नहीं हुआ.आशुतोष ठाकुर है, इस पर भी प्रकरण कायम नहीं हुआ. एक शर्मा नाम की कोई लड़की है

सभापति महोदया -- आपकी बात होते हुए 5 मिनट हो गये हैं. अब एक मिनट में अपनी बात पूरी करने का प्रयास करें.

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदया, इन पर प्रकरण कायम नहीं हुए. मंत्री जी, आप काफी वरिष्ठ हैं. कम से कम इसकी अंगुली आपकी तरफ तो नहीं उठे. मुख्यमंत्री जी तो नहीं चाहते. आप हिम्मत करें. आप तो अपनी तरफ से इन पूरे प्रकरणों को सीबीआई के लिये प्रस्तावित कर दो. आप तो बच जायेंगे कम से कम, नहीं तो आप भी इसमें संदेह के घेरे में संरक्षणदाता बन जायेंगे. हमें पता है कि आप इसमें कहीं संलिप्त नहीं हैं. लेकिन आप इसमें संरक्षणदाता नहीं बनो. मेरी मांग है कि इस तरह के

प्रकरणों की जांच के बारे में जरुर पूरा पता करें देखें और डायरी दिखवायें कि जो रिकार्डेड तथ्य हैं, उनको विशेष रुप से देखें. सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं. जेल में जो बंदियों की संख्या है, वह काफी कम है और आपके जेलों में जो बंदी हैं, वह 18032 अधिक बंदी हैं. वहां भी आपकी अव्यवस्थायें होती हैं, वहां भी लोग आत्महत्या करते हैं. वहां की व्यवस्थाओं के लिये भी आप सुधार की कोशिश करें और पुलिस को कम से कम राजनैतिक हस्तक्षेप से दूर रखें. जितना राजनैतिक हस्तक्षेप आपने आने के बाद बढ़ा है, पुलिस निष्पक्षता से अच्छा काम नहीं कर रही है.

सभापति महोदया -- रावत साहब, गौर साहब इशारे में बात समझते हैं, आप इतनी लम्बी बात बोले जा रहे हैं. उनको आपकी सारी बात समझ में आ चुकी है.

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदया, राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण ही तो ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं. वह अभी गोविन्द सिंह जी ने जैसा कहा, वह राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण ही वह तो एसडीएम पिटा. नहीं तो वह एसडीएम नहीं पिटता.

सभापति महोदया -- मैं कह रही हूं कि गौर साहब आपकी सब बात समझ चुके हैं. आप उन पर भरोसा करें.

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदया, भरोसा करें. गौर साहब सीबीआई जांच के लिये आप प्रस्तावित करेंगे. राजनैतिक हस्तक्षेप कम करवाने की कोशिश करेंगे. आप महिलाओं के मामले में संवेदनशील बनेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं. धन्यवाद.

श्री रुस्तम सिंह (मुरैना) -- सभापति महोदया, मैं गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या-3,4 एवं 5 के समर्थन में चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूं. चूंकि मैं स्वयं पुलिस में बरसों रहा हूं. मैंने वह पुलिस भी देखी है, जो आज से 10 साल पहले थी. और इन 10 सालों की भी पुलिस मैंने देखी है. मैं तथ्यों की बात करुंगा. मैं हवाई बात नहीं करुंगा. ..(व्यवधान).. सभापति महोदया, मेरा निवेदन इतना है कि मुझे बात रखने का मौका दिया जाय.

..(श्री सुन्दरलाल तिवारी के बैठे बैठे कहने पर)..

सभापति महोदया -- तिवारी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठे बैठे बात न करें. आपको जब अवसर मिलेगा, तब अपननी बात कहें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- 10 साल पहले यानि जब आप पद पर थे और आप इस तरह की बात कर रहे हैं.

..(व्यवधान)..

सभापति महोदया -- कृपया बैठें. तिवारी जी आप बैठें. आप अवरोध न पैदा करें., मेरा आपसे विनम्र आग्रह है.

..(व्यवधान)..

श्री रुस्तम सिंह -- सभापति महोदया, पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी. .. (व्यवधान).. सभापति महोदया, यह तथ्य को सुनने में शायद इनको दिक्कत हो रही है. क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूं. तो मैं तथ्य बताऊंगा.

श्री सुन्दरलाल तिवारी --तो किया क्या आपने.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- मजबूर थे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मजबूर थे कांग्रेस ककी सरकार में.

श्री सुन्दरलाल तिवारी --यही करते थे, इसीलिये बीजेपी ने टिकट दिया.

..(व्यवधान)..

श्री रुस्तम सिंह -- ऐसा है कि आप पुलिस पर दबाव बनाते थे और एफआईआर दर्ज नहीं होती थी. इसलिये आंकड़े कम आते थे. सभापति महोदया, मैं तथ्य बताना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में सब इन्सपेक्टर भर्ती होकर 23 साल सब इन्सपेक्टर रहता था. इन्सपेक्टर भर्ती होकर 20 साल इन्सपेक्टर रहते थे. सिपाही भर्ती होकर 20 साल तक सिपाही बना रहता था. आज मैं यह बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में, गौर साहब के गृह मंत्री के रुप में स्पीड से प्रमोशन हुए हैं कि 12 साल का सब इन्सपेक्टर इन्सपेक्टर बन रहा है. यह पूरे प्रदेश के लिये हो रहा

है. यह किसी एक के लिये नहीं हो रहा है. सिपाही हवालदार बन रहे हैं. देखते देखते 5 साल में हवालदार से सब इन्सपेक्टर बन रहे हैं.

श्री तरुण भनोत --रेट भी बता दीजिये. रेट क्या लग रहे हैं. प्रमोशन के रेट क्या लग रहे हैं. पैसे भी लग रहे हैं.

श्री लाखन सिंह यादव -- मंत्री के लिये अपना नंबर है कि नहीं. आपके प्रमोशन का नंबर कब आ रहा है.

श्री शैलेन्द्र जैन -- सभापति महोदया, जिस बात के लिये गौरवान्वित होना चाहिये, उसमें शर्म की बात की जा रही है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- शर्म उधर आनी चाहिये. जिन्दगी भर रोटी खाये, उसी की तनख्वाह लिये और उसी के लिये कह रहे हैं.

..(व्यवधान)..

सभापति महोदया -- यह रोटी वाली बात विलोपित करें. ..(व्यवधान).. तिवारी जी, आप बैठें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- (xx)

सभापति महोदया -- तिवारी जी, जो कुछ कहेंगे, उसे नोट न किया जाय.

श्री रुस्तम सिंह -- क्या रोटी तुमने दी हमको. क्या बात करते हैं. सभापति महोदया, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि ये किस तरह की बात करते हैं. जो शासकीय सर्विस कर रहा है और रोटी दे रहे हैं ये. (सत्ता पक्ष की तरफ से शेम शेम की आवाजें) शर्म आनी चाहिये.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- तभी तो कह रहे हैं.

सभापति महोदया -- तिवारी जी, आप बैठिये.

श्री रुस्तम सिंह -- सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि..

सभापति महोदया -- मैं उसको विलोपित करा चुकी हूं. आप आगे कहें.

(xx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया

श्री रुस्तम सिंह -- सभापति महोदया, आप बिलकुल विलोपित करा दें. मैं आग्रह यह करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, जब ये मंत्री होते थे तब बंदूक लेकर बीहड़ में निकलने की बातें होती थीं. मंत्री होते हुए. मैं कहना यह चाहता हूं कि को डकैत गेंग अब चम्बल संभाग में नहीं बची है. नक्सलाइट नियंत्रण हुए हैं.

श्री रामनिवास रावत – है, चम्बल सम्भाग में सूचीबद्ध गेंग आज भी हैं. गौर साहब से पूछें.

श्रीमती ललिता यादव -- वह भी मारे जायेंगे.

श्री तरुण भनोत -- डकैत जंगल में नहीं बचे, सरकार में आ गये. सत्ता में आ गये डकैत.

सभापति महोदया -- इसको विलोपित करें. मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि हम सब सदन के सम्मानीय सदस्य हैं. और एक प्रकार से हमारा अनुकरण समाज में नीचे तक एक संदेश देता है. हम अपनी बात करें, अपनी बात अपने समय पर करें और एक दूसरे का परस्पर सम्मान रखते हुए करें.

श्री रुस्तम सिंह -- सभापति महोदया, मेरा बहुत सारा समय मेरे हिस्से का ले लिया गया है. इसलिये मुझे बोलने का मौका दिया जाय. मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि अब जो सरकार है, उसने सुविधायें बढ़ाई हैं. आप जब जहांगीराबाद की तरफ जाते हैं, आप बाकी तरफ देखते हैं कि ऐसी बिल्डिंग बनी है, जैसे लगता है किसी का फाइव स्टर होटल बना हो. इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रहते हैं. यह सरकार ने आवास बनाये हैं. हम आग्रह यह ककरना चाहते हैं कि सुविधायें बढ़ी हैं, प्रमोशन्स बढ़े हहैं, आवास सुविधायें बढ़ी हैं और अपराधों पर नियंत्रण भी हुआ है. जो आंकड़े की बात की जाती है रजिस्ट्रेशन फ्री हुआ है. अपराध होता है, तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है. इसलिये आंकड़े दिखाई देते हैं. जो मैंने प्रमोशन की बात बताई, सबइन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर से डीएसपी और डीएसपी से

एडिश्नल एसपी बनने में 17 साल लग रहे थे. आज 9 एवं 10 साल में एडिश्नर एसपी बन रहे हैं. प्रमोशन खूब बढ़े हैं. क्या एस.एफ. में डी.एफ. में सब जगह खूब बढ़े हैं. बहुत सारा बल भी बढ़ाया गया है. हजारों की तादाद में बढ़ाया गया है. यदि हम जले की सुविधाओं की बात करें, तो मै इतना ही कह सकता हूं कि जेल में भी पहले से बेहतर सुविधायें की गयी हैं. निरीक्षण अधिकारियों के बढ़े हैं. मैंने स्वयं देखा है. डीजी लेवल के अधिकारी जिला जेल में दो दो बार विजिट करने एक साल में जा रहे हैं. मैं आग्रह यह करना चाहता हूं कि ये सुविधायें बढ़ी हैं. सामप्रदायिक सद्भावना सरकार ने बनाकर रखी है. सालों से शहरों में कर्फ्यू नहीं लगा है. लोगों ने कर्फ्यू देखा नहीं है. नहीं तो बड़े शहरों में हमेशा जब देखो तब कर्फ्यू रहा करता था. हम इसके साक्षी रहे हैं. ..(व्यवधान).. सभापति महोदया, थोड़ा सा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो मुरैना क्षेत्र है, उसमें सुविधायें और बढ़ा दें. बहुत सारी दी हैं. आवास की सुविधा बेहतर हो जाय. पुराने जमाने के जो आवास बने हुए हैं, कितनी जर्जर हालत में हैं. उसें रह नहीं सकते. उसमें घुस नहीं सकते. उनको तोड़कर नये बहुमंजिला जैसे यहां बने हैं, वहां भी बनाये जायें.

सभापति महोदया -- भोपाल जैसे मुरैना में बनाये जायें.

श्री रुस्तम सिंह -- वहां बेहतर सुविधायें हों. म ध्यप्रदेश का जो आईपीएस कार्डर, वह बढ़ना चाहिये. आगे जाना चाहिये. बहुत जनसंख्या बढ़ गयी है. बहुत सारी समस्याएं बढ़ गयी हैं, पुलिस की जो जवाबदारियां हैं, वह मूलतः आपराधों पर नियंत्रण कानून व्यवस्था बनाने की होती है. लेकिन इस सरकार में पहले भी जितनी भी समस्याएं हैं, जुलूस ले लजिये, परीक्षा करा लीजिये, आग लगती है, तो जायेगी, बाढ़ होगी तो. हर जगह पुलिस का दौड़ना होता है. इसलिये बल बभी बढ़ना चाहिये.

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात के साथ में अपनी बात का समापन करना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश की पुलिस हिन्दुस्तान मे अपना मान, सम्मान और प्रतिष्ठा रखती है. हमेशा से रखती आई है वह और बढ़ेगी अगर यह सुविधायें जो हम आग्रह कर रहे हैं, मंत्री जी बहुत वरिष्ठ हैं वह अगर इन सुविधाओं पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा. धन्यवाद.

कुंवर विक्रम सिंह(राजनगर) -- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद. मैं मांग खंख्या 3,4, 5 के कटौती प्रस्तावों का समर्थन करते हुये अपनी बात रखना चाहता हूं. माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि भोपाल शहर में अभी भी 261 लोग फरारी की हालत में घूम रहे हैं. यह मंत्री जी का जबाव है. जब 261 अपराधी प्रदेश की राजधानी भोपाल में फरारी में घूम रहे हैं तो बाकी प्रदेश में कितने फरारी घूम रहे होंगे. इसी प्रकार से अंधे कत्लों का कोई खुलासा हो नहीं रहा है. 25 दिसम्बर की दरम्यानी रात की घटना है , यह मेरे गृह नगर राजनगर का मामला है, राजनगर थाने की पुलिस उन आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है. कल मेरा प्रश्न 22 नंबर पर लगा था जिसके संबंध में मैंने मंत्री जी को पत्र भी लिखा है, आशा है शीघ्र ही अपराधी पकड़ने हेतु मंत्री जी निर्देश देंगे.

माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस विभाग की तारीफ भी करूंगा कि मध्यप्रदेश में जब दस्यु समस्या ज्वलंत थी, दस्यु गिरोह थे ठोकिया, ददुआ बगैहरा की तो मध्यप्रदेश - उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ कायम करके उस एसटीएफ ने उन दस्युओं का सफाया किया परंतु अभी भी जिला छतरपुर में अपराधी और बदमाश जंगलों में घूम रहे हैं और उन्होंने अपनी पनाहगार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बना रखा है. मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बाघों की संख्या नगण्य हो गई थी एक भी बाघ नहीं बचा था जब दस्यु गिरोह वहां पर रहते थे उन्होंने सारे बाघों का खात्मा कर दिया था. आज वह समस्या फिर से पैदा न हो जाये इसके लिये मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पर अवश्य ध्यान देंगे.

माननीय सभापति महोदय, कुछ सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं. सन 2000-2001 एव 2001-2002 में शराब की दुकानें तो हुआ करती थीं लेकिन मोहल्ले-मोहल्ले, शराब की दुकानें नहीं हुआ करती थीं. लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से मोहल्ले-मोहल्ले में शराब की दुकानें खुल गई है, यह शराब की दुकानें बंद होना चाहिये, इन शराब की दुकानों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है क्योंकि ज्यादातर अपराध इसी शराब के मार्फत होते हैं. मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे अपने उद्बोधन में इस बात पर अवश्य प्रकाश डालेंगे. इस पर रोक लगाई जाना बहुत आवश्यक है. जिससे गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, वार्ड-वार्ड में शराब की दुकानें बंद हो.

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहते हुये कहना चाहूंगा कि सभी विधायकों को गनमेन (पीएसओ) की व्यवस्था शासन के द्वारा दी जाती है. देखने में आया है कि कहीं -कहीं एक गनमेन, कहीं कहीं 2 और कहीं कहीं पर 10-10 गनमेन दिये जा रहे है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है. बतायें. मैं जब से विधायक बना हूं तब से मैं दूसरे गनमेन की मांग करता आ रहा हूं परंतु मुझे दूसरा गनमेन नहीं दिया जा रहा है यह गनमेन मैं इसलिये मांग रहा हूं क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र तीन तरफ से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है . उत्तर प्रदेश से आये दिन फरारी-अपराधी मध्यप्रदेश की सीमा में घुस आते हैं . एक गनमेन होने के कारण, यदि गनमेन का स्वास्थ्य खराब हुआ तो जनप्रतिनिधियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है. तो शासन से अनुरोध है कि जनप्रतिनिधियों के लिये गनमेन की ऐसी व्यवस्था की जाये कि विधायकों को कम से कम 2 गनमेन आवश्यक रूप से दिये जायें. (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक दंगों के मामले में कितने लोग गिरफ्तार नहीं हुये हैं और कितनों की गिरफ्तारी हो गई है, साम्प्रदायिक दंगे देश की एकता और अखण्डता को खत्म करते हैं . यह दंगे चाहे जिस वजह से हों परंतु माननीय गृह मंत्री जी इस पर गौर फरमायेंगे, ऐसी मै आशा करता हूं.

सभापति महोदय -- विधानसभा की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिये स्थगित.

(1.01 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

समय 02.35 बजे अध्यक्ष महोदय (डॉ सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री शरद जैन-- अध्यक्ष महोदय, मैं गौर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि आज उनके भाषण का प्रभाव था कि भोपाल में मानसून की जोरदार दस्तक हुई.

श्री रामनिवास रावत-- भाषण ही नहीं हुआ. प्रभाव कहां से हो गया.

श्री विक्रम सिंह 'नातीराजा'-- अध्यक्ष महोदय, छतरपुर जिले में शस्त्र लायसेंसों पर जो रोक लगी है वह कब तक खुलेगी ताकि उन लोगों के शस्त्र लायसेंस तो बन सकें जिनके फौती शस्त्र लायसेंस हैं और जो जरुरतमंद लोग हैं . जिन गांवों में एक भी शस्त्र लायसेंस नहीं हैं कम से कम उन गांवों में तो शस्त्र लायसेंस बन सकें.

अध्यक्ष महोदय, मैं जेल विभाग पर अपनी बात कहना चाहता हूं. जेलों में कैदियों के परिजन और मिलने वाले आते-जाते हैं तो वहां पर छाया की व्यवस्था और ठण्डे पीने के पानी की व्यवस्था अवश्यमेव करायी जाये.मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर गौर करें. आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री मुरलीधर पाटीदार(सुसनेर)-- अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की हैं वह सुधारात्मक बजट है. इसमें फण्ड की पर्याप्त व्यवस्था है. विगत वर्षों के बजट से इसमें क्रमशः लगातार वृद्धि की गई है. इस साल के बजट में भी पुलिस विभाग में 7 प्रतिशत की वृद्धि की है. मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी और माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं.

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विघटनकारी ताकतें हैं उनको रोकने के लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया है. इसके लिए 429 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा शान्त प्रदेश

विघटनकारी ताकतों की आंख की किरकिरी बना हुआ है. इसके लिए यह निश्चित रुप से उत्तम व्यवस्था है.

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए कॉल सेन्टर 1090 की व्यवस्था है. आज की अधिकतर महिलाएं कामकाजी हैं. वह कहीं न कहीं छोटी-बड़ी नौकरी करती हैं और उसके लिए उनको दिन रात में कभी आना-जाना पड़ता है उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है.

अध्यक्ष महोदय, बड़े शहरों में यातायात अव्यवस्थित था उसके लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्था इस बजट में की गई है.

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के लिए आवास प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है. जैसा कि पूर्व में एक वक्ता ने बोला था कि भोपाल में पांच सितारा जैसे आवास बनाये गये हैं. वर्ष 2011 से अभी तक 10500 आवास गृहों का निर्माण किया है. इसमें आगे भी निश्चित तौर पर बढ़ौत्री होगी.

अध्यक्ष महोदय,वर्ष 2003 से 2013 तक 10 साल में 32 हजार 574 पदों की पुलिस विभाग में वृद्धि की गई है यह भी अपने आपमें ऐतिहासिक है. यदि कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो हमारी कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती. अगर शान्ति नहीं है तो इसका मतलब सरकार की हमारे मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी है. चुस्त-दुरुस्त शासन व्यवस्था के लिए पदों में वृद्धि महत्वपूर्ण है.

अध्यक्ष महोदय-- आप अपने जिले की बात एक मिनट में कहकर समाप्त करेंगे.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा में पहली बार बोल रहा हूं. आगर जिले में 163 पद स्वीकृत किये गये हैं. यहां पर सायबर सेल की स्थापना भी की है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, साथी सदस्य सड़कों पर तो बहुत बोलें हैं, विधानसभा में आज पहली बार बोल रहे हैं.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- अध्यक्ष महोदय, आज थाने में अगर कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने जाता है तो वहां के टीआई, थाना प्रभारी बोलते हैं कि हमको कॉल डिटेल नहीं मिलती है जिससे उसका पता लगाने में कठिनाई होती है. इसलिए सायबर सेल को और मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि सबसे ज्यादा यदि क्राईम हो रहे हैं तो वह सायबर क्राईम हैं. इसलिए सायबर सेल को मजबूत किया जाये. अध्यक्ष महोदय, डीजीपी साहब का एक पत्र सारे थानों में गया है कि सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था शहरों में की गई है. मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि थाने में जहां खासकर फरियादी बैठता है, उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाये इसके लिए वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवाये जायें. उसके लिए पदों की पूर्ति की जाये.

अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र सुसनेर राजस्थान से लगा हुआ है. सारे नंबर दो के काम राजस्थान की सीमा से होते हैं. मंदसौर भी राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है. अफीम और गांजा की तस्करी की सबसे ज्यादा शिकायतें रहती हैं. मेरे विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाने में एक भी महिला कांस्टेबल नहीं है इस कारण कभी कभी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

अध्यक्ष महोदय, एक विशेष निवेदन है. कम उम्र की लड़कियां जो 15 साल, 20 साल, 25 साल की होती हैं, के साथ बलात्कार होता है उसकी रिपोर्ट तत्काल दर्ज की जाना चाहिए लेकिन अधेड़ महिलाएं कई बार अनावश्यक रुप से राजनीति का शिकार होकर किसी के द्वारा प्रोत्साहित करके, झूठी एफआईआर दर्ज कराती है. हम इस संबंध में जब अधिकारियों से बात करते हैं तो बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की रुलिंग है. सुप्रीम कोर्ट की रुलिंग की आड़ में किसी निर्दोष पर बलात्कार के प्रकरण दर्ज नहीं किये जाना चाहिए. पुलिस दस्ते को विशेष ट्रेनिंग दी जाना चाहिए.अभी 6 तारीख की घटना है. मेरे यहां पर बोरवेल में एक बच्चा गिर गया. एडीशनल एसपी ने काफी मशक्कत करके 9 घंटे चले आपरेशन में कामयाबी हासिल की लेकिन वहां हमारा एक भी पुलिस कर्मचारी इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था, इसलिए इतनी दिक्कत उठानी पड़ी.

अध्यक्ष महोदय, जेलों में बंद कैदियों को जितनी नरेगा में मजदूरी मिलती है, उतनी दी जाये. अंत में, मेरे बड़ा गांव में चौकी है. वह क्षेत्र काफी संवेदनशील है. वहां की चौकी को थाने में परिवर्तित किया जाये. धन्यवाद.

श्री बहादुर सिंह चौहान(महिदपुर)-- अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए, कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ताओं ने पुलिस विभाग पर अपने विचार रख दिये हैं. समय की कमी है. मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं. उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर सिमी का गढ़ है. सफदर नागौरी जहां से सिमी की गतिविधियां पूरे देश में चलाता है वह महिदपुर क्षेत्र है. मैं महिदपुर से जन प्रतिनिधि हूं. मालवा अंचल शान्ति का टापू कहा जाता है वहां पर सिमी द्वारा असामाजिक गतिविधियां चलायी जाती थी. हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा सिमी के लोग जो खंडवा भाग गये थे,उनको पकड़ लिया और मालवा क्षेत्र में शान्ति है.

अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं कि पुलिस कर्मचारियों के रहने के लिए आवास की चर्चा चल रही थी. हमारे महिदपुर तहसील का थाना झालड़ा के अंतर्गत रणादर की चौकी ग्रामीणों ने 15-20 लाख का भवन जन सहयोग से बनाया है. यह राजस्थान के झालावाड़ की सीमा से लगा हुआ है. मैं आपके माध्यम से गृहमंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मालवा में यह पहला ऐसा प्रकरण है जहां 20 लाख रुपये का भवन बना कर दे दिया लेकिन थाना झालड़ा से 1+4 का गार्ड स्वीकृत नहीं है. मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में रणादर की चौकी में बल स्वीकृत कर दे. धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिहावल) – माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा कहना है कि मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है. मध्यप्रेदश में भांजे और भांजियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, भाई बहनें माता पिता बड़े बुजुर्ग सब एकदम से सुरक्षित हैं यहां पर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, यहां पर किसी प्रकार की कोई गुण्डागर्दी नहीं है, किसी प्रकार की कोई लूट पाट नहीं है और कटौती प्रस्ताव में हम समर्थन करतेहैं. मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि मंत्री जी अखबारों में हमारे पत्रकार बंधु जो प्रकाशित करते हैं उनको जरूर आप प्रतिबंधित करें कि इस तरह की खबरें प्रकाशित न करें,. मध्यप्रदेश में अन्याय अत्याचार है भ्रष्टाचार है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है. माननीय मंत्री जी का जब जवाब आयेगा तो यह ही कहेंगे कि मध्यप्रदेश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है...

अध्यक्ष महोदय – अब माननीय सदस्य समाप्त करें अब जो पटेल जी बोलेंगे वह रिकार्ड नहीं किया जाय...(व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल -- (X X X)

अध्यक्ष महोदय – आपबोलते रहें कुछ भी रिकार्ड मेंनहीं आ रहाहै...(व्यवधान)..

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) – माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभाग और जेल विभाग की मांगों पर माननीय ठाकुर गोविंद सिंह जी, सुदर्शन गुप्ता जी, जीतू पटवारी जी, मानवेन्द्र सिंह जी, माननीय रूस्तम सिंह जी माननीय विक्रमसिंह जी नातीराजा, मुरलीधर पाटीदार और बहादुर सिंह जी ने अपने सुझाव यहां पर रखे हैं उनपर हम जरूर विचार करेंगे. मेरा यहां पर यह कहना है कि अगर पुलिस न हो तो देश में प्रदेश में या गांव में कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है. पुलिस की अत्यधिक आवश्यकता है. मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में दो चुनाव हुए हैं एक मध्यप्रदेश की विधान सभा का और दूसरा लोक सभा का चुनाव हुआ है. यह चुनाव कितनी शांति पूर्ण तरीके से हो गये हैं आल्पिन भी नहीं लगी किसी को, आप भी जीत कर आ गये हम भी जीत कर आ गये. यह हमारे यहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति है. हमारी पुलिस देश की आदर्श पुलिस में है. प्रदेश की पुलिस सब जनता की सुनती है कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है. गोविंद सिंह जी बैठे हैं मेरा उनको कहना है कि जिसकी रिपोर्ट होती है उसको हम बैठाकर बताते हैं पूरी

बात, ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रकार का पक्षपात करते हैं. यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है और हमने इस वर्ष लगभग 690 करोड़ रूपये की बजट में वृद्धि की है. इस विभाग के कार्यों के लिए इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी काधन्यवाद् है. थोड़ा बहुत और देना होगा आपको हमारे एसटीएफ के लोग अधिक मेहनत से काम कर रहे हैं .

क्योंकि एसटीएफ के लोग अधिक मेहनत से काम करते हैं और इसलिए उन पर भी आप विचार करेंगे. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में माह नवम्बर, 2013 में मध्यप्रदेश विधान सभा के चुनाव हुए एवं अप्रैल, 2014 में तीन चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए. सारे बेहतर तरीके से संपन्न हुए. मध्यप्रदेश में आतंकवाद निरोधी दस्ते के गठन उपरांत विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1967, एफआईसीएन, एनडीपीएस एक्ट एवं ऑर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध 36 प्रकरणों में 96 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई, जिससे देश में कई सांप्रदायिक एवं आतंकवादी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है. अन्य प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे हुए, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं. कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा. लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आई. छोटी-मोटी जरूर घटनाएं होती हैं.

श्री रामनिवास रावत - रायसेन में कल ही कर्फ्यू लगा है.

श्री बाबूलाल गौर - अध्यक्ष महोदय, छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल - सिंगरौली जिले में दो बार कर्फ्यू लग गया.

श्री बाबूलाल गौर - मध्यप्रदेश एटीएस ने न केवल फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, अपितु विभिन्न पंजीबद्ध प्रकरणों की न्यायालय में प्रगति की समीक्षा करते हुए 24 प्रकरणों में 68 आरोपियों को सजा दिलवाने में भी सफलता प्राप्त की है.

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में एटीएस द्वारा प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में सिमी सदस्यों के विरुद्ध विचाराधीन 91 प्रकरणों की निरंतर निगरानी किये जाने के परिणामस्वरूप जनवरी, 2013 से मई, 2014 तक प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में हुए 16 प्रकरणों के निर्णयों में से 9 प्रकरणों में दण्डादेश जारी हुए. प्रदेश में नक्सल गतिविधियां पूर्णतः नियंत्रण में हैं. अभी हमारे पड़ोसी प्रदेश में कितने लोगों की हत्या हो गई? लेकिन मध्यप्रदेश में पुलिस का इतना अच्छा नियंत्रण है, यहां इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई. आपके शासनकाल में जरूर हुई थी. लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा. एक केबिनेट मंत्री श्री कांवरे जी की हत्या कर दी गई थी. आप अपना भी विचार करिए कि आपका जब शासन था और एक मंत्री की उसके गांव में ही नक्सलियों ने हत्या कर दी थी.

अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में जितनी भी गतिविधियां हैं, उसके अंतर्गत बालाघाट जिला है जहां हमने पूरा नियंत्रण किया है. वहां 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में और 3 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने हेतु बाध्य करने में पुलिस को सफलता मिली है. वर्ष 2013 में कुल 3156 प्रकरणों में आरोपीगणों को दंडित किया गया है, जिसमें 14 प्रकरणों में मृत्युदंड, 286 प्रकरणों में आजीवन कारवास, 404 प्रकरणों में 10 वर्ष से अधिक कारावास, 398 प्रकरणों में 10 वर्ष से कम एवं 5 वर्ष से अधिक कारावास तथा 2054 प्रकरणों में 5 वर्ष से कम कारावास दंड शामिल है. बहुत जल्दी न्यायालयों में भी पुलिस के द्वारा चालान पुटअप करना गवाहों को पेश करके और अपराधियों को दंडित किया जाता है. मैंने खुद जाकर देखा, आज पुलिस आपको सड़क पर दिख रही है. मैंने अचानक कई थानों में जाकर निरीक्षण किया, उसमें भोपाल है, तलैया है, टी.टी. नगर है, गोविन्दपुरा है, कोएफिजा है, ग्वालियर का कम्पू थाना है. वहां पुलिस को यह निवेदन किया है और आर्डर भी किया है कि जब महिलाएं शिकायत करने आती हैं तो महिला डेस्क अलग होना चाहिए. महिला कक्ष अलग होना चाहिए. कोई महिला दुष्कर्म की शिकायत करने आती है तो वहां पुलिस प्रहरी नहीं होना चाहिए. वहां पर महिला प्रहरी होना चाहिए ताकि ठीक से वह उसकी व्यथा सुन सके. अध्यक्ष महोदय, आपके राज में तो भर्ती बंद हो गई थी और गैंगमैनों की भर्ती भी बंद कर दी थी. आप भी मंत्री थे, आप मुस्कराए मत. कम से कम गर्दन हिला दीजिए कि हां, हमने भर्ती बंद कर दी थी.

श्री रामनिवास रावत - व्यापम जैसे घोटाले नहीं हुए.

श्री बाबूलाल गौर - आपका मैंने नाम नहीं लिया है. अध्यक्ष महोदय, 3 साल में 24423 पुलिस बल की नयी भर्ती की है. आपके समय में बीस-ईक्कीस हजार करोड़ रुपए का कुल बजट होता था. हमारे वितमंत्री माननीय श्री जयंत मलैया साहब 115000 करोड़ रुपए! समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? 5 गुना बजट बढ़ गया है.

श्री तरूण भनोत - कर्जा भी बताइए?

श्री बाबूलाल गौर - कर्जा तो जो हिम्मतवाला होता है, वही लेता है.

श्री तरूण भनोत - उसे चुकाएगा कौन?

श्री बाबूलाल गौर - हम ही देंगे. 10 बार देंगे. (व्यवधान)...अब तो विरोधी दल के नेता भी नहीं दिल्ली में दिसंबर, 2003 की स्थिति में कुल पुलिस बल की संख्या 74335 धी जो वर्ष 2014 में बढ़ कर 106909 हो गई है. इस प्रकार 32574 की वृद्धि अर्थात 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इससे हमारी कानून और व्यवस्था ठीक हुई है. आपने तो भर्ती ही बन्द कर दी थी और इसके कारण आपको जनता ने वहां बिठा दिया. भगवान करे आप वहीं बने रहें. विगत 4 वर्षों में मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए 10500 मकान बनाए गए. आप टूटे फूटे मकान दे गए थे. पुलिस की कालोनी खाली पड़ी थी. ऊपर से पानी और बिच्छु निकलते थे. जब मैने दौरा किया और पूछा कि एक सिपाई कैसा रहता है? प्रधान आरक्षक कैसा रहता है ? तो झुग्गी वाले से भी खराब मकान थे. हमने उनके लिए 10,500 मकान बना दिये हैं और प्रतिवर्ष 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसी प्रकार पहले प्रतिवर्ष 2500 मकान बनाये जा रहे थे, जो अब बढ़ा कर प्रतिवर्ष 4000 मकान बनाए जाएँगे. ताकि हर पुलिस कर्मी सरकारी आवास में रह सके. क्योंकि किराये के मकान उनको मिलते नहीं हैं. पुलिस के पुराने आवासों की मरम्मत के लिए 28 करोड़ रूपये रखे हैं ताकि उनकी मरम्मत हो सके. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कुल 958 पुलिस थाने हैं इसमें शहरी क्षेत्र में 141 थाने हैं महिला थानों की संख्या 9 है. वर्ष 2012-13 में प्रदेश में 12 नवीन पर्यटन चौकियों की स्थापना की गई है. जहां जहां हमारे पर्यटन स्थल हैं वहां चौकियां बनाई गई हैं. परसो ही मैं एक चौकी का उद्घाटन करके आया हूं. बुधनी के अंदर जो इण्डस्ट्रीयल एरिया है , 20 हजार लोग वहां काम कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. शहरी क्षेत्रों में पुलिस थानो में महिला डेस्क की स्थापनी की गई है. स्कूल एवं कालेजों में छात्रों को आत्म सुरक्षा हेतु निःशुल्क जूड़ों एवं कराटे का प्रशिक्षण पुलिस के प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा दिया जा रहा है. 2000 से अधिक छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर हो रहे अपराधों में शीघ्र विवेचना कर चालान पेश करने की कार्यवाही की जा रही है. महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में विगत 3 वर्षों में न्यायालय द्वारा 17 प्रकरणों में फांसी की सजा, बलात्कार के मामलो में. हिन्दुस्तान में यह पहला प्रदेश है जहां 17 प्रकरणों में फांसी की सजा हुई है. 370 मामलों में आजीवन कारावस की सजा, 488 प्रकरणों में 10 वर्ष की सजा दी गई है. प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट

ट्रेक कोर्ट का गठन किया गया है. इसी प्रकार से राज्य आपदा प्रबंधन बल की स्थापना की गई है, जो राज्य में आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. अध्यक्ष महोदय, मैं अभी भारत सरकार के गृह मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी से मिला. जब दिल्ली में आपका शासन था तब 60-70 करोड़ की सहयता हमको मिलती थी, जब माननीय लालकृष्ण आडवाणी भारत के गृहमंत्री बने तब उन्होंने 100 करोड़ कर दी थी. फिर आप आ गए तो आपने फिर 70 करोड़ कर दिया. अब हम फिर उनके पास गये और कहा कि इतनी आबादी बढ़ गई है. नये थानों की आवश्यकता है. नक्सलाईट क्षेत्रों में थानों की आवश्यकता है. पुलिस बल की, एम्युनेशन की आवश्यकता है. इसलिए हमने उनसे 250 करोड़ मांगे और हमें उम्मीद है कि आने वाले बजट में हमें 250 करोड़ रूपये पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मिलेगा. माननीय उच्च न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रूपये 16.90 करोड़ की योजना प्रस्तावित की गई है. अब हर न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर पूरी पुलिस की व्यवस्था रहेगी. ताकि वहां किसी प्रकार की गड़बड़ न हो सके और जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी सुरक्षा हो सके.

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने पुलिस बल के लिए जो हमने 250 करोड़ मांगे हैं और एक आपदा प्रबंधन के लिए नई कंपनी मांगी है. पहले आपने कंपनी हटाली थी. उन्होंने हमारी कंपनी 8 दिन के अंदर भेज दी ताकि ताकि हमारे यहां जब पानी गिरता है, बाढ़ आती है ,आपदा आती है उससे हम सुरक्षा कर सकेंगे. अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की संभागीय समीक्षा बैठकों का आयोजन आये दिन लगातार किया जा रहा है, अब तक भोपाल,ग्वालियर, इन्दौर एवं सागर संभाग में संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा चुका है. गुना जिले में भी अधिकारियों की बैठक ली गई है. अन्य राज्यों के पुलिस विभाग की कार्यप्रणालि को दखने-समझने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं. इसके अंतर्गत मैं चेन्नई (तमिलनाडु),डलहौजी(हिमाचल प्रदेश) और दिल्ली आदि शहरों में वहां के डी.जी.पी. से चर्चा करके आधुनिकीकरण और पुलिस की अच्छी ड्रेस बनाई जाय ताकि पुलिस सक्षम रहे, एलर्ट रहे, इसके लिए हम कार्यवाही जारी रख रहे हैं. घिसी पिटी ड्रेस से काम नहीं चलेगा. ..पुलिस अलर्ट रहे, इसके लिए हम कार्यवाही जारी रख रहे हैं, घिसी पिटी ड्रेस से काम नहीं चलेगा, अब नया युग आया है, नई रोशनी आई है. इसलिए हमने ड्रेस हेतु एक कमेटी बना दी है और वह शीघ्र निर्णय करेगी. संवेदनशील घटनाओं पर पैनी

निगाह रखी जा रही है. अभी बड़नगर के अंदर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं गया, कोई नहीं गया, उसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 99 प्रतिशत मुस्लिम भाई थे. जब मैंने जाकर उनका हालचाल पूछा, सबको सहायता राशि दी, वहां पटाखा फैक्ट्री की व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहां किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी. इसी प्रकार से अपराधियों से मुकाबला करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए मैंने स्वयं ऐसे बहादुर नागरिकों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है. श्री नरेश चोटरानी, निवासी बैरागढ़ की पुत्री कु. रूचिका चोटरानी ने बंगलादेश के डकैत जो उसके घर में रात को घुसे, उस लड़की से उन्होंने तिजोरी की चाबी मांगी, लड़की बड़ी बहादुर थी, उसने कहा कि मैं तो मेहमान हूं, मैं तो दिल्ली से आई हूं, मुझे क्या पता, जब डकैत दूसरे कमरे में जाने लगे तो उसने पीछे से पीठ पर लात मारी जिससे एक डकैत गिर गया और चिल्ला दी, जिससे सारे डकैत भाग गए, उसको हमने एक लाख रूपए का शौर्य पुरस्कार दिया है, आपने कभी नहीं दिया, चवन्नी नहीं दी. महिलाएं अगर वीरता का काम करेंगी तो हम उन्हें पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करेंगे. हमने इसी प्रकार से हमने श्वेता मिश्रा को भी शौर्य पुरस्कार दिया, जिसने कि स्कूटी पर जा रही थी, अपनी मां का इलाज कराने के लिए, कुछ लोग आए उसकी चैन झपटने लगे, जिससे उसने उनसे संघर्ष किया, उसने एक को गिराकर उसे पकड़ लिया और जिससे वह भाग गए. हमने भी उसके घर जाकर उसके लिए शौर्य पुरस्कर की घोषणा की. इस प्रकार महिलाओं को साहसी बनाने की बहुत आवश्यकता है. शहरों के अंदर मुख्य चौराहों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से यातायात नियंत्रण एवं यातायात के संबंध में नागरिकों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है. हम प्रदेश के 5 महानगरों में ट्राफिक व्यवस्था को अच्छी करने जा रहे हैं. पुलिस थानों के परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के निर्देश दिए हैं. अभी हमारे सुदर्शन भाई ने कहा था कि थानों में कबाड़ है. थानों में जब्ती वाहन रख दिए जाते हैं, चाहे इंदौर में हो, चाहे उज्जैन में हो, हमने उनको वहां हटाने और सुरक्षित जगह रखने के निर्देश दिए, जिससे हमारे थानों के अंदर स्वच्छ वातावरण होना चाहिए. पुलिस कर्मियों में खेलकूद को बढ़ावा देने एवं उनकी फिटनेस के लिए अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए म.प्र.पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 1 नवंबर 2013 से प्रारंभ हो गई है. इस योजना में गंभीर बीमारियों के

उपचार एवं शल्य क्रिया के लिए 8 लाख रूपए तक कैसलेस उपचार की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है. अब कोई भी कर्मचारी चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो उसके लिए 8 लाख रूपए का इंश्योरेन्स कर दिया है. उसका 8 लाख तक का इलाज सरकार की ओर से किया जायगा. आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है. आधुनिक तकनीक पर आधारित एक इन्टीग्रेटेड सिक्यूरिटी सर्विलेन्स सिस्टम की स्थापना 61 शहरों में की जा रही है, डॉ. गोविन्द सिंह जी का कहना था कि यह करिए, उसको हम कर रहे हैं, जिसकी 429 करोड़ रूपए की लागत आएगी. इससे आतंकवादियों एवं अन्य विघटनकारी तत्वों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी. आगामी 1 नवंबर 2014 से हम एक नई योजना शुरू कर रहे हैं, गांव गांव में आधे घंटे में पुलिस पहुंचेगी.

श्री रामकिशोर दोगने—अध्यक्ष महोदय, विधायक पर हमला होने के बाद आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, तो ऐसी सुविधाओं का क्या मतलब निकल रहा है.

श्री बाबूलाल गौर—अध्यक्ष महोदय, यह योजना 1 नवंबर 2014 से प्रारंभ की जा रही है. इसकी लागत 257.05 करोड़ है, इसके अंतर्गत जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक काल सेंटर बनाए जाएंगे. यह काल सेन्टर दुर्घटनग्रस्त व्यक्ति को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने, यातायात प्रबंधन में मदद करने तथा अन्य अपराधों के नियंत्रण में मददगार होगा. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में आगामी3 वर्षों में विभिन्न सावर्जनिक स्थानों पर 24 घंटे ड्यूटी हेतु 1000 वाहन पुलिस बल के साथ तैनात किए जाएंगे. हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं 100 नंबर में सूचना मिलने पर गांवों में आधे घंटे में, शहरों में 20 मिनट में पुलिस पहुंचेगी. बड़े शहरों में प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है, इसकी कुल लागत 190 करोड़ रूपए होगी.

इसके अंतर्गत सीसी टीव्ही केमरे, आधुनिक सिंगनल सिस्टम, यातायात प्रबंधन के अत्याधुनिक उपकरण आदि स्थापित किये जाएंगे. प्रथम चरण में भोपाल-इन्दौर को लिया जा रहा है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने गृह विभाग के बारे में बताया. जेल विभाग के संबंध में भी मैं बताना चाहता हूँ कि जेल विभाग अपने मुख्य दायित्वों "बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखते हुए उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा से

जोड़ने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है.जेलों का उन्नयन किया जा रहा है. अब हमारे तीन जिला जेल जो हैं, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और बड़वानी को केन्द्रीय जेल में उन्नयन किया जा रहा है. जेलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. जेल में व्यवसायिक केन्द्र खोले जा रहे हैं, बंदियों को ओद्योगिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इतने काम आपने 30 साल में नहीं किये होंगे. आपका काम ही यही था कि जनता को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाना और जनता की कोई सुरक्षा नहीं करना. मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करुंगा कि मांगों का समर्थन करके मांगों को स्वीकृत करें. जयहिन्द, जयभारत.

अध्यक्ष महोदय-- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रस्न यह है कि मांग संख्या 3,4 एवं 5 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब मैं मांगों पर मत लूंगा.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या - 3	पुलिस के लिए चार हजार छः सौ आठ करोड़, चवालीस लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए चवालीस करोड़, उनहत्तर लाख, इकहत्तर हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 5	जेल के लिए दो सौ उनतीस करोड़, सतहत्तर लाख, तिरानवे हजार रुपये,

तक की राशि दी जाए.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2)

मांग संख्या – 6	वित्त
मांग संख्या – 7	वाणिज्यिक कर
मांग संख्या – 23	जल संसाधन
मांग संख्या – 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
मांग संख्या – 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट
मांग संख्या – 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या – 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
मांग संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय.

श्री जयंत मलैया, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को

अनुदान संख्या - 6	वित्त के लिए छः हजार सात सौ चवालीस करोड़, उनसठ लाख, बत्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 7	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार पाँच सौ पैंतालीस करोड़, उन्नीस लाख, इकतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 23	जल संसाधन के लिए दो हजार एक सौ बावन करोड़, इकहत्तर लाख, दस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिए दो सौ साठ करोड़, नो लाख, तीन हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए एक सौ उनतीस करोड़, नवासी लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए छः सौ दो करोड़, पिंचानवे लाख, छब्बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ के लिए तीन सौ ग्यारह करोड़, छियानवे लाख, छब्बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए दो सौ बत्तीस करोड़, आठ लाख, बाईस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए पाँच सौ बारह करोड़, छिहत्तर लाख, अठासी हजार रुपये,
	तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय – अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या – 06	वित्त क्रमांक
डॉ. रामकिशोर दोगने	1
श्री हर्ष यादव	2
श्री कमलेश्वर पटेल	3
श्री रामनिवास रावत	4
श्री आरिफ अकील	5
मांग संख्या – 07	**वाणिज्यिक कर**
सुश्री हिना लिखीराम कांवरे	1
श्री उमंग सिंघार	2
श्री बाला बच्चन	3
डॉ. रामकिशोर दोगने	4
श्री आरिफ अकील	5
श्री कमलेश्वर पटेल	6
मांग संख्या – 23	**जल संसाधन**
श्री हरदीप सिंह डंग	1
कुं. विक्रम सिंह	3
श्री रामनिवास रावत	4
श्री बाला बच्चन	5
श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)	7
श्री लाखन सिंह यादव	9
श्री हर्ष यादव	10
डॉ. रामकिशोर दोगने	11

	क्रमांक
श्री उमंग सिंघार	12
श्री रजनीश हरवंश सिंह	14
श्री आरिफ अकील	16
मांग संख्या – 31	**योजना, आर्थिक और सांख्यिकी**
श्री आरिफ अकील	
मांग संख्या – 40	**जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट**
श्री कमलेश्वर पटेल	1
श्री बाला बच्चन	3
श्री आरिफ अकील	4
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	5
मांग संख्या – 45	**लघु सिंचाई निर्माण कार्य**
श्री आरिफ अकील	2
श्री सचिन यादव	3
श्री हर्ष यादव	5
श्री रामनिवास रावत	6
श्री बाला बच्चन	7

मांग संख्या – 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
	क्रमांक
श्री बाला बच्चन	1
श्री सचिन यादव	2
श्री आरिफ अकील	3
मांग संख्या – 60	जिला परियाजनाओं से संबंधित व्यय
श्री बाला बच्चन	1
श्री आरिफ अकील	2
मांग संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर	1
श्री हर्ष यादव	2
श्री आरिफ अकील	3
श्री बाला बच्चन	4
	5

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

अध्यक्ष महोदय--- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

वित्तमंत्री जी की अनुदान मांग संख्या 6,7,23, 31,40,45,57, 60 एवं 61 पर चर्चा हेतु कार्यमंत्रणा समिति ने 2 घंटे का समय निर्धारित किया है . तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित किया है.

भारतीय जनता पार्टी – 1 घंटा 25 मिनट

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी-- 27 मिनट

बहुजन समाज पार्टी -- 6 मिनट

निर्दलीय -- 2 मिनट

मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि मुख्य वक्ता 8 से 10 मिनट और शेष वक्ता 3 से 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें इस हेतु यदि सदस्यगण बिना भूमिका के अपने-अपने क्षेत्र की बातें करेंगे तो उचित होगा.

श्री मुकेश नायक(पवई)-- माननीय अध्यक्ष ,मांग संख्या का आपने जिक्र किया है मैं इससे असहमत हूं औऱ इस असहमति के अपने-अपने कारण हैं. मैं बुंदेलखंड पैकेज के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि समय कम है. अभी माननीय मंत्री महोदय ने नये बुंदेलखंड पैकेज के ऊपर चर्चा की है . 3860 करोड़ रुपये बुंदेलखंड पैकेज के लिए प्रावधान किया गया था औऱ इस पर चर्चा करने से पहले मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि यह पैसा उस इलाके को दिया गया था जो भारतवर्ष का सबसे गरीब इलाका है . एक अवसर था यहाँ आर्थिक औऱ सामाजिक प्रगति के लिए , एक मौका था वहाँ के लोगों के लिए कि वहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बने. पीने के पानी की व्यवस्था हो, सड़कें बने, स्कूल बनें औऱ लंबे समय से जिन भौतिक लक्ष्यों की वहाँ के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे उसके बारे में मूर्त रूप लें औऱ वह सारी सुविधायें उनको मिले लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि 3860 करोड़ रुपये का बुंदेलखंड पैकेज, उसकी अगर चर्चा करो और पूरे सदन से विनम्रतापूर्वक सभी राजनैतिक दल के सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि वह ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनने की कृपा करे ताकि यह पता लग सके कि इतने जरूरतमंद लोगों के लिए जो प्राथमिकतायें तय की जाती हैं किस तरह से उनका उपहास होता है, किस तरह से भ्रष्टाचार होता है औऱ किस तरह से उसका दुरुपयोग होता है. 1118 करोड़

रुपये जल संसाधन विभाग के लिए रखे गये थे. 1300 करोड़ रुपये वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए रखे थे, जिसमें वन विभाग को 242 करोड़ रुपये आपने दिये थे. कृषि विभाग के लिए बुंदेलखंड पैकेज के तहत 980 करोड़ रुपये का आवंटन किया था .पशुपालन के लिए 120 करोड़ रुपये औऱ पेयजल के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं औऱ उम्मीद करता हूं कि इस गरीब इलाके के लोगों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, विकास के लिए ईमानदारीपूर्वक इस सदन में जो मैं जानकारी दे रहा हूं उसको सुने और उसका समुचित समाधान करें . अध्यक्ष महोदय, 6 करोड़ रुपये पन्ना नार्थ वनमंडल के लिए दिये गये थे उसमें 90 परकोलेशन टैंक बनाये जाने थे. मैं एक परकोलेशन टैंक का प्रतीकात्मक रूप में आपके सामने नाम रखना चाहता हूं.

3.15 बजे

{सभापति महोदय (डॉ.गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए}

श्री मुकेश नायक(जारी)--

जिसका पी- 399 क्रमांक का टैंक है. उन्होंने एक जे सी बी मशीन का जिक्र किया है और इस जे सी बी मशीन का नंबर है एम पी 16 एम बी 7892 बताया गया. जब जाँच हुई तो पता चला कि यह मोटर साइकिल का नंबर है. सौ ट्रक से ज्यादा गिट्टी एक मोटर साइकिल ने ढोई. पूरे मेरे पास दस्तावेज हैं मैंने सदन के पटल पर रखे हैं, पूरी सर्टिफाइड कॉपी रखी है, आप देख लीजिए. हमने सूचना के अधिकार के तहत ये नंबर निकाले हैं. ये असत्य नहीं हो सकते. आपके जिला प्रशासन ने ये नंबर मुझे दिए हैं. जो मैंने सदन के पटल पर रखे हैं. यह आप देख लीजिए. सभापति जी, मंत्री जी यह बताएँ कि क्या कोई स्कूटर सौ ट्रक गिट्टी ढो सकती है. मंत्री जी अपने जवाब में सदन को बताएँ. दूसरा मैं आपको नंबर देता हूँ, एक दूसरे प्रकरण में गाड़ी नंबर एम पी 16 बी 2905 इसको कहा यह ट्रेक्टर है. जबकि यह स्कूटी छतरपुर के एक किन्नर की है. (शेम शेम की आवाज) सूचना के अधिकार में पूछा गया कि यह स्कूटी किसकी है तब इसका नाम आया तो पता चला कि यह छतरपुर के एक किन्नर की स्कूटी है. माननीय मंत्री महोदय, जिससे 125 ट्रक गिट्टी ढोई गई. (शेम शेम की आवाज) सभापति महोदय, एक विक्रम गौड़ नाम के आदमी हैं, मैंने सदन के पटल पर इस डाक्यूमेंट को रखा है आप देख लीजिए. विक्रम गौड़ को एक ट्रेक्टर का मालिक बताते हुए 72,000 रुपयों का

भुगतान कर दिया और यह नंबर है एम पी 16 एम बी 7892 और जब हमने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो यह दस्तावेज मेरे पास है. आपका आर टी ओ कहता है कि न तो इस नंबर की कोई गाड़ी है और न इस नंबर की गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन है. (शेम शेम की आवाज) इस तरह से आप बुंदेलखंड पैकेज का मजाक उड़ा रहे हैं, सत्ता और शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं, (XX) और इस देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई का, पैसे का, आप मजाक उड़ा रहे हैं. सभापति जी, एक और सुनिए, चन्द्रनगर के राकेश गुप्ता को जे सी बी का मालिक बताते हुए 101771 रुपये का भुगतान कर दिया गया. यह राकेश कुमार उसी मंडल में दूसरी जगह मजदूरी करते हैं. जब सूचना के अधिकार के तहत हमने जानकारी मांगी तो पता चला कि इस नाम की कोई गाड़ी है ही नहीं. (पेपर दिखाते हुए) यह देखिए मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ थोड़ी नजरें इनायत करें. आप ये फोटो देख रहे हैं. सभापति महोदय, इसका नंबर है एम पी 16 एम बी 2995 (पेपर दिखाते हुए) यह गाड़ी है. इस स्कूटी से 152 ट्रक गिट्टी ढोई गई. सरकार में बैठे लोग ये देख लीजिए. अभी अगर बताना शुरू करूँगा तो सुबह हो जाएगी इसलिए मैंने सदन के पटल पर रखे हैं. लेकिन मैं कुछ नमूने आपको बताना चाहता हूँ. अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं इसलिए नहीं हैं कि उन्हें पता है कि इस स्थिति का वे सामना नहीं कर सकते. करप्शन के मामले में मुख्यमंत्री का यह जीरो टॉलरेंस है? मैं प्रमाण सहित आपको बता रहा हूँ. मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ. पूरी जानकारी मैंने निकाली है. सदन के पटल पर व्हैरीफिकेशन के लिए रखी है. मेरे हाथ में दस्तावेज हैं जो मध्यप्रदेश के मंत्रियों और सरकार को मैं बता रहा हूँ. मंत्री महोदय, क्या कोई भी एक स्कूटी 152 ट्रक गिट्टी ढो सकती है?

सभापति जी, अब सिंचाई मंत्री महोदय अपने विभाग की बात सुन लीजिए. नेशनल रेनफेड एरिया अथार्टी के सी ई ओ आपके एक डेम पर सर्वे करने के लिए गए थे उस डेम का नाम है बरियारपुर कुटनी. मंत्री महोदय, जो डेम आपने बुंदेलखंड पैकेज से बनवाया और जब वे सी ई ओ वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए गए तो उनकी रिपोर्ट, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ी होगी.

सभापति महोदय, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब वे साइट पर निरीक्षण करने के लिये गये तो वहां पर कई ट्रक शराब की बोतलें मिलीं, एक ट्रक से ज्यादा कंडोम मिले. यह रिपोर्ट में लिखा है, मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ. उस रिपोर्ट में लिखा है कि डेम के पास जो निर्माण कार्य किये गये वे बिलकुल अनुपयोगी, निरर्थक, गैर जरुरी थे. उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है.

सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपके डेम पर जो कंस्ट्रक्शन्स हैं और जो रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं यहां पर एक ट्रक कंडोम का होता क्या है यह सदन को बताने की कृपा करें.

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया)—सभापति महोदय, झूठ के पुलिंदे के आगे तो कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन (XXX)

सभापति महोदय—इसको विलोपित कर दिया जाये.

श्री मुकेश नायक—मंत्री जी आप नाराज न हों, रिपोर्ट में आपके सीईओ ने जो कहा है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ. अगर आपको इतना विश्वास है तो आप वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखिये और उस पर चर्चा कराइये, हम कहां मना कर रहे हैं. सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी की बात से सहमत हूँ कि जो वे कह रहे हैं वह सही है. जब मैं इनकी एक बात मान रहा हूँ तो मंत्रीजी एक बात मेरी मान लें उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख दें और उस पर सदन में चर्चा करा लें. यह परम्परा भी रही है.

सभापति महोदय—आपका समय खत्म हो रहा है, आप आगे बोलिये.

श्री मुकेश नायक—सभापति महोदय, बुंदेलखंड पैकेज में एक विपुल धनराशि का प्रावधान तालाबों के लिये प्राकृतिक आधार पर पानी के कटाव को रोकने, स्टाप डेम, वाटर शेड्स बनाने के लिये किया गया था. मंत्रीजी बतायें कि पहली बारिश में पन्ना और दमोह में एक दर्जन बांध फूटे कि नहीं फूटे. इन बांध के नाम हैं झलई, फतुपुर, बरगड़ी, मनोर, झंडा, शाहपुरखुर्द यह पहली बारिश में धराशायी हो गये और टूट गये, अब माननीय मंत्री महोदय कह दें, सदन को बता दें कि यह भी मैं झूठ बोल रहा हूँ. बुंदेलखंड पैकेज के यह बांध तो पहली बारिश में टूटे लेकिन उसके बाद जो बांध बने उसमें एक बांध मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बना था जिसकी आपको जानकारी है वह बांध भी पहली बारिश में धराशायी हो गया. आपके बांध टूट गये, स्टाप डेम बह गये. स्कूटर और मोटर साइकिल ने 100-100 ट्रक गिट्टी और रेत ढोयी.

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात पीएचई के बारे में कहना चाहता हूँ. थोड़ा ध्यान चाहूंगा पीएचई के पूर्व मंत्री यहां बैठे हुए हैं उनके कर्म क्या हैं जब उनके कटौती प्रस्ताव पर बात होगी तब सदन में मैं उस बारे में बात करुंगा क्योंकि उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी की थी जो किसी भी दल, किसी भी सरकार, किसी सदन के लिये शर्मनाक और अशोभनीय टिप्पणी है.

श्री विश्वास सारंग—सभापति महोदय, यह कोई विषय नहीं है कि कौन सी टिप्पणी हुई और उस पर फिर से टिप्पणी हो रही है.

श्री मुकेश नायक—सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूँ पीएचई डिपार्टमेंट को 100 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ था. यह सदन और मध्यप्रदेश के लोगों को जानने का अधिकार है कि 100 करोड़ रुपये की योजना जो बुंदेलखंड पैकेज में बनी थी उसमें से कितनी नल-जल योजनायें चालू हैं, वाटर सोर्स रेडी है, वाटर पंप लगा हुआ है, पाइप बिछ गये, लेकिन नल-जल योजनायें चालू नहीं हुईं.

सभापति महोदय-- क्या आप पीएचई पर बोल रहे हैं.

श्री मुकेश नायक—सभापति महोदय, बुंदेलखंड पैकेज में जो 100 करोड़ रुपये का पीएचई के लिये प्रावधान है उस विषय पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ.

सभापति महोदय—ठीक है आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करें.

श्री मुकेश नायक—सभापति महोदय, मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत 100 करोड़ का नल-जल योजनाओं के लिये जो आवंटन है, यह भ्रष्टाचार का और सत्ता और शासन के पैसे के दुरूपयोग का ऐसा शर्मनाक नमूना है जो मध्यप्रदेश में और मध्यप्रदेश के इतिहास में कभी देखने का नहीं मिलेगा। 90 प्रतिशत नलजल परियोजनाएं बंद पड़ी हैं, जब मध्यप्रदेश की विधान सभा में पूछा गया तो सरकार के मंत्री जवाब देते हैं कि ये नलजल योजनाएं पंचायतों को दे दी गयी है। पंचायत इसका बिजली का किराया नहीं चुका पाते हैं। इस वजह से यह प्रारंभ नहीं हुई हैं, जबकि असलियत यह है कि यह एक दिन भी सरकार ने चालू नहीं की क्योंकि इनकी क्षमता नहीं थी। केवल यह पैसों का दुरूपयोग करने के लिये घपले करने के लिये, पैसे खाने के लिये इन योजनाओं को बनाया गया था। अगर सभापति महोदय यदि सरकार में जरा भी नैतिकता है तो विधायक दल की एक कमेटी बना लें और जांच करके उसकी रिपोर्ट प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखवा दें तो इस सरकार का असली चेहरा सामने आ जायेगा। आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री देवेन्द्र वर्मा (खंडवा):- सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 6, 7, 23, 31, 40, 45, 57, 60 और 61 के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लालबहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान और उसके बाद अनेक महापुरूषों ने किसानों के पक्ष में बात की, कृषि के बारे में बात की, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। इस प्रकार के अनेक नारे हम वर्षों से सुनते आ रहे थे और कहा गया कि मध्यप्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है और कृषि पर आधारित है और उनकी चिंता करनी चाहिये और उनके लिये योजनाएं बननी चाहिये। जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि आज भी कृषि लाभ का धंधा नहीं है। आज भी वह घाटे की खेती करता है, कहीं न कहीं पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होता था लेकिन पहली बार मध्यप्रदेश के इतिहास में एक किसान हितैषी और किसान पुत्र मुख्यमंत्री हमारे मध्यप्रदेश में बना और उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम खेती को लाभ का धंधा बनायेंगे। वर्तमान में हम अगर बजट उठाकर देखें तो सबसे अधिक निर्णय हुए हैं तो हमारे किसानों के हित में हुए हैं। कृषि के उपकरणों को पूरी तरह कर मुक्त करने का काम अगर किया है तो हमारे मंत्री जी ने किया है। इस प्रकार का एतिहासिक निर्णय हमारे मंत्री जी ने लिया है, जब हम बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में हमारी खेती किस प्रकार होती थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो सात लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाकर आज 25 लाख हेक्टेयर करने का काम किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का फैसला लिया है। आने वाले समय में माननीय मंत्री जी और किस प्रकार हमारा क्षेत्र सिंचित हो इसके लिये वर्ष 2013-14 में लगभग 227 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण करने का काम किया है तो हमारे मध्यप्रदेश की सरकार ने किया है। सभापति महोदय, जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो मध्यप्रदेश में लगभग 150 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है उसमें से लगभग 50 प्रतिशत सिंचित भूमि है और शेष लगभग 75 लाख भूमि को किस प्रकार सिंचित करें यह एक चेलेंज वाला काम था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में हमारे किसान की एक एक इंच भूमि किस प्रकार सिंचित हो और इसके लिये पूरे मध्यप्रदेश में अनेक प्रकार की सिंचाई योजनाओं पर काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। सभापति महोदय, अगर इस प्रकार हम बात करें तो हमारे नर्मदा के कछार में लगभग 40 जिले आते हैं, नर्मदा में लगभग 40 नदियां मिलती हैं, और आवश्यकता थी कि हमारे उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं वह ड्राय बेल्ट कहा जाता था। ट्यूबबेल की सब्सिडी भी

नहीं मिलती, गर्मियों में पीने के पानी की दिक्कत होती थी। वहां पर समूह नल जल योजनाओं के माध्यम से एक अच्छा संकल्प लेने का काम हमारी सरकार ने किया है। वहीं छोटे छोटे डेम बनाकर उस क्षेत्र को सिंचित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस कडी में हमारी एक मांक थी कि पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से उस क्षेत्र को सिंचित किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार ने सबसे पहले निर्णय लिया था तो पुनासा उद्वहन योजना आज बनकर तैयार हुई है , इसी प्रकार उसका बीआरफोर था उसका और ज्यादा विस्तार होना चाहिये था, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उसका और ज्यादा विस्तार करेंगे, बीआरफोर भी बनायेंगे। जिसके कारण हमारा निमाड़, हमारा पूरा खण्डवा जिला आने वाले समय में लगभग सिंचित क्षेत्र में होगा।

इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं एक परियोजना हमारे खण्डवा जिले में वर्षों से चल रही थी सुखदा-भगवंत सागर परियोजना और उससे लगभग 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है लेकिन जब हम आंकड़ों पर देखें और भौतिक स्तर पर देखते हैं तो 7-8 हेक्टेयर क्षेत्र ही सिंचित होता था. हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि पूरा कमाण्ड क्षेत्र सिंचित हो. मैं बताना चाहता हूं कि हमने प्रयास किया और मंत्री जी से निवेदन किया और उसकी टेल एरिये तक किस प्रकार पानी पहुंचे इसके लिये सरकार ने काम किया और पिछले दो वर्षों में हम टेल एरिये सहित पूरे 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का काम सरकार कर रही है. माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लेने का काम किया है. इसी प्रकार हमारी सरकार ने फैसला लेकर पूरे मध्यप्रदेश की किस प्रकार अच्छी से अच्छी जल संरचनाएं बन जाएं. किस प्रकार कहां अच्छे तालाब बन सकते हैं, किस प्रकार कहां-कहां छोटे-छोटे डेम बन सकते हैं. किस प्रकार प्रत्येक जिले की जल संरचनाओं का सर्वे कराने का काम हमारी सरकार ने किया है और निश्चित रूप से छोटे-छोटे डेमों, छोटे-छोटे तालाबों के माध्यम से आने वाले समय में हमारे मध्यप्रदेश के किसान की एक-एक इंच भूमि को हमारी सरकार सिंचित करने का काम करेगी. जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के किसान की खेती आने वाले समय में लाभ का धंधा बनेगी.

माननीय सभापति महोदय, अगर इसी प्रकार हम बात करें तो मैं वाणिज्यिक कर के संबंध में भी दो शब्द बोलना चाहता हूं. जब हम वाणिज्यिक कर की बात करते हैं तो हमारी सरकार ने जैसे हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक सुंदर सा घर हो और उस के लिये हमारे मंत्री जी ने फैसला लिया है कि टाईल्स पर 12 प्रतिशत टेक्स को घटाकर 5 प्रतिशत किया है. मेरे पास अनेक व्यापारियों के पत्र आए हैं. माननीय मंत्री जी के पास भी कई लोग बधाई देने आए हैं. अर्थात् एक सुंदर और सस्ता घर का सपना साकार हो इसके लिये माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया. निश्चित रूप से इससे हमारे मध्यप्रदेश में व्यापारियों को तो फायदा

होगा ही एक गरीब को भी फायदा होगा. एक गरीब को भी फायदा हो इस तरह के निर्णय हमारी सरकार ने बजट में लिये हैं. इसी प्रकार हमारे खण्डवा जिले में मेरे क्षेत्र की समस्या मैं बताना चाहता हूं कि वाणिज्यिक कर हमारे खण्डवा जिले में डायवर्सन टेक्स पूरे मध्यप्रदेश में सबसे अधिक लगता है. इन्दौर और भोपाल से तुलना करें तो वहां से भी अधिक डायवर्सन टेक्स मेरे खण्डवा विधान सभा क्षेत्र में लगता है. इसको तर्कसंगत,युक्तिसंगत करने का काम करेंगे तो इससे खण्डवा का बहुत भला होगा. हमारा कृषि आधारित बेल्ट है. खण्डवा में फूड पार्क जैसी योजना आती है तो निश्चित ही खण्डवा का बहुत भला होगा. पूर्व में व्यापारियों के लिये इंडस्ट्रियल पालिसी 2010 में बनी थी उसका 2014 में भी रिन्युअल होना चाहिये. मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को सुविधाएं मिलें, व्यापारियों को सुविधाएं मिलें. हमारा खण्डवा महाराष्ट्र की सीमा पर है और एक समय था कि कपास के क्षेत्र में लगभग खण्डवा जिले में तथा पूरे निमाड़ में हजारों कपास की इंडस्ट्रियां हुआ करती थीं और कहीं न कहीं टेक्स की विसंगतियों के कारण कहीं न कहीं पुरानी सरकार की गलत नीतियों के कारण महाराष्ट्र तरफ चली गई हैं. इस प्रकार की नीति हो कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति निमाड़ अंचल में आएं और हमारे यहां कपास की इंडस्ट्रियां फिर से शुरू हो सकें. इस बारे में एक शुरुआत होनी चाहिये. माननीय मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है. मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक भावसिंहपुरा में लगभग चार सौ हेक्टेयर में इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर ब बनने जा रहा है और इसमें जो उद्योगपतियों के लिये रेट रखे गये हैं वह लगभग 110 से 150 रुपये रखे गये हैं. मेरा मानना है कि यह रेट तर्क संगत नहीं हैं इस पर पुनर्विचार होना चाहिये जिससे कि अच्छे से अच्छे व्यापारी हमारे खण्डवा जिले में आ सकें. इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल निर्माण कार्यों पर नगर पालिका द्वारा जो भूमिगत क्षेत्रफल का .50 एफएआर के निर्माण की अनुमति मिलती है. मेरा मानना ऐसा है कि इसके कारण औद्योगिक पालिसी और भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है इसको भी तर्कसंगत किया जाता है तो निश्चित रूप से यह प्रदेश के उद्योगों के लिये बहुत अच्छा होगा. माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)—माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 6, 7, 23, 31, 40, 45, 57. 60 एवं 61 का विरोध करता हूं कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. माननीय मंत्री जी के पास

कई मांगे हैं और बहुत बड़ा विभाग है मैं सबसे पहले वाणिज्यिक कर विभाग को लूंगा मंत्री जी मैं आपका ध्यान चाहूंगा वाणिज्यिक कर विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है पूरा पैसा इस प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिये कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये आता है. वाणिज्यिक कर में भी आपकी जो इस बार 11.46 प्रतिशत वृद्धि हुई है, यह वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन वर्ष 1212-13 एवं 2013-14 की तुलना में 4-5 प्रतिशत की गिरावट आयी है, चिन्ताजनक है और आबकारी में जरूर आपके राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन 2012-23 एवं 2013-14 में गिरावट आयी है मेरा कहना यह है आपके पास इसके आंकड़े हैं और पंजीयन की जो स्थिति है प्रदेश में 13. 77 प्रतिशत गिरावट आयी है इसमें वृद्धि होना चाहिये थी जिसमें कि गिरावट आयी है. एक तरफ आप पंजीयन में गाईड-लाईन बढ़ाते जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ाते जा रहे हो, दूसरी तरफ इसमें गिरावट आने के क्या कारण हैं ? आपकी गलत नीतियों के कारण यह गिरावट आ रही है, आपकी गाईड लाईन ऐसी हैं पिछली वित्त विभाग की चर्चाओं में भी यह बात आयी थी कि कई जगह जमीनों के इतने रेट नहीं हैं जितने कि रजिस्ट्रियों के रेट आपने कर दिये हैं. गाईड लाईन आप बढ़ायें, लेकिन आप शहर की बढ़ायें और वास्तविक कीमत के आधार पर वहां से निकालकर तब गाईड लाईन बढ़ाएं तो आपकी कृपा होगी. एक तरफ आप ग्रामीण क्षेत्रों की गाईड लाईन बढ़ाकर किसानों से ज्यादा पैसा निकालने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ पंजीयन रोका जा रहा है. इन शहरों में पता नहीं क्या स्थिति की है कि कई जिलों में तो पंजीयन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना डायवर्शन के अगर कोई किसान पीड़ित है उसका कहीं शहर के आसपास खेत है और वह जमीन का कुछ हिस्सा बेचना चाहता है तो बिना डायवर्शन के रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं इसलिये आपके पंजीयन को नुकसान हो रहा है आपसे अनुरोध है कि पंजीयन की ओर विशेष रूप से ध्यान दें चारों तरफ पंजीयन के राजस्व में गिरावट आना काफी चिन्ताजनक है तथा प्रदेश की जनता के हितों की तरफ आपका ध्याना होना चाहिये. वहीं बात करना चाहूंगा पंजीयन में आपकी जो कर निर्धारण की स्थिति है आपका विभाग काफी सुस्त है, आपके कर निर्धारण के प्रकरण 3 लाख 38 हजार 484 लंबित हैं और मैं चाहता हूं कि इसमें कर निर्धारण करें. वाणिज्यिक कर के माध्यम से करों का सरलीकरण/युक्तियुक्तकरण करते हैं आपने बजट प्रस्तुत किया है हम सबको यह अपेक्षा थी कि आप रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल पर वेट टैक्स को कम करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया हम आपसे अपेक्षा करते हैं और अभी भी मांग करते हैं कि आप इन पर वेट टैक्स कम करें. दूसरी तरफ आपके पास आबकारी विभाग भी है उस विभाग की क्या स्थिति है आपने गांव-गांव में शराब बिकवाना शुरू कर दिया है, उप योजना क्षेत्र भी जो अधिसूचित क्षेत्र हैं जहां पर आपकी दुकान नहीं चल सकती है वहां पर भी ठेके की दुकानें चल रही हैं इससे पूरे प्रदेश का सामाजिक चरित्र बिगड़ता जा रहा है, इसकी चिन्ता मैं समझता हूं कि सबको होगी. आप दुकान चलायें और उस तक सीमित रहें अगर दुकान के बाहर पकड़ा जाता है उस पर तो आप कार्यवाही कभी कभी करते हैं, जब ज्यादा दबाव पड़ता है, लेकिन जिस दुकानदार के यहां से शराब जाती है उस पर आप कार्यवाही नहीं करते उस पर कार्यवाही करने की आप व्यवस्था करें और गांव गांव शराब न बिके क्योंकि इसके कारण युवाओं, समाज एवं शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसकी तरफ आप चिन्तन करें तो बड़ी कृपा होगी.

इस पर जरूर चिन्तन करें समाज की तरफ और आप तो जैनी हो, आपको तो ज्यादा चिन्ता होनी चाहिये कि हम समाज को कैसे सुधारें और समाज को कैसे सही रास्ते पर ले जायें, माननीय सभापति महोदया, मैं आना चाहूंगा सिंचाई पर, सिंचाई का रकबा पूर्व के बाद बढ़ा है जिस तरह से आपका राजस्व कर बढ़ता है, जिस तरह से आपका बजट बढ़ता है, सिंचाई का रकबा भी बढ़ता है. लगातार सरकारें कार्य करती हैं. पहली सरकार ने भी कार्य किया और आपने भी कार्य किया, इसमें कोई 2 राय नहीं है लेकिन आपकी स्थिति सिंचाई का रकबा बढ़ने के बावजूद भी जहां राज्य की जनसंख्या की लगभग 72-73 परसेंट जनसंख्या ऐसी है जो कि खेति पर निर्भर होती है और सिंचाई कृषि पर उनकी जीविका चलती है और खेति पूरी सिंचाई पर निर्भर है. आप देखोगे, आपने कहा है कि मध्यप्रदेश की लगभग 150 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है. वर्तमान में प्रदेश में आपका जो कुल सिंचित रकबा है, उसका 74.21 लाख क्षेत्रफल कुंओं से व्यक्तिगत निजी बोरों से ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है, फिर आपकी सिंचाई क्षमता कितनी है ? आप कितना सिंचाई कर पाते हैं और यह काफी चिन्ताजनक है, इसकी तरफ जरूर देखें. आप सिंचाई क्षमता निर्मित करने की तो बात करते हैं, जैसे आपने 2012-13 में कहा कि हमारी निर्मित सिंचाई क्षमता 30.56 लाख हेक्टेयर है, लेकिन आप सिंचाई कितना कर पाते हैं, सिंचाई कितनी की ? 20.21 लाख हेक्टेयर एरिये में आपने सिंचाई की, क्या यह चिन्ताजनक नहीं है ? हम सभी को इसकी चिन्ता करना चाहिये, आपको भी चिन्ता होना चाहिये कि हम जितनी सिंचाई क्षमता निर्मित करते हैं, उतनी सिंचाई की व्यवस्था कर सकें, उतनी सिंचाई किसानों की करा सकें, यह भी बड़ा ही चिन्तनीय विषय है. इसी तरह से आप 2014 तक, आपने 2014 में कहा है कि हमने 31.89 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित कर ली, लेकिन आपका जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई दे पाये, वह 23.30 लाख हेक्टेयर ही सिंचाई दे पाये. आज भी लोग व्यक्तिगत स्त्रोतों पर ज्यादा निर्भर हैं अभी सिंचाई क्षमता का और विस्तार करने की आवश्यकता है.

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र की सिंचाई क्षमताओं के सिंचाई के निर्माण के लिये भी मैंने कई प्रस्ताव आपको दिये हैं. मेरा क्षेत्र इस तरह का है कि मेरे क्षेत्र में सरकारी सिंचाई का स्त्रोत कोई नहीं है. मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में मुश्किल से 10 या 20 परसेंट क्षेत्र ऐसा है, जहां नहरों से सिंचाई होती है बाकी क्षेत्र पूरा सूखा है, मैंने कई बार प्रस्ताव भी दिये हैं और

निवेदन भी किया है. मैंने चैंतीखेरा तालाब क्वारी नदी पर बनाने की बात कही थी, आपको अनुरोध किया था, आपके अधिकारियों द्वारा पूरा सर्वे भी करा लिया गया, डी.पी.आर. भी आपके पास हो गई, विस्थापन के लिये भी तैयारियां कर लीं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जरूर प्रदान करेंगे. इसी तरह से मेरे क्षेत्र में मुजरी तालाब है, उसके लिये भी मैंने आपको अनुरोध किया था क्वारी नदी पर पूनो नदी पर पूनो बीयर फर्स्ट और सेकेंड है. कतवाल नदी पर तालाब है और एक लोढ़ी के नाले पर तालाब है, इनका आप सर्वे करा लें छोटी छोटी योजनाओं का आप सर्वे कराके अगर विस्तार करने का कार्य करेंगे, तो थोड़ा ठीक रहेगा.

आपने जो सिंचाई पंचायतें बनी हुई हैं, पहले से सिंचाई पंचायतें बनी हुई हैं , आज भी हैं लेकिन आपने उन सिंचाई पंचायतों को पैसा देने का काम बंद कर दिया, आप उनको दें जनप्रतिनिधियों पर भी भरोसा करें, अच्छा काम करते हैं. आपके मध्यप्रदेश रीस्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में नहरों की पूरी लाइनिंग की है परंतु लाइनिंग का काम कितना घटिया है, आपने खुद ने देखा है और कई ठेकेदारों पर कार्यवाही भी हुई है. मैं आज भी कह रहा हूं कि आज भी बहुत ही घटिया काम हो रहा है, इसकी व्यापक स्तर पर जांच करा लें और ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनके खिलाफ ई.ओ.डब्लू. में प्रकरण दर्ज हैं, जिनके खिलाफ लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हैं, कम से कम से ऐसे लोगों को फील्ड में रखकर काम नहीं करायें , वह तो सोचते ही हैं हमारा क्या जायेगा.माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि सिंचाई पंचायतों को आप राशि प्रदान करें और दूसरा आपके जो सिंचाई अधिकारी और सिंचाई अमला एक काम और कर रहा है कि जो किसान व्यक्तिगत और निजी स्त्रोतों से सिंचाई करते हैं, उनको भी आप जो रकबा बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, वह इस तरह से कर रहे हैं कि व्यक्तिगत और निजी स्त्रोतों से जो सिंचाई करते हैं, उनको भी आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी सिंचाई राजस्व की वसूली के लिये नोटिस दे देते हैं और कहते हैं कि आपने शासकीय स्त्रोतों से सिंचाई की, इसको जरूर दिखवायें और इस तरह से आप रकबा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद.

श्री बहादुर सिंह चौहान (महिदपुर)--माननीय सभापति महोदय, समय के अभाव के कारण मांग संख्याओं का समर्थन करते हुए, कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा.

सभापति महोदय, वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर था. यह रकबा 2014 में आकर 25 लाख हेक्टेयर हो गया. उन वर्षों में मात्र साढ़े सात लाख हेक्टेयर था और इन 10 वर्षों में इतना बड़ा रकबा बढ़ा. अब कहें कि कुएं से होता है कि नहर से होता है. यह मैं अलग से परीक्षण करके नहीं लाया हूं. लेकिन 25 लाख हेक्टेयर हो गया. अब आगामी मैंने जो बजट पढ़ा है, मध्यप्रदेश में 3 बड़ी वृहद सिंचाई परियोजना शासन बनाना चाह रहा है. 20 मध्यम सिंचाई परियोजना बनाना चाहता है. 450 लघु सिंचाई परियोजनायें बनाना चाहता है. यह सब योजनाएं पूर्ण हो जायेंगी, तो 2018 में मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा 35 लाख हेक्टेयर हो जायेगा.

श्री कमलेश्वर पटेल -- सभापति महोदय, भूमि का भी रकबा बढ़ेगा कि सिर्फ कृषि का रकबा बढ़ेगा.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- भूमि का रकबा नहीं, यह तो आप भी नहीं बढ़ा सकते. हम भी नहीं बढ़ा सकते हैं. भूमि का रकबा बढ़ाने का अधिकार आपको भी नहीं है, हमको भी नहीं है.

श्री कमलेश्वर पटेल -- तो फिर यह आप लोग सिर्फ महिमामंडित करने में लगे रहते हैं.

सभापति महोदय -- पटेल जी, आप बैठ जायें. माननीय सदस्य को बोलने दीजिये.

..(व्यवधान)..

श्री बहादुर सिंह चौहान -- भूमि का रकबा तो भू माफियाओं के कारण कालोनाइजर्स के कारण लगातार कम होता जा रहा है. इस पर तो शासन को विचार करना पड़ेगा.

श्री कमलेश्वर पटेल-- यही तो हम भी बोल रहे हैं.

सभापति महोदय -- पटेल साहब, आप बैठिये.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- मैं कोई भूमि का रकबा बढ़ाने के लिये थोड़ी खड़ा हुआ हूं. यह मेरे अधिकार क्षेत्र में थोड़ी है.

श्री रामनिवास रावत -- सभापति महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह से 24 घण्टे बिजली देने की बात है.

..(व्यवधान)..

सभापति महोदय -- कृपया बहादुर सिंह जी को बोलने दें. ..(व्यवधान).. चौहान जी, आप बोलें. जो बहादुर सिंह जी बोलेंगे, वही लिखा जायेगा.

श्री रामनिवास रावत --(xx)

श्री कमलेश्वर पटेल -- (xx)

श्री बहादुर सिंह चौहान -- रावत जी, आप बात सुनने की कोशिश करें. सभापति महोदय, मैंने कहां कहा कि हम भूमि का रकबा बढ़ा रहे हैं. मैं सीधी सीधी बात कहना चाहता हूं कि जो क्षेत्रफल है, वह तो है ही सही. नदियां वही हैं. नहरें भी वहीं हैं.

सभापति महोदय -- रकबा भी बढ़ सकता है बीहड़ की जमीन का समतलीकरण हो जायेगा, तो रकबा भी बढ़ जायेगा.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- सभापति महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं विषयान्तर्गत होकर, आपके परमीशन से बोल रहा हूं कि जो बड़ी बड़ी कृषि योग्य भूमि इस मध्यप्रदेश के अन्दर है. मैं यह विषय नहीं रखना चाहता हूं, मिनिट्स में लाना चाहता हूं. जो कृषि योग्य भूमि इस मध्यप्रदेश के अन्दर है, उपजाऊ भूमि है, उस पर बिलकुल कालोनी नहीं काटी जाय, ऐसा अमेंडमेंट आपको लाना पड़ेगा. लगातार कृषि का रकबा कम होता जा रहा है. यह चिंता का विषय है, यह पूरे मध्यप्रदेश के लिये है.

श्री कमलेश्वर पटेल -- आपका बहुत अच्छा सुझाव है.

श्रीमती ललिता यादव -- आप बार बार बीच में बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं. आप माननीय सदस्य को बोलने तो दें. आप बार बार बीच में खड़े हो जाते हैं. ऐसा करके आप क्या जताना चाहते हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- सभापति महोदय, साढ़े सात लाख हेक्टेयर रकबा 2003 में था, वह हमने बोला है. हम यही तो बोल हैं, इसमें गलत कौन सा बोल रहे हैं.

सभापति महोदय -- नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं. आप आगे बोलिये.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- सभापति महोदय, धन्यवाद. आपके समय में हमारी मां नर्मदा को क्षिप्रा में लाना था. इस हिन्दुस्तान में 4 सिंहस्थ होते हैं. हमारे

(xx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

हरिद्वार, उज्जैन आदि में होता है. इस प्रकार 12 वर्षों में सिंहस्थ महापर्व यहां आता है . क्षिप्रा नदी सूख गयी थी. करोड़ों रुपये की लागत से, 4 करोड़ 32 लाख की योजना मां नर्मदा को 300 मीटर लिफ्ट करके मात्र 14 माह में मां नर्मदा का पनी मां क्षिप्रा में लाया गया. आपके समय में जब हमारे सेंधव जी विधायक थे, उस समय जब बात रखी गयी कि क्या मां नर्मदा को मां क्षिप्रा में लाया जा सकता है, कह दिया गया संभव नहीं और उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. आपको भी जनता ने उस समय मौका दिया था 10 वर्ष के शासन काल में मध्यप्रदेश में 2003 में सूखा पड़ गया था और उस समय गेहूं की और अन्य फसलों की उपज कितनी थी . क्या यह सत्य नहीं है कि वर्ष 2012-13 में 161.25 लाख मैट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ. वर्ष 2013-14 में 174.78 लाख मैट्रिक टन गेहूं मध्यप्रदेश में पैदा हुआ . और वर्ष 2014-15 में जाकर के 219.00 लाख मेट्रिक टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है. आप पुराना रिकार्ड चाहें तो देख सकते हैं. बिना सिंचाई के गेहूं पैदा हो गया क्या ? क्या सूखे में गेहूं पैदा हो गया ? क्या ऐसे ही सरसों पैदा हो गई ? इस अनुपात में सब फसलें मध्यप्रदेश में पैदा हुई. मैं किसान हूं, सभापति जी आप भी किसान हैं. आप कह रहे थे कि जमीन का भाव 10 हजार रूपये बीघा है. हो सकता है कि कोई पथरीली जमीन होगी . अभी जब वाणिज्यिक कर विभाग पर बात चल रही थी तो रावत जी अपनी बात कह रहे थे कि कर कम आया है .मैं रावत जी की बात से सहमत हूं परंतु इस मध्यप्रदेश के अंदर भू-माफियाओं ने सट्टा बाजार लाया तो हर जगह जमीनों के भाव लाख के 5 लाख और 10 लाख हो गये और एकदम से रेट डाउन हो गये , जो करोड़पति लोग थे वे रोडपति बन गये, यह स्थिति बनी हिन्दुस्तान के भू माफियाओं के द्वारा. आज मैं कह सकता हूं कि इंदौर जो महानगर है , एक और नया महानगर बन जाये इतनी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग वहां पर बनी हुई है . यह विषय नहीं है लेकिन बात आई तो मैंने कहा है.

माननीय सभापति महोदय, शुद्धरूपेण मैं दिल से कह रहा हूं कि जब मैंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा पास की और मैं बीएससी करने के लिये उज्जैन आया तब हम सायकिल चलाते थे, हमारे गांव में जब सायकिल आई थी तो हमने सायकिल देखी.

सभापति महोदय-- अब सायकिल से सिंचाई का क्या संबंध है.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- मैं प्रगति की बात कर रहा हूं. यह इससे रिलेवल है. इस सिंचाई से गांव में कितनी प्रगति हुई, आप समझ सकते हैं क्योंकि सभापति जी आप गांव के व्यक्ति हैं. गांव में कभी फोर व्हीलर देखने को नहीं मिलती थी. लेकिन इन 10 वर्षों में किसानो की प्रगति हुई है एक एक गांव मे 15-15, 20-20 फोर व्हीलर किसानों के पास में हैं, यह हमारी सरकार के समय में प्रगति हुई है. और यह सत्य है क्योंकि सिंचाई का रकवा बढ़ा, गेहूं और अनाज पैदा हुआ . उससे हमारी माली हालत मजबूत हुई है. मैं

चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय सिंचाई मंत्री माननीय जयंत मलैया जी बहुत ही इंटेलीजेंट और बुद्धजीवी व्यक्ति है. और इनके नेतृत्व में सिंचाई का रकवा मध्यप्रदेश में बहुत बढ़ा है .

माननीय सभापति महोदय, मै अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं. मां क्षिप्रा जो उज्जैन से सीधे महिदपुर के लिये जाती है, एक बार सिंहस्थ का महापर्व महिदपुर के अंदर भी लगा है. 55 किलोमीटर मां क्षिप्रा मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहती है , माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि क्षिप्रा नदी के ऊपर 5 बैराज बनाये मैने लिखकर के भी दिया है बंसिंग, धारखेड़ा, लाड़नपुर, लसुड़िया नाहटा और डूंगरखेड़ा. इसी प्रकार से छोटी काली सिंध नदी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 58 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है, उस पर भी मैं 5 बैराज बनवाना चाहता हूं. घाटखेड़ी, हरवाखेड़ी, सिंहदेवला , आक्याधागा और चिताड़ा . मालवा में एक बहुत अच्छी और बड़ी योजना राजगढ़ जिले में जो ली है वह नीवली नदी पर है. मेरे क्षेत्र में एक पुराना अरना डेम है , उज्जैन जिले का सबसे बड़ा अरना डेम है, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उस अरना डेम से लगभग 64 गांव में 4,000 हेक्टेयर पर सिंचाई होती है , वह बहुत पुराना डेम हो गया है, उसके आधुनिकीकरण करने के लिये माननीय मंत्री जी बजट में प्रावधान करें, सभापति जी आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

डॉ.रामकिशोर दोगने(हरदा) -- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 6, 7, 23, 31, 40, 45, 57, 60 और 61 का विरोध करने और कटौती प्रस्तावों के समर्थम में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं. सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं वित्त की बात चल रही थी,वित्त में हमारी योजनायें तो बनती हैं पर इम्प्लीमेंट कितना होता है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है. पैसा तो लगता है पर वह पैसा कहां जा रहा है , किसकी जेब में जा रहा है पैसा, कौन सी योजना में पैसा लग रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है . मेरा निवेदन है कि इसमें एक सुपरविजन कमेटी भी होना चाहिये. जिन योजनाओं पर पैसा लग रहा है वह योजनायें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं . उन योजनाओं की क्या स्थिति है, उन योजनाओं का काम कहां तक हुआ है इसका सुपरविजन होना चाहिये .

मैं, अपने हरदा क्षेत्र का ही बताना चाहता हूं. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 6-6 साल हो गये लेकिन पूर्ण नहीं हुई है. लोक निर्माण विभाग की सड़कें 6-6 साल हो गये लेकिन पूर्ण नहीं हुई.

सभापति महोदय-- आप तो सिंचाई पर बोलें. (व्यवधान)

श्री रामकिशोर दोगने-- सभापति महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब तक इन योजनाओं का सुपरवीज़न नहीं होगा तब तक राशि का आदान-प्रदान सही तरीके से नहीं होगा. (व्यवधान)

सभापति महोदय-- बैठ जाईये. दोगने जी आप बोलिये.

श्री रामकिशोर दोगने-- सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में कई योजनाएं आती हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही है. मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स आये हैं उनको देखें. हमारे हरदा क्षेत्र में एक फुड पार्क का प्रोजेक्ट आया था उसका भूमि पूजन हो गया लेकिन आज तक उसका कार्य शुरु नहीं हुआ.

सभापति महोदय, हमारे यहां सिंचाई की एक कुकड़ापानी योजना आयी थी उसका बजट में भी प्रावधान है, उसका भूमि पूजन भी हो गया लेकिन उसका भी कोई अता-पता नहीं है. हम योजनाएं बनाते हैं उसकी समय सीमा होना चाहिए कि वह कितने समय में पूर्ण होगी. मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा क्षेत्र तवा बांध से सिंचित है लेकिन वहां पर जो नहरें हैं उनका पानी बहुत व्यर्थ जाता है. उन नहरों के पानी को रोकने के लिए अगर नहरों की लाईनिंग कर दी जाये. उनको पक्की कर दी जाये तो निश्चित ही पानी की बचत होगी और दूसरे लोगों को भी फायदा होगा.

सभापति महोदय, मैं वाणिज्यिक कर के संबंध में कहना चाहता हूं. सरकार कई प्रकार टैक्स लगाती है. मेरा सुझाव है कि जो अलग अलग 20-25 प्रकार के टैक्स लगाते हैं उसके स्थान पर पूरे

प्रदेश में एक प्रतिशत टर्न ओव्हर टैक्स हो जाये तो बहुत सारा राजस्व आ जायेगा और सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती रहेंगी.

सभापति महोदय, मैं लघु सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर भी बहुत सारी नदियां हैं, उन पर छोटे छोटे डेम बन जाये तो निश्चित रुप से प्रदेश का विकास होगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी और किसान भाईयों की समस्याओं का समाधान होगा.

सभापति महोदय, यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनायी जा रही है. हम बीज भी देते हैं, खाद भी देते हैं लेकिन ये चीजें किसानों तक पहुंच रही या नहीं इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा और इसका सुपरवीज़न कराना पड़ेगा. जो खाद-बीज जा रहा है वह कहीं भी, किसी को भी जा रहा है. जो अपात्र है उसको मिल रहा है. उसका दुरुपयोग हो रहा है. उस दुरुपयोग को भी रोकना पड़ेगा.

सभापति महोदय, अभी मुकेश नायक जी ने बुंदेलखंड पैकेज के बारे में बताया. उसमें भी सुपरवीज़न नहीं हो रहा है इसलिए इस तरह की सारी परेशानियां हो रही हैं. हम देख रहे हैं कि हैंडपंप खुद जाते हैं और पूर भी जाते हैं. तालाब, कुएं खुद जाते हैं और उनको पूरने के पैसे भी लिये जाते हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की राशि निकाल ली जाती है. इन सब चीजों को देखते हुए जब तक सुपरवीज़न नहीं होगा तब तक इन सब चीजों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा. मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि सुपरवीज़न बहुत अच्छा हो. अधिकारी-कर्मचारियों पर कंट्रोल हो.

सभापति महोदय, हम वित्त की बात कर रहे हैं. एक बहुत बड़ा घोटाला हमारे प्रदेश में हुआ है वह छात्रवृत्ति घोटाला है. वह कम से कम 5 हजार रुपये का होगा. प्रायवेट कॉलेजों ने घोटाला किया है उसकी आज तक जांच नहीं हो रही है और न ही सुपरवीज़न हो रहा है. मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे घोटालों को भी पकड़े. 5 हजार करोड़ रुपये का प्रदेश का बहुत बड़ा घोटाला है.

सभापति महोदय-- आप जांच के लिए लिखकर दे दें. बैठिये.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डे (जावरा) –माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 6, 7, 23, 31, 40, 45, 57, 60 और 61 का समर्थन और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं. किसी भी प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का संकल्प किसी एक बात को लेकर किसी एक लक्ष्य को लेकर पूरा नहीं किया जा सकता है. प्रदेश के विकास के लिए जहां पर सड़कों की आवश्यकता है, जहां पर बिजली की आवश्यकताहै. वहां पर समस्त अन्य संसाधनों के साथ साथ सिंचाई के लिए सिंचित रकबा बढ़ाने के लिए जल संसाधनों की भी महती और महत्वपूर्ण आवश्यकताहै. इस हेतु विगत वर्षों में जो लगातार जल परियोजनाओं को परिलक्षित करते हुए चिन्हित करते हुए नवीन परियोजनाओं को खोजने के साथ साथ उनके संसाधनों को उपलब्ध कराकर बजट का प्रावधान करते हुए, उन नवीन योजनाओं को बनाने का काम विगत शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश भर में जब किया गया तब जाकर के यह स्थिति आयी है.

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं मालवा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं. हमने हमारे पुरखों से बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी थी. मालव माटी गहन गंभीर पग पाग रोटी डग डग नीर. लेकिन हमने जब बचपन देखा तो जल संकट देखा, हम थोड़े सेबड़े हुए तो जल संकट देखा, थोड़े और बड़े हुए तो हमने निश्चित रूप से जल की अत्यधिक कठिनाइयां देखीं. संपूर्ण क्षेत्र भर में तो स्थिति यह आ गई कि जल स्तर धीरे धीरे नीचे जाते जाते वह अब 500 से 1200 फीट नीचे चला गया है. अब जाकर जल स्तर की भयावहता यह हो गई है कि 10 से 20 किलोमीटर दूर जाकर के जल लाने की आवश्यकता महसूस होने लगी है.

मेर कहना है कि विगत 10 वर्षों में जहां पर एक ओर बिजली का सुधार हुआ है. इस सुधार के साथ साथ नवीन परियोजनाएं चिन्हित होकर के उनके लिए बजट प्रावधान किया गया. उन सिंचाई योजनाओं ने जब मूर्त रूप लेना प्रारम्भ किया तो इससे निश्चित रूप से सिंचाई का रकबा बढ़ा है.

मैं यहां पर कांग्रेस के मित्रों से भी निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में वे थोड़ा ध्यान दें आप गौर से देखेंगे तो पायेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों में कोई पक्षपात नहीं किया है. विगत शासन काल में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में,तहसील में आने वाली कौन सी सिंचाई योजनाओं को

चिन्हित करते हुए बनाया जा सकता है. उसके प्रोजेक्ट बुलवाये गये थे और उसमें यह नहीं देखा गया था किकहां से कांग्रेस प्रतिनिधित्व करता है कहां से भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व करती है. यह ही एक बड़ा कारण रहा है कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ने का साथ साथ सिंचाई के साधन लगातार बढ़ते रहे हैं.

माननीय सभापति महोदय, हमारा मालवा क्षेत्र शाजापुर की महती एवं महत्वपूर्ण योजना कछाल एवं कीटखेड़ी की सिंचाई योजना प्रारम्भ की गई. नीमच जिले में ठिठया योजना के निर्माण के लिए मैं शासन को मैं अपनी ओर से बधाई देते हुए अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं. इसी के साथ साथ में शासन को गांधी सागर बांध से भानपुरा नहर को स्वीकृत करने केलिए भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं. माननीय सभापति महोदय, नाबार्ड के माध्यम से भी और विश्व बैंक के माध्यम से भी विभिन्न परियोजनाओं को शुरू किया गयाहै. नाबार्ड योजना के अंतर्गत हमारे रतलाम जिले में चंबल और मलिनी नदी पर श्रीजा स्टापडेम बनाये जाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था. संभवत: कहीं परकठिनाई रही होगी, बजट की कोई कमी रही होगी. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि रतलाम जिले में नाबार्ड योजना में सम्मिलित चंबल नदी पर श्रीजा स्टापडेम और मलिनी नदी पर श्रीजा स्टापडेम बनाने का कार्य को भी इस योजना में सम्मिलित करेंगे. तो निश्चित रूप से रतलाम जिले का सिंचित रकबा बढ़ेगा.

इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि नर्मदा और क्षिप्रा लिंक परियोजना तो पूर्ण हुई लेकिन नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना को थोड़ा और आगे बढाने की आवश्यकता निश्चित रूप से प्रतीत होती है. यदि उसको उज्जैन से रतलाम जिले की ओर मंदसौर जिले की ओर और नीमच जिले की ओर ले जाकर गांधी सांगर बांध तक ले जाया जायेगा. उससे निश्चित रूप से उज्जैन ग्रामीण जिला, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में आने वाली सूखी प्यासी धरती भी हरियाली को प्राप्त कर सकेगी आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद्.

श्री रजनीश सिंह (केवलारी) - सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 6,7,23,31,40,45,57,60 एवं 61 पर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है, मैं कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं. सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं है, उनसे अवगत कराना चाहता हूं. मेरे क्षेत्र में न केवल मध्यप्रदेश का, न केवल हिन्दुस्तान का, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है. जिसे उस समय की कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1984 में उसकी आधारशिला रखी और वर्ष 1995 में पूरे गेट लगाकर उस समय की सरकार ने किसानों के हित में सिवनी जिले में एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया. सभापति महोदय, आप जानते हैं कि लोगों के पास में जमीन हो, रकबा बढ़ा हो और उस जमीन पर अगर जल न हो तो एक किसान के लिए उस जमीन का कोई मूल्य नहीं होता है. सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि जब से एशिया का यह मिट्टी का बांध बना हुआ है, तब से आज तक 30 साल उस बांध को बने हो गये हैं. एक तगाड़ी, एक तसला, एक टोकनी मिट्टी भी उस बांध से, उसकी नहरों से नहीं निकाली गयी है. मैं बार-बार मौजूदा सरकार से चिट्ठी के माध्यम से प्रार्थना की. मैं आज इस सदन में माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे 1 जुलाई के प्रश्न का जब उत्तर दिया तो उसमें लिखा है कि केन्द्र सरकार को 615 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भेजा है. परन्तु एक किसान होने के नाते मैं बखूबी समझ सकता हूं कि अगर गेहूं और चने कटाई करने के बाद अगर बैलगाड़ी में उसके गट्ठे को लादा जाता है तो बैलगाड़ी चलाने के लिए चुस्त और दुरुस्त दो चकों की जरूरत पड़ती है. गाड़ी तभी दौड़ सकती है, जब उसके दोनों चके सलामत रहें. इस समय मध्यप्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. अब कोई एक्सक्यूज कोई बात माननीय मंत्री जी को कहने के लिए नहीं रहेगी कि किसने इसको लागू किया और किसने इसको लागू नहीं किया.

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज उस बांध से ढ़ाई लाख एकड़ जमीन सिंचित हो रही है. अगर माननीय मंत्री जी की कृपा हो जाय तो एक से डेढ़ लाख एकड़ जमीन और उस बांध से सिंचित हो सकती है. किसानों की बहुत विशेष बात मैं कर रहा हूं. यह वह विषय है, जिसमें हम जैसे हजारों युवाओं का भविष्य निर्भर है. एक लाख, सवा लाख एकड़ जमीन का सिंचित होना निश्चित रूप से मेरे केवलारी विधान सभा क्षेत्र और सिवनी जिले के लिए बहुत बड़ा उन्नति और प्रगति का द्योतक साबित होगा.

सभापति महोदय, नहरें जीर्ण-शीर्ण हैं. साइफन जो बने हैं, साफ नहीं हैं, सिल्ट जमा हो गई है. पुल-पुलिया टूट चुके हैं. अगर सीमेंटीकरण इन नहरों का हो जाता है तो न केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि मेरा जो पड़ोसी जिला बालाघाट है, बालाघाट, परसवाड़ा और लांझी, ये तीनों विधान सभा क्षेत्र के काफी गांवों को इस बांध से पानी मिल सकता है.

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि शुरूआत में जब नहर खुलती है तो बड़ी तेजी के साथ पानी निकलता है और इस बांध की कम से कम तीन से साढ़े तीन हजार एकड़ जमीन 8 दिन के अंदर निकल जाती है. इसमें लोग बौनी करते हैं. और टी.सी. कनेक्शन लेते हैं. वो डूब क्षेत्र का पट्टा सरकार देती है ,उसका कर भी सरकार लेती है और जब बिजली विभाग से बिजली ली जाती है तो उसका टी.सी.कनेक्शन भी दिया जाता है. माननीय सभापति महोदय, 2-2,3-3 किलो मीटर बिजली के तार को फैलाना पड़ता है. उससे दुर्घटनाएं होती हैं. वायर नीचे रहता है,अर्थिंग मिल जाती है , कई पशु, लोग उस करेंट से आहत होते हैं. मेरा निवेदन है किर डूब क्षेत्र के किनारे किनारे बिजली के पोल लगा कर विद्युत की व्यवस्था की जाय, उससे बिजली विभाग को भी लाभ होगा और किसानों को जो लंबी लंबी लाईने लेकर जाना पड़ता है और जो दुर्घटना के शिकार होते हैं उससे किसानों को निजात मिलेगी. सभापति महोदय, भीमगढ़ बांध का पानी हमारे क्षेत्र के छोटे से टैंक रूमाल में नहरों के द्वारा जाता है और रूमाल टैंक का पानी एक नाले में बढ़ कर पिकअप वियर में जाता है और वहां से 35 गांव की सिंचाई योजना सुचारू रूप से चलती है. मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो प्रस्ताव आपने केन्द्र सरकार को भेजा है उसे आप मंजूर करायें ताकि मेरे क्षेत्र के किसानों की समस्या हल हो सके. मेरे क्षेत्र का किसान तभी खुशहाल रहेगा, तभी उसके चेहरे पर खुशहाली रहेगी, तभी उसके गालों पर लाली रहेगी जब इस बांध की जो नहरे हैं उनका सीमेन्टीकरण का काम होगा. माननीय सभापति महदोय, आपने मुझे बोलने का उसके लिए धन्यवाद.

श्री दुर्गालाल विजय(श्योपुर)—माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं. सभापति महोदय, कृषि, ग्रामीण विकास का आधार है और हमारे प्रदेश के विकास की आधारशिला पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करती है. सभापति महोदय, कृषि के लिए सिंचाई की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और सिंचाई की उपलब्धता के कारण से हमारे किसानों की माली हालत में सुधार

होता है . सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं , जैसा अभी मेरे पूर्व में साथियों ने उल्लेख किया, आज हमारे प्रदेश के किसानों की माली हालत में बहुत सुधार हुआ है. यह बात सही है कि हमारे प्रदेश के किसानों ने भी बहुत परिश्रम किया है जिसके कारण हमारे प्रदेश के किसानों को सिंचाई के माध्यम से अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है.

समय-4.14 बजे { सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश को जो कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है ,उसमें जल संसाधन विभाग का भी बड़ा भारी योगदान है. हमारे माननीय मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विभाग के लोगों ने जो प्रयास किये उसके कारण मध्यप्रेदश का कृषि विकास बढ़ा और उसके कारण निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर हमारे प्रदेश को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ. माननीय सभापति महोदय, आज जो गेहूं और धान का उत्पादन प्रदेश के अंदर बढ़ा है, इसमें जो प्रदेश के अंदर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनका बड़ा भारी योगदान है.

सभापति महोदय—कृपया अपने क्षेत्र की बात करके समाप्त करें, 10 मिनट हो गए हैं.

श्री दुर्गालाल विजय—आपके बिराजने से तो बड़ी उम्मीद हो गई थी.

सभापति महोदय—समय भी देखना है.

श्री दुर्गालाल विजय—सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 3 फरवरी को किसान महापंचायत के अंदर यह घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश का सिंचाई का रकबा 24 हजार हैक्टर किया जायगा और आज हमें यह कहते हुए गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किसान पंचायत में जो घोषणा की गई थी, उस लक्ष्य को हमने पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है. ऐसे तो बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से जल संसाधन विभाग ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारी चंबल नहर के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत की दृष्टि से जो कार्य किए गए हैं, उनकी वजह से चंबल नहर का पानी ठीक तरह से प्रभावित हो रहा है और नीचे के स्तर पर कई वर्षों से जहां इसकी आवश्यकता होती थी, वहां तक पानी पहुंचाने का प्रयास ठीक तरीके से जल संसाधन विभाग ने किया है. श्योपुर से लेकर भिंड तक और भिंड के लोग चंबल के पानी के लिए तरसा करते थे, आंदोलन होता था. 2003 के पहले इस प्रकार की स्थिति थी,

इसको सुधारने का काम मध्यप्रदेश की सरकार ने किया है, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और आज जो परिस्थिति बनी है, उसके कारण यह बात तो सुनिश्चित हो गई है कि अब चंबल नहर टूटती नहीं है 2003 के पहले की परिस्थिति को अगर हम देखेंगे तो यह बात सामने आती थी कि जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती थी, नहर टूट जाया करती थी और इस कारण समय पर सिंचाई उपलब्ध नहीं हो पाती थी.

सभापति महोदय, मैं दो तीन बातें अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं. मूदरी बांध के बारे में आपने भी उल्लेख किया है और वास्तव में श्योपुर और विजयपुर पूरे जिले के लिए मूदरी बांध का निर्माण बहुत आवश्यक है.

सभापति महोदय—माननीय मंत्री जी इसको नोट कर लें.

श्री दुर्गालाल विजय—सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी और विभाग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अब वन विभाग की कुछ भूमि की उपलब्धता की बात आ रही है, इस समस्या के निवारण के लिए मध्यप्रदेश की सरकार और हमारे मंत्रीजी इसके लिए प्रयत्न करेंगे. हमारे श्योपुर में पार्वती उद्वहन सिंचाई योजना की बात कई वर्षों से लगातार किसान मांग कर रहे हैं. लगभग 40-45 गांवों का सवाल है, उनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, नीचे का जल स्तर भी नहीं है कि वह नलकूप खनन करके पानी ले सकें. इसके कारण पार्वती नदी पर पहले जो आपके विभाग ने सर्वे किया है, इस सर्वे कार्य के अनुरूप इसे आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. माननीय सभापति महोदय, सीप नदी पर बड़ा डैम बनाकर और नीचे के हिस्से में भी पानी देने की आवश्यकता है. कूनो डैम बनाने का बहुत दिनों से प्रस्तावना लगातार लंबित रही है, इसकी तरफ भी माननीय मंत्रीजी ध्यान देंगे तो श्योपुर जिले को बहुत अधिक लाभ मिलेगा. एक आखरी बात पंजीयन के बारे में मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं. स्टांप पंजीयन के मामले में आपने बंटवारा, विभक्तीकरण और दान के मामले में जो आधी छूट दी है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है, इसकी बड़ी आवश्यकता थी और कई दिनों से पूरे प्रदेश के और हमारे जिले के लोग मांग करते थे. माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय सभापति जी आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद.

श्री दिनेश राय(सिवनी)—माननीय सभापति महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूँ एवं कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ. मैं सिवनी विधानसभा के संबंध में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूँ जो मेरे क्षेत्र के लिए आवश्यक है. सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने जो नदी को नदी से जोड़ने का कार्य किया है यह वास्तव में मध्यप्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी काम है. हमारे जिले में जो भी बांध बने हुए हैं जो 10 साल पूर्व के हैं, सभी की नहरे क्षतिग्रस्त हैं जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो सकती है . 10 से 20 हजार रुपये प्रति साल नहरों में जो इनको राशि प्रदान की जाती है उतनी राशि से उसको झाड़ा तक नहीं जा सकता तो खुदाई कैसे की जाएगी अत: मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उसमें राशि का प्रावधान बढ़ाया जाए और उन नहरों का काम शीघ्र कराया जाए.मेरे सिवनी विधानसभा में एक बरेलीपार बांध है, 24 वर्षों से बना हुआ है, उसकी नहर भी बनी हुई है लेकिन 24 वर्षों से उस नहर में आज दिनांक तक पानी नहीं छोड़ा गया तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि क्यों नहीं छोड़ा गया, क्या कारण है, इन 24 वर्षों से इतनी राशि खर्च करने के बाद बांध बनाया गया है अत: निवेदन है कि उस बांध की नहरों से पानी छोड़ा जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके. इसीप्रकार एक जुवान एवं मढ़वा गांव के बीच में माता मंदिर है जहां फारेस्ट की कुछ जमीन फंसती है वहां के बांध का सर्वे हो चुका है. उसमें अगर वित्तीय स्वीकृति मिल जाए तो उससे काफी किसानों को पानी मिल सकेगा. मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सिवनी विधानसभा के ऐसे कई बांधों का सर्वे हुआ है अगर उनकी वित्तीय स्वीकृति देकर निर्माण कराया जाता है तो हमारे क्षेत्र में फ्लोराइड और जल स्तर जो बहुत नीचे है, उससे जल की भी व्यवस्था होगी और किसानों की जो जमीनें हैं उनमें भी सिंचाई होकर प्रदेश में क्रांति आएगी.

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वाणिज्यिक कर मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे जिले से लगा हुआ महाराष्ट्र का खवासा बार्डर है वहां पर वाणिज्यिक कर के माध्यम से काफी

मात्रा में अवैध वसूली होती है तो मैं निवेदन करता हूँ कि कहीं न कहीं कुछ खामियां है जिसको रोका जाए जिससे हमारे क्षेत्र के व्यापारी ईमानदारी से और पूरा कर भुगतान करने के बाद ही दूसरे प्रदेशों में माल पहुंचा सकें.माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री रामप्यारे कुलस्ते(निवास)—माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 6,7,23,31,40,45,57,60,और 61 का समर्थन करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ. माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है जिसमें मध्यप्रदेश की भी अधिकांश आबादी गांव में बसती है. लगभग 70 से 75 प्रतिशत आबादी खेती किसानी पर निर्भर है. हमारे इस देश के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया. मैं समझता हूँ कि कुशल नेतृत्व और कुशल प्रबंधन से ही हमें जिस तरीके से मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड लगातार दो वर्षों तक मिला वह हमारे वित्त मंत्री जी का कुशल प्रबंधन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है. सभापति महोदय, सिंचाई सुविधाओं में कितना विस्तार हुआ है हम पिछले 2003 के वर्षों में कहां थे,वर्तमान समय में कहां हैं, मैं समझता हूँ कि सदन की कार्यवाही में वह सारा विषय आ चुका है.माननीय सभापति महोदय,हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों की प्रगति और उन्नति के लिए सिंचाई सुविधाओं में बहुत सारी प्राथमिकताएँ दी हैं. खासकर मैं मंडला जिले से आता हूं और मंडला जिले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में वह बसा हुआ है. वहाँ आप उद्वहन सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति दें और उद्वहन सिंचाई योजना अगर प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से मंत्री जी आपकी जो कल्पना है कि हमारा किसान समृद्ध हो,वह सपना पूरा होगा. जब किसान के खेत में पानी पहुंचेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान समृद्ध होगा, ऐसा मैं

आपसे आग्रह करता हूं और छोटी छोटी लघु सिंचाई योजनायें हमारे यहाँ संचालित हैं . आज ही मेरा एक विधानसभा में तारांकित प्रश्न 24 वें नंबर पर आया था कापा चकदेही जलाशय के विषय में ,यह लघु सिंचाई योजना पिछले वर्षों में क्षतिग्रस्त हुई जिसके कारण हमारे यहाँ के किसानों को काफी जन-धन की हानि हुई, लोगों को, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाया. आपने उसमें ठोस कार्यवाही की है पर मैं चाहता हूं कि उन किसानों को राहत राशि मिल जाये और उचित प्रबंध उसमें हो जाए ताकि सिंचाई की व्यवस्था उसमें हो सके. इसी तरह से एक खिन्हा डैम है जो तीन वर्षों से निर्माणाधीन है परन्तु हम उसके पानी का उपयोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं वहाँ के किसानों का उद्धार होगा और वहाँ सिंचाई हो सकेगी. माननीय मंत्री जी एक और आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं कि चूंकि हमारा मंडला जिला टीएसपी एरिया में आता है, ट्राइबल सबप्लान की जो योजनायें हैं, कलेक्टर सैक्टर से देकर के अगर इनकी निर्माण कार्य की स्वीकृति भी देंगे तो सिंचाई की योजनाओं को गति मिलेगी, ऐसा मेरा आग्रह है. आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को(पुष्पराजगढ़)-- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 6,7,23,31,40,45,57, 60, 61 पर जो कटौती प्रस्ताव आए हैं उसका समर्थन करता हूं . मैं अपनी बात अपने विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ से ही रखना चाहूंगा चूंकि इस विधानसभा क्षेत्र में मूलतः 90 से 95 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के ही लोग निवासरत् हैं, जो कि कृषि पर ही पूर्णतः आश्रित हैं. माननीय सभापति महोदय जी, पुष्पराजगढ़ विधानसभा में 30-35 छोटे-बड़े बाँध बनाये गये हैं . वर्ष 2012-13 में जल संसाधन उप संभाग राजेन्द्र ग्राम द्वारा 5385 हैक्टेयर का सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था जिसके पूर्ति 4589 हैक्टेयर में की गई. माननीय सभापति महोदय, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 1643 दिनाँक 16.6.2014 के बारे में बताना चाहूंगा कि कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन , अनूपपुर को निलंबित किया गया और इसलिए निलंबित किया गया

कि पिछले दो साल में जो काम स्वीकृत किये गये चाहे वह छोटे जलाशयों का निर्माण के बारे में हो और चाहे नहर मरम्मत व निर्माण के संबंध में हो, इनके दो साल की कार्य की जो प्रगति रही वह नगण्य रही जिसके कारण कार्यपालन यंत्री जी को निलंबित कर दिया गया. माननीय सभापति महोदय, दूसरा 6623 मुख्य अभियंता, जल संसाधन तुलसी नगर भोपाल के माध्यम से एक नुनघटी जलाशय का भ्रमण किया गया. साथ ही अधीक्षण यंत्री, शहडोल जल संसाधन विभाग नुनघटी जलाशय का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि डेढ़ लाख करोड़ का यह निर्मित बाँध, घटिया निर्माण किया गया और गुणवत्ता विहीन रहा. समय से पूर्ण न होने के कारण तीन उप यंत्रियों को निलंबित कर दिया गया. माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए इसका उल्लेख करना चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न क्रमांक 2316 एवं 2317 में भी हमने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से निर्माण कार्य कराए जाते हैं और असत्य आँकड़े प्रस्तुत करके इनाम, प्रोत्साहन और मेडल लेना चाहते हैं. सभापति जी, अभी यह नुनघटी जलाशय जिसकी नहर निर्माण नहीं, जो पटल से 50 मीटर बाहर भाग गया, जिसके कारण 3-3 उपयंत्री और एसडीओ और ईई को सस्पेंड कर दिया गया और उसी जलाशय का सिंचाई लक्ष्य रखा गया 242 हैक्टेयर और उसकी लक्ष्य पूर्ति कर ली 360 हैक्टेयर. सभापति जी, यह जाँच का विषय है. इसी तरीके से जोहिला टैंक, करपा जलाशय, हमारा नुनघटी जलाशय, नौगवाँ जलाशय, जहाँ नौगवाँ में मैं खुद काश्तकार हूँ. नौगवाँ जलाशय के लिए वहाँ नहर ही नहीं है और शतप्रतिशत सिंचाई बता रहे हैं. मैं तो यह चाहूँगा कि जो 30-35 जलाशय हैं इनमें से किस किस जलाशय के लिए नहरों का काम प्रारंभ किया गया और वे स्वीकृत निर्माण कार्य कब पूर्ण हुए और उसकी जो सिंचाई क्षमता है, जो विभाग द्वारा जो प्रस्तुत की गई है. यदि विधान सभा से एक समिति बनाकर के जाँच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. सभापति जी, आज पूरे पुष्पराजगढ़ में और पूरे मध्यप्रदेश में सदन और सरकार इस बात पर चिंतित है कि....

सभापति महोदय—श्री दिलीप सिंह परिहार अपनी बात रखें.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- सभापति जी, पहले ओला पाला और अतिवृष्टि हुई. जिसमें....

सभापति महोदय-- यह सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा चल रही है. आप कृषि विभाग की मांगों पर बोल लेना.

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- हमारा कृषक ही तो प्रभावित हुआ है. उसमें पैसे की व्यवस्था कर ली जाए और उन किसानों को लाभ पहुँचाया जाए. सभापति जी, वाणिज्यिक के तहत मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा राजिमग्राम हायर सेकंडरी स्कूल है, बालक बालिकाओं का हाई स्कूल है. उसके बगल में दो शराब की दुकानें हैं उनको हटा दिया जाए. ताकि वे बच्चे पढ़ सकें. सभापति जी, मेरे क्षेत्र की दो बातों को रखना चाहूँगा कि ग्राम परसेल में बाँध बनाया जाए और दूसरा दोमोहानी जनपद पंचायत जतहरी में निर्माण कराए जाएँ. सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार (नीमच)—माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या का समर्थन करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं.

माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय वित्त मंत्रीजी और माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूँ. माननीय मुख्यमंत्रीजी ने पानी संचय करने के लिये वर्ष 2003 में जलाभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ किया था तो गांव दुदर्शी से प्रारंभ किया था. खेत का पानी खेत में रुके, गांव का पानी गांव में रुके, इन्हीं सरंचनाओं को आगे बढ़ाते हुये माननीय जल संसाधन मंत्री मलैया जी ने नीमच जिले में बहुत ही अभिनव कार्य किया है. ठीकरिया और हमीरिया डेम जो बनकर पूर्ण हो गया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और अभिनन्दन करता हूँ.

सभापति महोदय, हम सब जानते हैं बिन पानी सब सून, मोती मानस चून. रहीम की इस कविता में पानी का बहुत महत्व है. इन्द्र देवता प्रसन्न हुए और भोपाल में पानी गिरा तो हमारा मन प्रसन्न हो गया. इस पानी को संचय करने का काम यदि कोई कर रहा है तो वह जल संसाधन विभाग कर रहा है. नीमच जिला राजस्थान से लगा हुआ है गर्मी के मौसम में वहां सिर पर हाथ लगाओ तो हाथ में रेत के कण आते हैं, वहां जल स्तर नीचे जा रहा था. जल संसाधन विभाग द्वारा अनेक योजनायें बनीं. मैं इस अवसर पर पूर्व जल संसाधन मंत्री श्री अनूप मिश्रा जी को भी धन्यवाद दूंगा. उन्होंने हमारे क्षेत्र में अटल सरोवर, रितम बेराज और दो-तीन अन्य संरचनायें मंजूर की थीं. माननीय मलैया जी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है. डीप एरिगेशन के माध्यम से पानी का संचय हो रहा है और लोगों की खेती अच्छी हो रही है. खेती का रकबा भी बड़ा है और रकबा बढ़ने से किसान प्रसन्न है. हमारा इलाका पहले रेगिस्तान जैसा हो गया था अब वह पंजाब जैसा लगने लगा है. जो ठीकरिया डेम बना है, वहां माननीय मुख्यमंत्रीजी आये और उन्होंने हमारे सदन के तत्कालीन वरिष्ठ सदस्य श्री खुमान सिंह शिवाजी के नाम से ठीकरिया डेम का नाम रखा. ठीकरिया डेम से किसानों को लिफ्ट एरिगेशन के द्वारा पानी ले जाने की जल्दी स्वीकृति प्रदान करें जिससे दूरदराज के लोग पानी ले जा सकें. उद्योगों के लिये भी उस डेम में पानी संचित है, यह बहुत बड़ा डेम है. इस डेम के माध्यम से नीमच जिले की पीने के पानी की समस्या भी 40 साल के लिये दूर हो गई है.

सभापति महोदय, जो हमीरिया डेम आपने बनाया है उसके लिये भी मैं आपको बधाई देता हूँ. ग्राम कालीकोठड़ी के किसानों को वर्ष 2014 में अवार्ड के माध्यम से पैसा उपलब्ध हो. किसान भाइयों ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है. सिंचाई डेम बनकर तैयार हो गया है परन्तु उन लोगों को पैसा नहीं मिला है. माननीय मंत्रीजी से सदन के माध्यम से निवेदन करुंगा कि हमारे किसान भाइयों को पैसा मिले. किसानों के लिये बिजली, सड़क, प्लॉट और आवास की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र की जाये.

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की मांगें हैं, जो डेम बना है उससे बामनिया, भंवररासा, माल्या, पीपल्या, ब्यास में सिंचाई सुविधा हेतु नहरें बनाई जायें. मंत्रीजी प्रभावित डूब क्षेत्र में पुनर्वास की व्यवस्था करें. कालीकोठड़ी गांव डूब में जा रहा है, लोगों के आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध कराया जाये. 01 जनवरी 2014 से जो अवार्ड पारित हुआ है किसानों को उसका मुआवजा प्राप्त हो, यही मेरा आपसे निवेदन है कि डेम की वजह से पूरे मालवा अंचल में बहुत अभिनव काम हुए हैं. मैं शासन को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि उसने नर्मदा मैया का पानी क्षिप्रा मैया में लाने का काम किया है. अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि मालव माटी गहन गंभीर, पग-पग रोटी डग-डग नीर, यह कहावत चरितार्थ हुई है. जल संसाधन मंत्री ने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिये अभिनव काम किया है. डेम की वजह से जल स्तर ऊपर आया है 100-200 फीट पर पानी उपलब्ध है लेकिन हमारे यहां ट्यूबवेल व हैंडपंप खुदाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी और जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि वे इस प्रतिबंध को हटाने की कृपा करें. स्प्रिंकलर और कृषि उपकरणों पर किसानों को अनुदान दें. किसानों को अवार्ड के हिसाब से पैसा दिलावाया जाये.

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र नीमच में अवैध दारू की दुकानें चल रही हैं, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नीमच जिले में जो अवैध दारू की दुकानें चल रही हैं उनको बंद करायें। क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये दुकानें संचालित हैं, उनको बंद करायें। वहां पर राजस्व की हानि हो रही हैं। पर्ची सिस्टम के माध्यम से वहां पर राजस्व की बहुत हानि हो रही है। आपका दिल खुला हुआ है तो आप दारू का जो अवैध संचालन हो रहा है, उसको बंद करायें। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध दुकानें चल रही हैं। उनको बंद करायें। आपने बोलने का समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन :- माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि बड़ा अवैध कारोबार इस सरकार के नेतृत्व में इस प्रदेश में हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिये।

श्री जालम सिंह पटैल:- माननीय सभापति महोदय, मैं 6,7,23,31,40,57,60 और 61 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, मध्यप्रदेश में खासकर नरसिंहपुर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई के कारण उत्पादन बढ़ा है और सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है। सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान जल संसाधन विभाग द्वारा लगभग 30, 32 छोटे छोटे डेम बनाएं गये हैं, जिससे आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई भी बढ़ी है। माननीय मंत्री जी वर्तमान में बजट लेकर आये हैं और बजट के माध्यम से उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र नौरादेही में सात गांव हैं, उन सात गांवों नौरादेही के कारण वहां सिंचाई के क्षेत्र साधन उपलब्ध नहीं हैं, आदिवासी क्षेत्र है ऊपर जंगल है वहां पानी भी नहीं रूकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एक तो मलकुही गांव है,जहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। वहां गर्मियों में जलस्तर गर्मियों में बहुत नीचे चला जाता है, वहां स्टापडेम की व्यवस्था की जाये। एक हांडीकाट गांव है, वहां भी एक छोटा सा स्टाप डेम या बांध बनाया जाए, इसके अलावा खापा और महगुंवा ऐसे चार गांव हैं जहां जल की आवश्यकता है। मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी से मिला भी था और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है और इसके अलावा भी मध्यप्रदेश में और भी अच्छी योजनाएं जो जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित हैं और उसका परिणाम है कि विगत दो वर्षों से कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला है, वह पुरस्कार भी हमें सिंचाई के कारण ही मिला है। नरसिंहपुर जिला लगभग 80 से 90 प्रतिशत जिला सिंचित है। एनव्हीडीए और जल संसाधन विभाग के कारण ही हमारा पूरा जिला सिंचित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद्।

श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना (मऊगंज) :- माननीय सभापति जी आपने बोलने का अवसर दिया हम इसके लिये आभारी है। मैं सीधे अपने जिले मऊगंज जो रीवा जिले में आता है, वहां जाता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारा मऊगंज विधान सभा क्षेत्र मध्यप्रदेश का सबसे टफ क्षेत्र हैं, वहां पर सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या है। वहां पर जब 700-800 फीट बोर होता है, तब जाकर पीने के लिये पानी उपलब्ध हो पाता है। लेकिन आपको मालूम हो की हमारे जिले में बाण सागर परियोजना संचालित है।

उसका पानी सीधी जिले से होकर उत्तर प्रदेश और बिहार को देना प्रस्तावित है और जहां से बिहार और उत्तर प्रदेश को पानी जाएगा ठीक उसी कार्नर पर मेरा विधान सभा क्षेत्र है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र को उसका पानी नहीं मिल रहा है जिसकी जानकारी मैंने माननीय मंत्री जी को इस विभाग के प्रमुख सचिव को दिया था तो उन्होंने कहा था कि उसका पानी मिलना असंभव है क्योंकि आपकी केंद्र की सरकार से बजट नहीं मिल रहा लेकिन जैसा हमारे भाई रजनीश ने बोला कि अब तो दोनों पहिये आपके हैं. केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी. कहने की बात ही नहीं है मैं चाहता हूं मंत्री जी आपको मालुम है कि आपकी कृपा हो जाएगी तो केंद्र सरकार आपकी हो गई है मेरे भी विधान सभा क्षेत्र को बाणसागर का पानी लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से दिया जा सकता है. दूसरी बात गुढ और मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजनाएं संचालितथीं लेकिन पता नहीं किस कारण से बहुती के नाम से यह योजना संचालित की गईं. इसमें करोडों का नुकसान हुआ लेकिन कोई बात नहीं जैसा भी हुआ यह आपकी व्यवस्थाएं हैं. इस योजना को भी मेरे विधान सभा क्षेत्र, हनुमना क्षेत्र में पहुंचाया जास कती है जिससे हमारे क्षेत्र को भरपूर पानी मिल सकता है. मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए एक गोरमा बांध मेरे विधान सभा क्षेत्र में संचालित हैं जिसमें तीन-चार जल संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं. पहले कुछ बजट दिया जाता था जिसके माध्यम से जो नहरें संचालित हैं उन नहरों में रोड बन जाती थी नाली बन जाती थी जिसके कारण आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जाती थी लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि अब अध्यक्षों को पानी नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण थोड़ी सी भी बरसात होने पर आवागमन की बहुत असुविधा हो रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गोरमा जलाशय जल संस्थान में जो राशि पहले जाती थी इसका भी थोड़ा ध्यान रखें और मऊगंज विधान सभा क्षेत्र का भी ध्यान रखते हुए आपने मुझे बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

(4.47 बजे) **अध्यक्ष महोदय(डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

श्री राजेश यादव (गरोठ) – माननीय अध्यक्ष महोदय, बधाई आपको मुझे सुनने के लिये आप स्वयं उपस्थित हुए. माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा प्रस्तावना की आवश्यक्ता नहीं है. सभी पूर्व साथियों ने सरकार की योजनाओं पर गंभीरता से प्रकाश डाला है. चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री, माननीय कृषि मंत्री जी ने और उनके मंत्रिमण्डल ने जो योजनाएं बनाईं जिसके कारण हमारा कृषि का रकबा चार गुना हुआ और जिसके कारण हमारे प्रदेश को 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला. मैं सीधे-सीधे अपने क्षेत्र पर आना चाहता हूं. हमारे यहां पिछले दस वर्षों में चालीस सिंचाई के तालाब निर्मित हुए उनमें दो तालाबों पर नाला क्लोजर नहीं होने के कारण अभी तक वे जनता के उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं. एक नावली और गोवर्धनपुरा. 15 तालाबों की नहरों का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है. माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से अपना ध्यान उस पर देंगे. 3 उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं रामनगर,गणेशपुरा और

सुजानपुरा. जो माननीय पटवा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में स्वीकृत हुई थीं उनमें काफी कुछ काम पूर्ण भी हो गया है. मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनके शेष कार्य को पूर्ण करवाएं ताकि वे योजनाएं भी आम जनता के उपयोग में आ सकें. एक परासली तालाब का भी निर्माण हुआ था जिससे गरोठ क्षेत्र का काफी बड़ा भूभाग आज सिंचित हो रहा है लेकिन उसके बेकवाटर के कारण एक गांव का संपर्क बरसात के दिनों में समस्त मुख्यालयों से टूट जाता है. माननीय मंत्री महोदय उस गांव के पहुंच मार्ग के लिये एक पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, भानपुरा नहर के नाम से एक बड़ी योजना क्षेत्र में संचालित हुई है उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जल संसाधन मंत्री को मैं बधाई देना चाहूंगा. एक इंदरगढ़ बहुत बड़ा जलाशय है इसके भूमिपूजन का कार्यक्रम माननीय पटवा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था, उसकी नहरें जीर्ण-शीर्ण होकर उनके सुदृढ़ीकरण तथा उनकी लाईनिंग का काम मंत्री जी ध्यान में रखेंगे जितनी भी सर्वेक्षित योजनाएं हैं कालाकोट, मोतीपुरा इत्यादि हैं उन पर मंत्री का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा हमारे यहां पर गांधी सागर सब डिवीजन में भानपुर एवं गरूड़ दो सब डिवीजन बंद कर दिये गये हैं उससे काफी कार्य सिंचाई विभाग का सफर हो रहा है इन दोनों सब डिवीजन को पुनः प्रारंभ किया जाये. गांधी सागर बांध जब बना था तब उस समय के विस्थापितों आज के नार्मस् के हिसाब मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार पुनः उन गांवों का सर्वेक्षण कर जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अभी तक उन ग्रामवासियों को प्राप्त नहीं हुई हैं उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये निर्देश देंगे. आपका धन्यवाद जयहिन्द.

श्री रामपाल सिंह(ब्यौहारी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यौहारी विधान सभा में जल संसाधन के नये आयाम का उल्लेख करना चाहूंगा. बाण सागर परियोजना शहडोल जिले में स्थित है, किन्तु आज बाण सागर परियोजना का पानी बिहार, उत्तरप्रदेश की कई जगहों को लाभ दिया जा रहा है, जबकि शहडोल जिले के ब्यौहारी विधान सभा के लिये कई गांव सिंचित कर वहां के किसानों को खुशहाल कर सकते हैं, स्वच्छ पेयजल हेतु फिलट्रेशन कर ब्यौहारी के आसपास के गांवों को जैसे बुड़वाह, सपटा, निपनिया, जमनी, फन्नी, जहां के किसानों को पानी पहुंचाया जा सकता है पपांध एरिया जो कि ब्यौहारी विधान सभा का पश्चिमी एरिया है वहां

पर लिफ्ट के माध्यम से और बहुत कम लागत से बड़ी आसानी से किसानों को सिंचाई के लिये एवं स्वच्छ पेयजल हेतु व्यवस्था की जा सकती है, किन्तु इसका बजट में जिक्र नहीं है मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाण सागर परियोजना का पानी ब्यौहारी विधान सभा में सिंचाई एवं स्वच्छ पेयजल हेतु प्रावधान होना चाहिये. बुड़वाई इलाके में ब्यौहारी विधान सभा में नहरों की स्थिति भी काफी जर्जर है तथा उसमें सीपेज हैं. मैं चाहूंगा उन नहरों के मरम्मत का कार्य त्वरित गति से होना चाहिये. बाण सागर के डेम बनने से जो सबसे गंभीर समस्या आयी है जिसके कारण लोग विस्थापित हुए हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना चाहिये चूंकि वहां पर यह स्थिति बन चुकी है कि जो गरीब लोग हैं वह भूखो मरने की कगार में पहुंच चुके हैं. मेरी विधान सभा में अन्य छोटी नदिया हैं जैसे बनास नदी, उदारी नदी इनमें भी लिफ्ट बैठाया जा सकता है और उसमें लिफ्ट के बैठ जाने से काफी रकबे में सिंचाई की जा सकती है और किसानों को समुचित लाभ प्राप्त हो सकता है. हमारे वरिष्ठ सदस्य मुकेश नायक जी ने अपनी बात बुंदेलखंड पैकेज में भ्रष्टाचार के बारे में रखी मैं उस पर ज्यादा जिक्र न करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बुंदेलखंड के लिये पैकेज बना है उसी तरह से विन्ध्य रीजन में भी विन्ध्य पैकेज का उल्लेख होना चाहिये और उसको बजट में शामिल करना चाहिये इसी के साथ आपका धन्यवाद.

श्रीमती चन्दा गौर (खरगापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 6, 7, 23, 31, 40, 45, 57. 60 एवं 61 का विरोध करता हूं कटौती प्रस्तावों का समर्थन करती हूं. बुंदेलखंड पैकेज के तहत टीकमगढ़ जिले में हुई अनियमितताओं का सदन में जिक्र करूंगी तो बहुत लंबा समय हो जायेगा और चर्चा पूरी नहीं हो सकती, जो बुंदेलखंड पैकेज के तहत स्टाप-डेम का निर्माण कराया गया है उसमें फाटकों की व्यवस्था नहीं की गई है. माननीय अध्यक्ष महोदय,यदि उन स्टाप डैमों में फाटक लग जाते,तो इस बात का भेद खुलने की आशंका के साथ प्रश्नचिन्ह लग

जाता कि स्टाप डैमों में पानी नहीं रहता, जिससे निर्माण ऐजेन्सी एवं अधिकारी कहते हैं कि इन स्टाप डैमों में फाटक न होने के कारण पानी नहीं है, नहीं तो बहुत पानी भरा होता, इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन स्टाप डैमों में फाटक नहीं है, उन स्टाप डैमों में फाटक होने की व्यवस्था कराई जाये, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, जिससे किसानों को खेति हेतु पानी मिल सके तथा जानवरों को भी पीने हेतु पानी मिल सके.

माननीय अध्यक्ष महोदय, टीकमगढ़ जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा जितने भी स्टाप डैम बनाये गये हैं, वह सभी अनुपयोगी सिद्ध हो रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र की सीमा के किनारे से बहने वाली धसान नदी पर बने स्टाप डैम आज भी अधूरी स्थिति में हैं, साथ ही जतारा जनपद के वैदपुर गांव में जो इस प्रकार के स्टाप डैम निर्माण कराये गये हैं, जो स्टाप डैम बनकर पूर्ण हो चुके हैं राशि निकाल ली गई है, परंतु निर्माण कहां हुआ है, कोई भी निशान नहीं है, जो जांच का भी विषय है, इन सब बातों का जिक्र बजट में नहीं आया है एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में धसान नदी एवं उर नदी पर स्टाप डैम बनाये जाने का प्रावधान करें.

माननीय अध्यक्ष महोदय, टीकमगढ़ जिले में खास तौर पर मेरी विधान सभा खरगापुर के तालाब ग्वालसागर बल्देवगढ़ से दो लघु नहरें निकाली गई हैं, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के निर्माण कार्य में लापरवाही करते हुए घटिया एवं गुणवत्ताहीन निर्माण कराया गया है, जिसमें शासन की राशि का दुरूपयोग भी हो गया है, साथ ही नहर के अंतिम छोर ग्राम बलवंतपुरा एवं सुजानपुरा तक पानी नहीं पहुंच रहा है, किसान आज भी परेशान हैं, इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त लघु नहर का एस्टीमेट बढ़वा कर आगे अच्छे किस्म का निर्माण करवाया जाये, साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में और भी लघु नहरें हैं, जिनको मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत करा दूंगी, जिससे उनका भी निर्माण हो सके. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपे मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री भारत सिंह कुशवाह (ग्वालियर-ग्रामीण)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगं का समर्थन करता हूं, साथ ही अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति में यदि उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तो इसमें जल संसाधन विभाग के कार्यों को प्राथमिकता देने से हुआ है. इस

उल्लेखनीय कार्य के लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा, साथ ही मध्यप्रदेश की सरकार ने जल संसाधन विभाग ने जो कार्य किया है, उसकी वजह से आज मध्यप्रदेश सरकार को दूसरी बार कृषि कर्मण ाुा पुरस्कार प्राप्त हुआ है . माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में मैं अपने क्षेत्र की दो प्रमुख मांगें हैं, उनके लिये माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 14 के अंतर्गत मुरार विधान सभा में पिकअप वियर जडेरूआ बांध से निकली रमौआ बेंहटा नहर के शुद्धिकरण कार्य की स्वीकृति यदि माननीय मंत्री जी द्वारा दी जाती है, तो क्षेत्र के किसानों का भला होगा, दूसरी माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि वीरपुर बांध में जो पानी का भराव होना चाहिये, वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, इसके लिये भी माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षतिग्रस्त नहरों के शुद्धिकरण के लिये माननीय मंत्री जी स्वीकृति देने की कृपा करें और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय--आज की कार्यसूचि के पद 5 (2) में उल्लेखित मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ?

(सदन के द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री वैलसिंह भूरिया (सरदारपुर)-- अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं. जब इस देश के अंदर हमारे परम् सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, परम् सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था और उन्होंने इस देश की हर नदी को जोड़ने की योजना बनाई..

अध्यक्ष महोदय -- कृपया अपने क्षेत्र की बात करके अपनी बात समाप्त करें.

श्री वैलसिंह भूरिया -- अध्यक्ष महोदय, इस देश की नदियों को जोड़ने की योजना ही नहीं, हर नाले के ऊपर डेम बनाने की योजना का काम अटल जी ने किया. उनके सपने को पूरा करने के लिये हमारे प्रदेश के लाड़ले मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं. मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिये हमारे मुख्यमंत्री जी की थोड़ी सी तारीफ करते हुए मेरे जिले की समस्या बताऊंगा.

अध्यक्ष महोदय -- आप तो जिले या क्षेत्र की समस्या बतायें.

श्री वैलसिंह भूरिया -- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा दिनांक 12.4.2013 को अटल ज्योति के अंतर्गत 24 घण्टे बिजली की घोषणा की गयी थी, और उसी दिन पूरे मध्यप्रदेश में 24 घण्टे बिजली देने की बात कही गयी थी, उसी समय हमारे धार जिले के सरदारपुर विधान सभा में 12.4.2013 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गयी थी. हमारा सरदारपुर विधान सभा धार और झाबुआ के बीच में है. वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी एरिया है. उस क्षेत्र में बड़े बड़े नदियां और नाले बहकर जाते हैं, लेकिन वहां पर पानी बिलकुल नहीं रुकता है. मुख्यमंत्री जी के द्वारा चुनार बांध परियोजना की घोषणा की गयी थी, उसके बाद रिंगनोद जलाशय की घोषणा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय बाबूलाल गौर जी के द्वारा भी की गयी थी और माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा भी की गयी. उसके बाद इडरिया डाडूर नरसू वाला नाले पर जलाशय बनाने की घोषणा भी की गयी. अम्बेड़ी- बाटियाबड़ी जलाशय बनाने की भी घोषणा की गयी. यह पांच घोषणाओं में से अम्बेड़ी बाटियाबड़ी जलाश्य के सर्वेक्षण का कार्य निरन्तर चल रहा है. उसके लिये मुख्यमंत्री जी एवं विभाग के मंत्री, मलैया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं.

अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि 5 घोषणाओं में से एक घोषणा के सर्वेक्षमणका कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है, उसी प्रकार से रिंगनोद जलाशय, चुनार बांध जलाशय और पोसिया जलाशय, उसके बाद नरसूवाला नाला जलाशय का सर्वेक्षण का कार्य जल्दी से किया जाय, ताकि उस क्षेत्र की जनता और किसानों को राहत मिल सके और प्रगति के रास्ते पर क्षेत्र की जनता और किसान चल सकें. हमारे उस क्षेत्र में माही उप बांध है और काली कराई डेम है. माही उप बांध और काली कराई डेम हमारे सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र में है, लेकिन माही उप बांध एवं माही मुख्य बांध का सरदारपुर विधान सभा के किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है. फायदा पेटलावद एवं बदनावर क्षेत्र को हो रहा है. मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर्याप्त मात्रा में पानी है. माही मुख्य बांध से पानी लिफ्ट करके राजगढ़ क्षेत्र में और दत्तीगांव क्षेत्र में दिया जाय, तो उस क्षेत्र के किसानों को बहुत फायदा होगा. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय -- श्री कमलेश्वर पटेल. कृपया सिर्फ विषय पर बोलेंगे.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिंहावल)-- अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहेंगे. जब सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं, तो वह कृषि कर्मण अवार्ड से शुरु करते हैं और सारी बात कर ले जाते हैं. जब हम लोग अपनी बात रखने के लिये खड़े होते हैं..

अध्यक्ष महोदय -- उनको भी रोकते और टोकते हैं. ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं रोकते. आप क्षेत्र की बात करें.

श्री कमलेश्वर पटेल -- अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी आदरणीय देवेन्द्र वर्मा जी, सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी. जय जवान, जय किसान से शुरुआत की थी. तो उनको यह भी बताना चाहिये था कि यह किसने नारा दिया था.

श्रीमती ललिता यादव -- नारा किसी ने भी दिया था, काम तो भाजपा की सरकार ने किया.

श्री कमलेश्वर पटेल -- अध्यक्ष महोदय, बजट की मांगों पर चर्चा चल रही है उस पर तो सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बोला ही नहीं गया.

अध्यक्ष महोदय-- क्या आपने यह तय किया है कि कभी भी विषय पर नहीं बोलेंगे.

श्री कमलेश्वर पटेल --अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य ने जो कहा है आप तो उस पर बोल रहे हैं. विषय पर नहीं बोल रहे हैं इससे दूसरे सदस्यों का समय भी खराब होता है.

श्री कमलेश्वर पटेल --अध्यक्ष जी मैं विषय पर ही बात कर रहा हूं. अध्यक्ष जी, मध्यप्रदेश में पहले जितने भी स्टाप डेम हों, नहर परियोजनायें हों, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ यह जरूर है कि कृषि कर्मण अवार्ड के लिये फर्जी डाटॉ शामिल नहीं किया गया यह जरूर कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था. अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार मध्यप्रदेश में थी उस समय भी बहुत सारे विकास के काम हुये हैं. यह कहना कि 10 साल में ही सारा विकास हो गया, सब कुछ हो गया यह अनुचित है.

अध्यक्ष महोदय, आज बात हो रही थी नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना को लिंक करने की, यह सच बात है कि अगर नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना सही ढंग से लागू हो जायेगी तो किसानों को और जनता को फायदा मिलेगा . पर मेरा मानना है कि क्षिप्रा नदी धार्मिक आस्था का प्रतीक है. महाकुंभ का वहां पर मेला लगता है और उसमें पूरे देश के श्रृद्धालू एकत्रित होते है . क्या क्षिप्रा नदी का अस्तित्व बचा रहेगा ? यह एक चिंता का विषय है इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है बाकी यह सदन और सरकार की जो इच्छा हो, हम सबको तो सरकार के साथ में चलना ही पडेगा क्योंकि संख्या बल में हम कम हैं और विपक्ष के सदस्य हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा जो बजट मांग पर चर्चा के दौरान हमें अपनी बात करने का अवसर प्रदान किया गया है तो मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि हमारे यहां बाणसागर परियोजना संचालित है. कई वर्षों से इसमें काम चल रहा है. बाणसागर परियोजना की हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय की बुनियाद है, इस बीच में केन्द्र सरकार ने भी जितनी नहर परियोजनायें या जल संसाधन विभाग को बहुत सारा अनुदान पिछली सरकार के द्वारा दिया गया है परंतु दुर्भाग्य है कि उस बात का जिक्र यहां पर नहीं होता है. यह जिक्र होता है कि सारा अपने आप हो रहा है, मध्यप्रदेश सरकार ने सारा किया है. मंत्री जी से अनुरोध है कि मंत्री जी जब अपनी बात सदन में रखेंगे तो इस बात का जिक्र करेंगे कि पूर्व में 10 साल में जो केन्द्र में यूपीए की सरकार थी उस सरकार के द्वारा कितनी राशि मध्यप्रदेश को जल संसाधन विभाग के लिये दी गई.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिये यहां पर कह रहा हूं कि हमारे सत्ता पक्ष के साथी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं. इसी चर्चा में हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि भू माफियाओं के द्वारा पूरा भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उद्योगपतियों को भूमि दी जा रही है, तो कम से कम कृषि भूमि तो नहीं दी जानी चाहिये.

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो बाणसागर नहर परियोजना का अधूरा काम चल रहा है उस काम को जल्दी से किया जाये. क्योंकि काम में विलंब होने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. नहरें फूट जाती हैं, माइनर नहरों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया

है, बाणसागर नहर परियोजना जो सिंहावल विधानसभा क्षेत्र में भी संचालित है तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस परियोजना पर विशेष ध्यान दें .

माननीय अध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश में जल संसाधन विभाग में जो नहरों का चुनाव हुआ है उसके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मानदेय देने का प्रावधान नही है. इसका बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है . अगर बजट में प्रावधान कर लेंगे तो थोड़ा सा वे भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे थोड़ा बहुत अगर उनको मिलता रहेगा तो वे किसानों के लिये चिंतित रहेगे, ऐसा हमारा मानना है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास में वित्त मंत्रालय भी है. मेरी समस्या किसानों से संबंधित है. माननीय मंत्री जी द्वारा वेट टैक्स घटाने की बात की गई है . उन कृषि यंत्रों पर वेट टैक्स घटाने की बात की गई जो साल दो साल या तीन साल में किसान एक बार लेता है. इससे किसान को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, परंतु जो किसान के जीवन की दिनचर्या से संबंधित जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन मंत्री जी कृपया इन पर वेट टैक्स घटाने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया है . मंत्री जी इस पर अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया उसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री कुंवर सिंह टेकाम(धौहनी)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी और माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को सिंचाई के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं, उसके लिए बधाई देता हूं.

अध्यक्ष महोदय, चूंकि पूरी बातें आ चुकी हैं. इसलिए मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं. हमारे यहां गोपद उद्वहन सिंचाई योजना है. वह पिछले साल संचालित नहीं हुई क्योंकि उसमें जो 6 पंप लगे थे, वह खराब हो गये और उनकी मरम्मत नहीं हुई. नहर बिलकुल जीर्ण-शीर्ण है. वहां पानी लिफ्ट करने के लिए जो इंटक वेल है वहां बालू आ जाती है जिससे सिंचाई नहीं हो पाती है. उससे लगभग 8 हजार हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है. मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उसका ठीक से सर्वेक्षण, जांच करा कर यदि उस लिफ्ट योजना का संचालन शुरु करा दें तो वहां के लोगों को फायदा होगा. मेरा विश्वास है कि इसको माननीय मंत्रीजी गंभीरता से लेंगे.

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मेरे यहां बरचर और बकिया दो बांध हैं, उनकी नहरें क्षतिग्रस्त हैं. मैंने कई बार पत्र के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से और मैं व्यक्तिगत भी मिला लेकिन अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हुई जिससे स्वीकृत सिंचाई क्षमता का दोहन नहीं हो पा रहा है. मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इन नहरों की मरम्मत करा दें.

अध्यक्ष महोदय, RRR (ट्रिपल आर) के माध्यम से हमारे यहां कई बांध हैं. उनका काम तो चल रहा है लेकिन इनमें भी ट्रिपल आर के माध्यम से इसको पक्का करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी.

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां छोटे छोटे नालों से एनीकट के माध्यम से गांव वाले सिंचाई करते हैं. वह अपनी नहर बनाकर ले जा रहे हैं. वह लगभग 40 से ज्यादा नहरें हैं मेरा आग्रह है सिंचाई विभाग के माध्यम से मनरेगा के माध्यम से जैसे भी हो यदि वहां नहरें बन जायें तो उसकी सिंचाई क्षमता में और वृद्धि होगी जिससे किसानों को लाभ होगा.

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बेलहा टेंक, सेहरा बांध और गुलाब सागर बांध हैं इन तीनों में पानी नहीं भर पाता. इतनी कम बारिश होने से ये भर नहीं पाते हैं. अभी गुलाब सागर सेकंड फेज़

परियोजना प्रस्तावित थी वह भी अधर में लटक गया. वहां मबई नदी है उसका पानी सेहरा बांध और वेलहा टेंक के साथ साथ गुलाब सागर में डाल दें तो इससे 30 हजार हेक्टर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी. प्रमुख सचिव ने भी इस स्थल को देखा है लेकिन वह बता रहे थे संजय टाईगर प्रोजेक्ट का क्षेत्र आता है, इसलिए साध्यता की दिक्कत नहीं होगी. मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि यदि इस पर पहल करेंगे तो यह 200-300 करोड़ रुपये में बन जायेगा और इससे कम से कम 40 हजार हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता निर्मित हो पायेगी और वेलहा टेंक, सेहरा बांध और गुलाब सागर बांध में पानी आ सकेगा.

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से साजापानी,गीड़ा और धुपखड़ में अटल सरोवर बांध बनाये जा रहे हैं लेकिन वह 3 साल से भी अधिक समय से अधूरे पड़े हैं. इनका भी परीक्षण कराकर पूर्ण करायें. इससे भी कम से कम 1 हजार एकड़ अतिरिक्त सिंचाई होगी. इसी तरह से मेरे यहां भी बहुत जीवित नदी-नाले हैं जिनमें एनीकट के माध्यम से, डायवर्शन के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ायी जा सकती है उनका भी सर्वे कराने की कृपा करेंगे. धन्यवाद.

श्री हरदीप सिंह डंग(सुवासरा)-- अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी विधानसभा के बारे में चर्चा करना चाहता हूं. अभी वर्तमान में नदी से नदी जोड़ने का काम चल रहा है. हमारे सुवासरा विधानसभा में सीतामऊ के पास एक लदुना तालाब है जिसका जनभागीदारी से बहुत गहरीकरण कर चुके हैं. उसमें पानी की आवक के लिए मोहजिर माता जो 6 किलोमीटर दूर है, उसमें पानी की बहुत मात्रा रहती है. अगर मोहजिर माता से लदुना तालाब के लिए 6-7 किलोमीटर का नाला जैसा बनाकर पानी लाया जाता है तो वहां की हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है और किसानों को फायदा हो सकता है.

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मेरियाखेड़ी जो चंबल नदी पर स्थित है. अगर उस पर बड़ा डेम बन जाता है तो हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है. बाकली और बंजारी ये दो बड़े तालाब, स्टाप डेम बनने की जगह है वहां पर भी सर्वे किया जाये तो वहां पर तालाब और बांध बन सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय, बसई में चंबल नदी पर लिफ्ट इरीगेशन बनी हुई है उसके लिए इंजन-मोटर आ चुके हैं लेकिन वहां पर इरीगेशन का काम अभी तक चालू नहीं हो पाया है.

ऐसे ही रणायरा में , जो सिंचाई का काम चलता था उसको बंद कर दिया गया है. भगोर सिंचाई योजना चालू होने की स्थिति में है इसमें केवल बटन दब जाय तो वहां पर सिंचाई का काम चालू हो सकता है. यह तीनों सिंचाई योजनाएं बहुत बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं इनको भी चालू किया जाय.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि देवरिया तालाब जहां पर बना था वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग को जो पट्टे दिये गये थे वह जमीन उनकी डूब क्षेत्र में चली गई है. वहां पर उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है. वह एसडीएम साहब कलेक्टर साहब सभी से मिल लिये हैं लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है. जबकि उनके द्वारा वहां पर कुआं खुदाई और खर्चा भी कर चुके थे आज वहां पर बहुत संकट पैदा हो गया है. सबसे बड़ी बात है कि वहां पर कोटेश्वर बांध भरतपुरा और कराडिया जो योजना दी है उसके लिए मैं विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं. बार बार यहां पर कहा गया है कि बहुत अच्छा काम हुआ है तो मेरा भी कहना है कि अच्छा काम हुआ है लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री जी केन्द्र सरकार के पास में पैसा मांगने के लिए गये थे, वे एक रूपया मांगने के लिए गये थे तो केन्द्र सरकार ने मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उनको 5 रूपये दिये हैं. यह आज उनके ही विकास की देन है. बहादुर सिंह जी कह रहे थे कि जिनके पास में पहले मोटर सायकिल थी आज वह फोर व्हीलर पर हैं. यह सब जो आज उन्नति आप देख रहे हैं. यह केन्द्र सरकार की योजना है, धान का रेट जो कि केन्द्र सरकार ने दिया है जिसके लिए

मध्यप्रदेश के नागरिक गर्व से कह सकते हैं कि यहां पर किसान मजबूत है. मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद् देना चाहता हूं कि जो भी यहां मध्यप्रदेश में दी है, एक बात और यहां पर है कि जब कोई योजना लागू नहीं होती है तो मनमोहन सिंह सरकार को दोष देते थे और जब कोई योजना लागू हो जाती थी तो यहां पर शिवराज सिंह जी चौहान का नाम लिया जाता था. अब तो नरेन्द्र मोदी जी आ गये हैं अब देखते हैं कि वह किसका नाम लेते हैं. अब तो दोनों का नाम लेना होगा लेकिन अगर पहले से पूर्व प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी का नाम लेते तो अच्छा होता आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद्.

श्री ओमकारसिंह मरकाम (डिंडौरी) – माननीय अध्यक्ष महदोय, मै आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग में जिस तरह से सिंचाई और जल संसाधन की बात कह रहे हैं. मैं अमरकंटक क्षेत्र से आता हूं नर्मदा जी का उद्गम स्थल है , मां नर्मदा की सत्यता के साथ में कुछ बात सदन में कहना चाहता हूं कि यहां पर जो आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं वह पूर्ण रूप से असत्य हैं. डिंडौरी में विकास कार्य के लिए जो काम किया है. मैं पूछना चाहता हूं कि जिस भी किसान का नाम इन्होंने लिया है कि इतने किसान इन्होंने सिंचित करके दिये हैं उसके लिए ईमानदारी के साथ भोपाल से अगर किसी अधिकारी को भेजकर उन किसानों से मिल लेंगे तो सच्चाई सामने आ जायेगी. कचनारी डायवर्सन का कोई औचित्य का नहीं है. पिण्डरूखी डायवर्सन का कोई औचित्य का नहीं है, बिलाईखार के बांध में एक एकड़ भी सिंचित नहीं हुआ है वहां पर जो एसडीओ थे वह ई ई बनकर चले गये हैं. करोंदा जलाशय में एक एकड़ भी सिंचाई नहीं हुई है. वहां पर जो एसडीओ थे वह भी ई ई बनकर चले गये हैं. वहां पर पहले से कोई नहर नहीं है तो वहां परनहर निर्माण के लिए जिला सेक्टर से नरेगा से पैसा लेकर के काम कर रहे थे तो माननीय जुलानिया जी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और खुद पैसे दिये नहीं और जिले के अधिकारियों को पैसा खर्च नहीं करने दे

रहे हैं हमारे पास में आईएपी है, नरेगा है,बीआरजीएफ है हमारी भी निधि है जहां से हम थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकतेहैं लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया है. यदि वहां से नहीं दे रहे हैं तो जिले से पैसा दें. हम जुलानिया जी से मंत्रालय में मिलने के लिए जाते हैं तो विधायकों को मिलने का समय नहीं दिया जाता है. यह कहा जाता है कि आप तो विधायक हैं तो हम तो आपसे मिल लिये. मेरे साथ मेंघटना हुई तो मैंने कहा कि हम हमारे क्षेत्र की सिंचाई केबारे में बात करने के लिए आये हैं आपसे निवेदन करना चाहता हैं मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया था लेकिन वहां पर...

अध्यक्ष महोदय, मैंने विनम्र निवेदन किया. परन्तु जो सिंचाई के लिए वहां पर जल है, उसको खेत तक नहीं पहुंचा रहे हैं. उसके एवज में जो अधिकारी हैं, उनको पदोन्नत करके ईई बना दिया है. मुझे इस बात की खुशी है कि डिण्डोरी जिले में जो ईई साहब थे, जब मैं वहां यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वर्तमान में वे ई एन सी साहब हैं. इसके बाद उस जिले का यह दर्द है तो बाकी जगह के लिए क्या कल्पना कर सकते हैं? मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि डिण्डोरी जिले के लिए कम से कम माननीय मंत्री जी का वह सत्यता का शब्द निकल आए जो वास्तविक वहां पर है. मैं आपसे कृपापूर्वक उस शब्द का इंतजार करते हुए इस सदन में सुनना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का वह सत्यता का शब्द जरूर आए.

श्री बाला बच्चन - अध्यक्ष महोदय, आज रेल बजट पास हुआ है, मध्यप्रदेश की जनता ने केन्द्र सरकार को 27 कमल दिये. मध्यप्रदेश के लिए कुछ भी नहीं मिला है?

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) - अध्यक्ष महोदय, भारत की राजनीति के इतिहास में इतना बेहतरीन बजट आज तक कभी नहीं आया है. (मेजों की थपथपाहट)..बहुत-बहुत बधाई, माननीय रेल मंत्री जी को भी और हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को इस सदन के माध्यम से बहुत-बहुत बधाई.

(व्यवधान)..

श्री बाला बच्चन - मध्यप्रदेश को पूरा निराश किया है. 27 कमल मध्यप्रदेश की जनता ने केन्द्र सरकार को दिये हैं.

श्री रामनिवास रावत - ग्वालियर और कोटा रेल लाईन के लिए भी पैसे का आवंटन नहीं दिया है.

अध्यक्ष महोदय - कृपया बैठ जायं, विषय पूरा होने दें.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया) - अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त 23 सम्मानीय विधायकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं जो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - 23 विधायकों के साथ में हमारी भाभी जी का भी धन्यवाद दे दें, वे आपका भाषण सुनने आई हैं.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, वक्ताओं से ज्यादा श्रोताओं का महत्व होता है. (हंसी)..

डॉ. नरोत्तम मिश्रा - उनको छोड़कर आप किसी को धन्यवाद दिलवा दो.

श्री जयंत मलैया - अध्यक्ष महोदय, माननीय मुकेश नायक जी ने बुन्देलखण्ड पैकेज की बात करते हुए बुन्देलखण्ड पैकेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में, अनियमितताओं के बारे में चर्चा की है और जो दस्तावेज उन्होंने पटल पर रखे हैं, मैं उसकी जांच की घोषणा करता हूं, उसकी जांच होगी. (मेजों की थपथपाहट)..अगर अनियमितताएं कहीं भी है, भ्रष्टाचार कहीं भी है. बहुत काम चल रहे हैं, सारी जगह काम चल रहे हैं. अगर कुछ है तो वह उजागर होना चाहिए. जो व्यक्ति दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. वे सजा पाएंगे. (मेजों की थपथपाहट)..कल मैं यहां से सर्टिफाईड कापी निकलवा लूंगा, जो यहां पर डाक्यूमेंट्स दिये गये हैं और उसके आधार पर निर्देशित करके इसकी जांच कराऊंगा. अध्यक्ष महोदय, हमारे श्री रामनिवास रावत जी ने सही बातें कहीं कि वर्ष 2012-13 में जो वाणिज्यिक कर में वृद्धि थी, वर्ष 2013-14 में वृद्धि तो हुई है परन्तु उतनी वृद्धि नहीं हुई है. यह बात सही है. आप भारत सरकार के उसी दौरान के आंकड़ें निकालकर देखना, आपको आश्चर्य होगा और इस मामले में यह बिल्कुल काबिलेतारीफ है कि जब हमने यहां इतनी वृद्धि की तो वहां भारत सरकार की वृद्धि नगण्य थी. कोई वृद्धि वहां नहीं थी. पंजीयन की

बात भी आपने कही. आपको सही पता भी है कि सारे देश में रियल्ट स्लेट स्टेट में स्टेगनेशन है , डाउनवर्ड ट्रेंड है. उसके कारण सब जगह रजिस्ट्रियों में कमी आई और उसके बाद हमने अपने आपको गियर-अप करने की कोशिश की. मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं बटन बाद में आप दबाना. अध्यक्ष महोदय, राजस्व में वृद्धि के जो कदम उठाए हैं, इससे वर्तमान वर्ष 2014-15 के पहले क्वार्टर में 26.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ जिलों में, हमारे श्योपुर जिले की बात ले लें तो कुछ किसान अपनी जमीन प्लाट में बेचना चाहते हैं, वह बिना डायवर्सन के नहीं बिक रही है, इसलिए भी नामवार रजिस्ट्रियों में कमी आई है और राजस्व में कमी आई है. कई जिलों में की जा रही है, लेकिन कई जिलों में नहीं की जा रही है.

श्री जयंत मलैया - इस वर्ष में बढ़ोतरी हो रही है

श्री रामनिवास रावत - इसके स्पष्ट निर्देश दे दें कि लोग रजिस्ट्रियां कराएं, जिसको बनाना होगा वह डायवर्सन कराकर बना लेगा.

श्री जयंत मलैया - अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विभागों के बारे में चर्चा करूंगा. अध्यक्ष महोदय,वाणिज्य कर के बारे में निवेदन करना है कि वर्ष 2012-13 में वैट और केन्द्रीय विधान के अंतर्गत रूपये 14944.98 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था और 2013-14 में वैट तथा केन्द्रीय विधान के अंतर्गत रूपया 16757.31 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है . इस तरीके से 12. 12 प्रतिशत की वृद्धि हमारे वाणिज्यिक कर में हुई है. उसी प्रकार से हमारे यहां प्रवेश कर में वृद्धि हुई है और जो सर्विस टैक्स है उसमें भी वृद्धि हुई है और इन सभी में लगभग 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है. हमने इस वर्ष व्यापारियों के लिए स्व-कर निर्धारण की सुविधाएं भी दी है. छोटे व्यापारियों के लिए अधिकाधिक स्वकर निर्धारण की सुविधा प्रदान की गई है. वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए 4 लाख 80 हजार 675 कर निर्धारित प्रकरणों में से 2 लाख 97 हजार 593 प्रकरणों में स्व-कर निर्धारण के अंतर्गत

विनिर्मित किए गए हैं. इस प्रकार 61.91 प्रतिशत प्रकरणों में स्व-कर निर्धारण किया गया है. डीम्ड असेसमेन्ट सुविधा, शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 5.2.2014 जारी कर रूपया 10 करोड़ तक के टर्न ओवर वाले व्यवसाईयों को वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए डीम्ड असेसमेन्ट की सुविधा प्रदान की गई है. इस सुविधा के अंतर्गत व्यवसाईयों के लिए 39,949 प्रकरणों का निवर्तन किया गया है. अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के अंदर फार्म-49 को लेकर बहुत अधिक दिक्कतें आ रहीं थी और जगह जगह से हम लोगों को जो डेलीगेशन मिल रहे थे वे बता रहे थे कि फार्म 49 के अलावा और कोई इसका विकल्प दें. इसके विकल्प के रूप में हमने ई-गतिमान प्रारंभ किया है और इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं. इसके माध्यम से कोई भी व्यवसायी कभी भी मोबाईल से एस.एम.एस. के माध्मम से वैध जानकारी विभाग को भेज कर मोबाईल प्राप्त कर सकता है. ऐसे मोबाईल 5-7 रखे की स्थिति में फार्म-49 की आवश्यकता नहीं होगी.

अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग में जो हमारा आबकारी आय का लक्ष्य था वह 2013-14 में 5750 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था. इसके विरूद्ध रूपया 5908 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. जो लक्ष्य से रूपये 158 करोड़ अधिक है. अध्यक्ष महोदय, योजना –आर्थिक और सांख्यिकीय विभाग में प्रदेश में छठवें आर्थिक गणना का क्षेत्रीय 15 मई से 15 जून ,2013 के बीच सफलता पूर्वक सम्पन्न किया गया. छठवीं आर्थिक गणना के दौरान प्रदेश के वर्तमान में उद्यमों की कुल त्वरित प्रावधिक संख्या 2,94,869 प्राप्त हुई है. जोकि पांचवी आर्थिक गणना 2005 की तुलना में 20.77 प्रतिशत अधिक है. प्रदेश में् वर्ष 2013-14 में प्रचलित भावों पर प्रतिव्यक्ति आय रूपये 54030 रही है और स्थिर भावों पर 27917 रूपये प्रति आय रही है. वर्ष 2012-13 त्वरित के दौरान कृषि क्षेत्र में 20.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वर्ष 2013-14 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 22.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मध्यप्रदेश में सकल राज्य घरेलु उत्पाद में नवीन आधार पर वर्ष 2004-05 पर , वर्ष 2013-14 अग्रिम में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर 11.08 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित

रही है. जबकि यह पिछले वर्ष में 9.89 प्रतिशत थी. अध्यक्ष महोदय, मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं ,राज्य आयोग द्वारा योजना आयोग जो भारत सरकार के दृष्टिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए एवं राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के प्रस्ताव तैयार करती है , भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 हेतु रूपये 201842 करोड़ एवं वार्षिक योजना 2013-14 हेतु 35500 करोड़ की योजना सीमा अनुमोदित की है. वर्ष 2014-15 हेतु रूपया 53366 करोड़ रूपये की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के समीक्षा अनुश्रण एवं मूल्यांकन कार्य भी साथ साथ किया जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा जब हमने पिछले बार मध्यप्रदेश में विधान सभा की विशेष बैठक आहूत की थी तब उसमें बहुत सारे संकल्प लिये थे . एक संकल्प हमारा था कि हम अपने प्रदेश के 52,700 ग्रामों का मास्टर प्लान तैयार करेंगे....

मुझे यह बताते हु प्रसन्नता है कि अब हमारे यहां 52700 ग्राम में हर ग्राम का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया द्वारा ग्राम के समय एवं समावेश विकास हेतु आवश्यक गतिविधियों एवं संसाधनों का आंकलन, ग्राम द्वारा स्वयं कर ग्राम का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें गावों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बारह मासी पहुंच मार्ग, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण आहार, खाद्य सुरक्षा, सिंचाई सुविधा, पंचायत या सामुदायिक भवन, इन्टरनेट कियोस्क आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की सुनिश्चित्ता इससे तय हो सकेगी. अध्यक्ष महोदय, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन में हमने ई-रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रारंभ की है. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अंतर्गत अचल संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए ई-पारदर्शी परियोजना हमने प्रारंभ की है, इसकी 27 तारीख को हमने बैठक की थी और प्रदेश के 5 जिलों को हमने पायलट के रूप में लिया है, यह जिले उज्जैन, बालाघाट, सीहोर, टीकमगढ़ और अनूपपुर हैं. यहां पर पहले एक माह की ट्रेनिंग होगी और एक अगस्त से यह योजना इन पांच जिलों

में प्रांरभ हो जाएगी और मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष अंत तक प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. अध्यक्ष महोदय, एक मेरा पुराना विभाग जो वर्षों से मेरे पास है, वह है जल संसाधन विभाग, हम सभी कहते हैं कि जल ही जीवन है, जहां जल है, वहां समृद्धि है और अभी एक फिल्म मैं देर रात देख रहा था, उस विदेशी फिल्म में बताया गया था कि अगली सदी में जहां हम जा रहे हैं तो वाटर माफिया होगा, एक देश दूसरे देश पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, यह इतना प्रभावशाली होगा. हम समझ सकते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है.

नगरीय प्रशासन मंत्री(श्री कैलाश विजयवर्गीय)—अध्यक्ष महोदय, देखिए कितने शरीफ मंत्री हैं, देर रात में ही पानी की फिल्म देखते हैं?

श्री जयंत मलैया—धन्यवाद, कैलाश जी.

सहकारिता मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)—अध्यक्ष महोदय, यह पानी दार लोगों को ही सुनाना चाहिए.

श्री बाला बच्चन—पानी वाले विभाग पर वह वक्तव्य दे रहे हैं, इसलिए उसका उल्लेख किया है.

श्री जयंत मलैया—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से हम एक संकल्प विधानसभा में और लाए थे और उसमें था कि हमारे जैसी सिंचाई है, जितनी हमारी डिजाइन केपेसिटी है और जितनी वास्तविक सिंचाई होती है. 2003 में 30 से 32 प्रतिशत आपकी डिजाइन केपेसिटी की एक्चुअल सिंचाई होती थी, इन दस वर्षों में जहां हमने अपनी डिजाइन केपेसिटी अपनी बहुत बढ़ाई है, उसके साथ साथ जो हमारी सिंचाई क्षमता है और होने वाली वास्तविक क्षमता है, इसके बीच का अंतर घटाया है, जो पहले 30 से 32 प्रतिशत तक सिंचाई होती थी, इसको हम 75 प्रतिशत तक ले गए हैं और जल के उपयोग के कारण जो आप यह देख रहे हैं बार

बार कि कृषि उत्पादन क्षमता 2009 में जब 147 टन थी और 2013-14 में बढ़कर 2087 हो गई. यह सारी किसान की मेहनत और पानी का कमाल है और जब यह दोनों मिल जाएंगे और हमारी सरकार का काम ही यह है, सरकारें बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं, सरकार लोगों को प्रेरित करती है, साधन उपलब्ध कराती हैं कि वह काम करें. अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने चंबल परियोजना के 3 लाख 416 हैक्टर में, तवा परियोजना से 2 लाख 50 हजार 760 हैक्टर, राजघाट परियोजना से 1 लाख, 46 हजार, 258 हैक्टर एवं बाण सागर परियोजना से 1 लाख, 36 हजार, 497 हैक्टर में रबी में सिंचाई की है. 2011-12 में जहां जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं में व्यय 2271 करोड़ रूपए का निवेश हुआ था, 2012-13 में बढ़कर यह 3048 करोड़ और 2013-14 में बढ़कर 3229 करोड़ रूपए हो गया है. बाण सागर अंतर्राज्यीय जलाशय के बारे में हमारे बहुत से साथियों ने चर्चा की है, योजना कब चालू हुई यह तो सबको पता है...

परन्तु मूल रुप से जो इसकी डिजाइन केपेसिटी थी, कमलेश्वर जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इसकी डिजाइन केपेसिटी 154687 थी परन्तु हमने इसकी लाइनों में सुधार किया. हमने इसका युक्तियुक्तकरण और दोहन किया और हमने इसके बाद इसकी जल से परियोजना का विस्तार करके 60 हजार हेक्टेयर में बहुती नहर परियोजना, 20 हजार हेक्टेयर की मझगवां वितरक नहर परियोजना तथा 40 हजार हेक्टेयर की त्यौंथर बहाव परियोजना के साथ साथ अब इस बाणसागर परियोजना की रुपांकित क्षमता उससे बढ़कर दुगुनी हो गई, यह 3 लाख हेक्टेयर हो गई.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो अधूरे काम हैं,माइनर नहरों के काम है, किसान बहुत परेशान है..

श्री जयंत मलैया—चिन्ता न करें, वह भी कार्य होते जाएंगे. अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ जिले में नेवज नदी पर मोहनपुरा वृहद परियोजना का निर्माण प्रारम्भ कराया गया है. रुपये 2 हजार 72 करोड़ लागत की इस परियोजना से एक लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाएगी. सिंचाई हेतु

जल उद्वहन किया जाकर जल के ईष्टतम उपयोग हेतु स्प्रिंकलर पद्धति लागू किये जाने का प्रावधान परियोजना में रखा गया है. आगे से हमारी जो भी योजनाएँ आ रही हैं, हमारी कोशिश यह है कि पानी को और अधिक बचाने के लिए इनको हम बड़े बहाव के द्वारा केनाल से सिंचाई न करते हुए इसमें हम स्प्रिंकलर के माध्यम से और आगे चल के ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई करेंगे तो हम और ज्यादा बड़े क्षेत्र को हम सिंचित कर पायेंगे.

अध्यक्ष महोदय, टीकमगढ़ जिले में धसान नदी पर बानसुजारा वृहद परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है. 980 करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना से 69 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाएगी. दमोह जिले में है, यह मेरा जिला है, यहां पर 40-45 सालों से पंचम नगर योजना की बात सुनते थे. सब कहते थे कि पंचम नगर योजना होगी तो यहां भविष्य बदलेगा. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस परियोजना का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है और बुन्देलखण्ड के इस क्षेत्र में इस योजना के पूर्ण होने पर 12600 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा का प्रावधान रहेगा.इसी तरीके से पेंच व्यपवर्तन परियोजना जो कि छिंदवाड़ा क्षेत्र में है इसका भी माचागोरा में काम तेजी से निर्माण का चल रहा है और इस परियोजना को 2016-17 में पूर्ण होने की संभावना है और इससे 70 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी. कुडलिया वृहद परियोजना में जलाशय का निर्माण राजगढ़ जिले के ग्राम बालाहेडा के समीप कालीसिंध नदी पर प्रस्तावित है. लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना से सवा लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाएगी.केन्द्र सरकार से वन एवं पर्यावरण की स्वीकृतियां प्राप्त कर इसी वित्तीय वर्ष में हम निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं.अध्यक्ष महोदय,बीना सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना जिला सागर में प्रस्तावित है. डेढ़ हजारकरोड़ रुपये की इस परियोजना से एक लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाना है. परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है और इसके साथ साथ इसके एवज में वन को जो हमे जमीन देना थी वह राजस्व से हमने दे दी है अब हमें सिर्फ

पर्यावरण एवं वन भूमि की स्वीकृति के प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है, मुझे उम्मीद है कि बदली हुई परिस्थितियों में अब हमें शीघ्र ही वहां से अनुमति मिल जाएगी. इसके बाद हम बीना बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर पायेंगे. हमने पिछले वर्ष भारत सरकार से ए.आई.बी.पी. मद के अंतर्गत 200 लघु सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ महुअर मध्यम परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता हासिल की है. हमने पिछले वर्ष 03 नयी वृहद सिंचाई परियोजनाओं एवं 10 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृतियां प्राप्त की है. पिछले वर्ष हमने 150 नयी लघु सिंचाई परियोजनाएँ निर्मित्त की है जो कि हमने 150 का लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध 227 लघु सिंचाई परियोजनाएँ हमने पूर्ण की हैं.अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों के खेतों में पानी नहरों से पहुंच सके इसके लिए सिंचाई नालियां बनाने का काम काडा से किया है और मुझे यह बताने हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले वर्ष 71500 हेक्टेयर में यह खेतों में नालियां बनाने का काम किया है और यह संभवत: एक वर्ष के अन्दर किसी भी देश के प्रदेश में इतनी अधिक नालियां पहले कभी खेतों में बनी नहीं हैं.

इसी तरीके से 4 प्रमुख नवीन जलाशयों का सृजन हमने किया है.बिलगांव-डिंडौरी,सोमपुर-सागर,घोघरा-सीहोर,कासनानाला-दतिया. इन जलाशयों से लगभग 35 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध होगी. विभाग की सभी वृहद और मध्यम परियोजनाओं की नहरों की लाइनिंग कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है. विगत पांच वर्षों में विभाग के द्वारा 1125 लघु सिंचाई परियोजनायें पूर्ण की गई है जिनमें लगभग 3 लाख हैक्टेयर की सिंचाई हो रही है. हमने विश्व बैंक की सहायता से वाटर सैक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं के नहरों के सुधार के लिए 1936 करोड़ रुपये की जो परियोजनायें हैं, इनको हम क्रियान्वित कर रहे हैं . बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर , दमोह, पन्ना, छतरपुर,टीकमगढ़ और दतिया जिले में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए बुंदेलखंड पैकेज के प्रथम चरण में भारत सरकार से जल संसाधन विभाग के लिए

881 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. मार्च 2014 तक 902.60 करोड़ रुपये व्यय किये जा कर योजनाओं की निर्माण कार्यों में उल्लेखनीय गति पाई है. कार्य योजना में राजघाट परियोजना ,बरियारपुर वृहद परियोजना , रनगवां नहर मरम्मत कार्य ,49 निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनायें , 97 नवीन लघु सिंचाई योजनायें , 78 पुनरोद्धार एवं उद्वहन सिंचाई योजनाओं के कार्य पूर्ण कर एक लाख से अधिक हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है. अध्यक्ष महोदय, नवीन सिंचाई योजनाओं के सृजन के साथ ही विभाग ने निर्मित योजनाओं के रखरखाव पर भी ध्यान दिया है. जहाँ पिछले वर्षों में अनुरक्षण के लिए हम 49.06 करोड़ रुपये व्यय करते थे इस वर्ष हमने 2013-14 में 73.23 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सम्माननीय विधायकों ने मुझसे चर्चा की औऱ जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्षों ने चर्चा की कि यह वर्षों पुराना जो 100 रुपया प्रति हैक्टेयर दिया जा रहा है यह राशि कम है , इसे बढ़ाया जाये. मैं इस 100 रुपये प्रति हैक्टेयर की राशि को बढ़ाकर 200 रुपये प्रति हैक्टेयर करने की घोषणा करता हूं जिन माननीय सदस्यों ने

इस चर्चा में भाग लिया मैं उनका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं औऱ एक बात और कहना चाहता हूं कि मुकेश नायक जी ने अपने भाषण के दौरान बात की थी कि योजना के कोई सदस्य आए थे उन्होंने बरियारपुर योजना के बारे में विपरीत टिप्पणी की है. मेरा निवेदन यह है कि जब मैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनसे खजुराहो में मिला था तो उन्होंने बताया था कि बरियारपुर का आपका काम बहुत ही संतोषजनक है औऱ उसकी टीप भी उन्होंने वहाँ पर अंकित की थी . बहुत बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय--

मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या – 6,7,23,31,40,45,57,60 एवं 61 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब, मैं, मांगों पर मत लूंगा.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या	- 6	वित्त के लिए छः हजार सात सौ चवालीस करोड़, उनसठ लाख, बत्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	- 7	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार पाँच सौ पैंतालीस करोड़, उन्नीस लाख, इकतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	- 23	जल संसाधन के लिए दो हजार एक सौ बावन करोड़, इकहत्तर लाख, दस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	- 31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिए दो सौ साठ करोड़, नो लाख, तीन हजार रुपये,
अनुदान संख्या	- 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए एक सौ उनतीस करोड़, नवासी लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	- 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए छः सौ दो करोड़, पिंचानवे लाख, छब्बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	- 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ के लिए तीन सौ ग्यारह करोड़, छियानवे लाख, छब्बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	- 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए दो सौ बत्तीस करोड़, आठ लाख, बाईस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या	- 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए पाँच सौ बारह करोड़, छिहत्तर लाख, अठासी हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय - विधानसभा की कार्यवाही बुधवार दिनाँक 9 जुलाई 2014 के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 5.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 9 जुलाई 2014(18 आषाढ़, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल, **भगवानदेव ईसरानी**

दिनांक : 8 जुलाई 2014 **प्रमुख सचिव,**
मध्यप्रदेश विधानसभा